Tuesday, 29 May, 1962

लोक-सभा

वाद-विवाद

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

तृतीय माला

खण्ड ४, १९६२/१८८४ (शक)

[२६ मई से ७ जून, १९६२/५ से १७ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)]

Chamber Fumigated. 18/X/75.

3rd Lok Sabha

Preservation Unit
14-5-92
Fumigated
On 3-12-83
Parliament Library

पहला सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ४ में अंक ३१ से ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय सूची

[तृतीय माला, खण्ड ४—अंक ३१ से ४०—२६ मई से ७ जून, १९६२ / ५ से १७ ज्येष्ठ १८८४ (शक)]

अंक ३१—शनिवार, २६, मई १९६२ / ५ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	३२५१
सभा का कार्य	३२५१–५२
अनुदानों की मांगें .	३२५२—३३३२
स्वास्थ्य मंत्रालय . .	३२५१—७९
शिक्षा मंत्रालय . .	३२८०—३३३२
दैनिक संक्षेपिका	३३३३

अंक ३२—सोमवार, २८ मई, १९६२ / ७ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०७०, १०७२, १०७४, १०७५, १०७७ से १०८०, १०८५, १०८१, १०८३, १०८४, १०८६ और १०९० से १०९३	३३३५—३३५८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०७१, १०७३, १०७६, १०८२, १०८७, १०८८, १०८९, १०९४ से १११३	३३५८—६८
अतारांकित प्रश्न संख्या २०२६ से २०३८, २०४० से २०६० और २०६२ से २११५	३३६८—३४०२
स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . .	३४०२—०४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना .	३४ ०५—०७
(१) गोरखपुर और बस्ती जिलों में चीनियों का कथित प्रवेश .	३४०५–०६
(२) डकोटा विमान का गिरना	३४०६–०७
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	३४०७—०९
तारांकित प्रश्न संख्या १२५ के उतर में शुद्धि . .	३४०९
तारांकित प्रश्न संख्या ८६४ पर अनुपूरक प्रश्न के उतर के बारे में वक्तव्य .	३४०९
अनुदानों की मांगें	३४०९—५४
शिक्षा मंत्रालय	३४०९—१२

सूचना और प्रसारण मंत्रालय . . ३४१३—५४
दैनिक संक्षेपिका . . ३४५५—६२

अंक ३३—मंगलवार, २९ मई, १९६२ / ८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११४, १११६ से १११९, ११२२ से ११२६, ११२८ से ११३२, ११३४ और ११३५ . . . ३४६३—८९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . . . ३४९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११५, ११२०, ११२१, ११२७, ११३३क, ११३६ से ११६३ . . . . . ३४९०—३५०५
अतारांकित प्रश्न संख्या २११६ से २१६७ . ३५०५—२९
प्रक्रिया के बारे में . . . ३५२९
स्थगन प्रस्ताव—
अमरीका में भारत के राजदूत द्वारा भारतीय प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे में वक्तव्य . . . . . ३५३०—३१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—
१. अमरीका में भारत के राजदूत द्वारा भारतीय प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे में वक्तव्य ३५३२
२. अमरीका में भारत के राजदूत द्वारा प्रतिरक्षा मंत्री के बारे में कही गई बातें . . . . . ३५३२—३३
३. सदर बाजार में हुआ अग्नि कांड . ३५३३
सभा पटल पर रखे गये पत्र ३५३४
अनुदानों की मांगें . . . . . ३५३३—८०
सूचना और प्रसारण मंत्रालय . . ३५३४—४८
विधि मंत्रालय . . . . . ३५४९—७०
प्रतिरक्षा मंत्रालय . . . . ३५७०—८०
दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३५८१—८६

अंक ३४—बुधवार, ३० मई, १९६२ / ९ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६४ से ११६६, ११६८ से ११७०, ११७२, ११७४ से ११७६, ११७८, ११७९, ११८१, ११८३ और ११८४ . ३५८७—३६१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६७, ११७१, ११७३, ११७७, ११८०, ११८२, ११८५ से ११९५ . . . . ३६१०—१६

अतारांकित प्रश्न संख्या २१६८ से २२७८ और २२८० से २३१५ . ३६७६—८४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३६८४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पहला प्रतिवेदन . . ३६८४

समितियों के लिये निर्वाचन —

(१) भारत की क्षय रोग संस्था की केन्द्रीय समिति . ३६८५

(२) राष्ट्रीय खाद तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति ३६८५

अनुदानों की मांगें —

प्रतिरक्षा मंत्रालय . . ३६८४—३७२६

दैनिक संक्षेपिका . . . . ३७२७—३४

अंक ३५—गुरुवार, ३१ मई, १९६२/१० ज्येष्ठ १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९६ से १२०१, १२०४ से १२१३ और १२१५ . . . . . ३७३५—६१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ . . ३७६१—६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०२, १२०३, १२१४ और १२१६ से १२२० अतारांकित प्रश्न संख्या २३१६ से २३७८ . ३७६३—६६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३७६६—९२

उत्तर प्रदेश में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित नौटवना में कथित विस्फोट ३७९३

पाकिस्तान द्वारा टिड्डी दल के आक्रमण के बारे में सूचना न देना ३७९३—९५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ३७९५

समितियों के लिये निर्वाचन—

(१) दिल्ली विश्वविद्यालय का कोर्ट . . . . ३७९५—९६

(२) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कोर्ट . . ३७९६

(३) विश्वभारती की संसद् (कोर्ट) ३७९६

अनुदानों की मांगें —

प्रतिरक्षा मंत्रालय . . ३७९६—३८१३

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . ३८१३—४३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३८४४—४९

अंक ३६—शुक्रवार, १ जून, १९६२/११, ज्येष्ठ १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२२६, १२२७, १२२९ से १२३२, १२३४ से १२३८, १२४० से १२४४ और १२२५ . . . ३८५१—७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२२१ से १२२४ ,१२२८, १२३३, १२३९ . ३८७७—८१

अतारांकित प्रश्न संख्या २३७९ से २४१२ . . ३८८१—९६

निधन संबंधी उल्लेख ३८९६

३१-५-६२ को उठाये गये एक औचित्य प्रश्न के बारे में . ३८९७-९८

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३८९८-९९

फिलेटिलिक ब्यूरो द्वारा डाक-टिकट संग्रह कर्ताओं को टिकटों के फोल्डर दिये जाने के बारे में याचिका . . . ३८९९

सभा का कार्य ३८९९

राष्ट्रपति की पेंशन (संशोधन) विधेयक, १९६२—पुरःस्थापित . ३९०

अनुदानों की मांगें—

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . . ३९००—२४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— ३९२५

पहला प्रतिवेदन ३९२५

मूलभूत सहकारी कृषि समिति के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . ३९२५—३७

अस्पृश्यता निवारण संबंधी संकल्प . ३९३७—४५

दैनिक संक्षेपिका . . ३९४६—४९

अंक ३७—सोमवार, ४ जून, १९६२/१४ ज्येष्ठ १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२४६ से १२४९, १२५१ से १२५४ और १२५६ से १२६१ . . . . ३९५१—७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर— .

तारांकित प्रश्न संख्या १२५०, १२५५ और १२६२ से १२७० . ३९७३—७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २४१३ से २४३१, २४३३ से २४७४ और २४७६ से २५१० . . . . ३९७९—४०२३

सभा पटल पर रखे गये पत्र—

पूर्वी पाकिस्तान में हुए उपद्रवों और उस के परिणामस्वरूप हुए प्रवजन के बारे में वक्तव्य—

श्री जवाहरलाल नेहरू . . . . . ४०२४—२६

अनुदानों की मांगें—

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . ४०२६

गृह-कार्य मंत्रालय . . . ४०३९–४०

हुगली के पास हुई रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . ४०७०

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४०८१—८६

अंक ३८—मंगलवार, ५ जून, १९६२/१५ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२७१, १२७३, १२७४, १२७७ से १२८०, १२८२ और १२८४ से १२८९ . . . . ४०८७—४११०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२७५, १२७६, १२८१, १२८३ और १२९० से १३०८ . . . . . ४११०—१९

अतारांकित प्रश्न संख्या २५११ से २६०७, २६०९ से २६१९, २६२२ से २६३० और २६३२ से २६३४ . . . . ४१२०—७२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—

(१) अमरीकी राजदूत द्वारा भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे में कथित उद्गार . . . ४१७२

(२) कनाट प्लेस में आग . . . . ४१७२—७४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४१७४–७५

सभा पटल पर एक प्रतिवेदन के रखे जाने के बारे में ४१७५

लोक सभा की बैठकों का रद्द किया जाना . . ४१७५

समितियों के लिये निर्वाचन—

भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण और भारत के प्राणिकीय सर्वेक्षण के लिये केन्द्रीय जीव-विज्ञान सलाहकार बोर्ड . . . ४१७५–७६

अनुदानों की मांगें—

गृह-कार्य मंत्रालय . . . . . ४१७६—४२३३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४२३४—४२

अंक ३९—बुधवार, ६ जून १९६२/१६ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३१०, १३११ से १३१३, १३१७ से १३१९, १३२४ से १३२७, १३१६, १३१५, १३२२, १३२०, १३२३, १३१४ और १३२१ . . . . . ४२४३—६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०९ . . . ४२६८

अतारांकित प्रश्न संख्या २६३५ से २६४३ और २६४५ से २७०५ . ४२६८—९९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भारत तिब्बत करार की समाप्ति और चीनी व्यापारिक दूतावासों का बन्द किया जाना . . . ४२९९

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४३००

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . ४३०१

अनुदानों की मांगें—

गृह-कार्य मंत्रालय . . . ४३०१—९७

श्रम और रोजगार मंत्रालय . . . ४३८८—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४३५४—५८

अंक ४०—गुरुवार, ७ जून, १९६२/१७ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२८ से १३३१, १३३४, १३३७ से १३४४, १३४६, १३४७, १३४९ और १३४८ . . ४३५९—८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३३२, १३३३, १३३५ १३३६, १३४५ और १३५० से १३५२ . . . . . ४३८२—८५

अतारांकित प्रश्न संख्या २७०६ से २७८६ . . ४३८५—४४२१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —

दिल्ली के टाउन हाल में आग का लगना . . . ४४२२–२३

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	४४२३
समितियों के लिये निर्वाचन —	
(१) प्राक्कलन समिति ; तथा .	४४२३—२४
(२) लोक लेखा समिति	४४२४
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के बारे में . . .	४४२४
लोक लेखा समिति के साथ राज्य सभा के सदस्यों को सम्बद्ध करने के बारे में प्रस्ताव . . .	४४२५
अनुदानों की मांगें	४४२५—७८
श्रम और रोजगार मंत्रालय	४४२५
मत विभाजन के परिणाम के बारे में घोषणा .	४४७७—७८
दैनिक संक्षेपिका	४४७९—८४

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

लोक-सभा

मंगलवार, २९ मई, १९६२
८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पाकिस्तान में फिजो

†*१११४. **श्री हेम बरुआ :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री वारियर :
श्री दाजी :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री प्र० के० देव :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही नागा नेता, श्री फिजो, इस समय पाकिस्तान में हैं ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान लन्दन से चलते समय के उनके वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जो २० मई, १९६२ के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ था ; और

(ग) यदि हां, तो इस घटना तथा श्री फिजो के वक्तव्य के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

1170(Ai)LSD—1;

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री स० च० जमीर)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां ।

(ग) फिजो स्वयं अपना प्रचार करने के लिये और नेता होने का अपना दावा प्रस्तुत करने के लिये बढा चढ़ाकर तथा निराधार आरोप लगा रहे हैं जबकि बहुत से नागाओं ने उनकी नतागीरी मानने से इंकार कर दिया है । सरकार ने निश्चय कर लिया है कि वह नागालैंड राज्य के शांति से होने वाले विकास में फिजो अथवा अन्य किसी समाज विरोधी तत्व से बाधा न पहुंचे इस सम्बन्ध में सभी आवश्यक कार्यवाही करेगी ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गवा है कि श्री फिजो ने लन्दन से चलते समय नागालैंड के मुख्य कार्य-पालिका अधिकारी को तार भेजा था जो इस प्रकार है :

> "मेरे प्यारे मित्रों हमें अन्य किसी व्यक्ति द्वारा अपने आदमियों की हत्या नहीं करानी चाहिये; हमें एक दूसरे का विरोध नहीं करना चाहिये अपितु आपस में बात-चीत करके समझौता करना चाहिये । हमें शीघ्र अपना मामला तय करना चाहिये ।"

यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विद्रोहियों को भी आमंत्रित करने का है जिससे नागालैण्ड की अन्तरिम सरकार में उनका भी प्रतिनिधित्व हो सके ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैंने उस तार जैसी कोई चीज देखी तो थी वह बिल्कुल ऐसी तो नहीं थी। इसकी रिपोर्ट हमें मिली थी। इस समय नागालैण्ड में अस्थाई सरकार काम कर रही है और उनसे किसी को बातचीत करने का निमंत्रण देने का प्रश्न नहीं उठता है। मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही इस सत्र में नागालैंड को राज्य के अधिकार देने का एक विधेयक प्रस्तुत होगा ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार को जानकारी है कि इस समय नागालैंड में इस प्रकार की अफवाह फैल रही है कि श्री फिजो पाकिस्तान में प्रतिवर्ती नागा सरकार स्थापित करने जा रहे हैं तथा श्री फिजो ने संयुक्त राष्ट्र में अपील दायर कर दी है ? यदि हां, तो सरकार ने इस प्रकार के विरोध में क्या कदम उठाये हैं जिससे समाप्त होता हुआ विद्रोह पुनः न भड़क उठे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं ऐसी किसी अफवाह को नहीं जानता । परन्तु मुझे लंदन से इस प्रकार की बातें मालूम हुई हैं। मैं समझता हूं कि कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि पाकिस्तान की स्थिति इन अफवाहों से ठीक नहीं रही और उन्होंने उनको कोई सुविधा देने से इंकार कर दिया था। मैं ऐसा इसलिये और ठीक समझता हूं कि प्रेजीडेंट अय्यूब खां ने कहा था कि वह श्री फिजो को कोई सहायता नहीं देंगे ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि श्री फिजो कराची पहुंच कर गायब हो गये और पुनः चटगांव में दिखाई दिये और क्या वह नागालैण्ड में घुसने का प्रयत्न कर रहे हैं और यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है जिससे वह नागालैंड में न घुस सकें ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं सभा को बताना चाहता हूं कि श्री फिजो एक न्याय से भागे हुये अपराधी हैं तथा यदि वह कभी भी किसी रूप में भारतीय प्रदेश में घुसे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया

---

†मूल अंग्रेजी में

जायगा और उन पर मुकदमा चलेगा। सदस्य को यह बताना तो मेरे लिये संभव नहीं है कि उनके प्रवेश को रोकने के लिये अथवा उनको गिरफ्तार करने के लिये हम क्या कर रहे हैं अथवा क्या करने का प्रयत्न करेंगे ।

†**श्री वारियर** : क्या सरकार जानती हैं कि समाचारपत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ है कि श्री फिजो ने पाकिस्तान में भाग कर गये हुये विद्रोहियों की सलाह मांगी थी जिससे वह वहां पर अस्थाई सरकार बना सकें ? यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह वहां पर है और किसी का भी परामर्श ले सकते हैं।

†**श्री वारियर** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने अपने दूतावास से कोई जानकारी मांगी हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : भारत सरकार को यह मालूम नहीं है कि श्री फिजो वहां पर हैं। इतना मालूम है कि वह पूर्वी पाकिस्तान में घूम रहे हैं। क्या वह वहां पर गये हुये नागा विद्रोहियों से मिल रहे हैं वह मैं नहीं जानता। संभव है उन्होंने ऐसा किया हो। बहुत सी बातें हो सकती हैं। जिनमें से कुछ उन्हें नहीं करनी चाहिए जैसे वहां पर एक अड्डा बनाना। परन्तु, जैसा मैंने बताया, पाकिस्तान सरकार ने साफ तौर पर बता दिया था कि वह उनको वहां पर विद्रोहात्मक कार्यवाही नहीं करने देगी ।

†**श्री दाजी** : अब यह मालूम हो चुका है कि वहां पर गये हुये नागा विद्रोही एक सम्मेलन में प्रतिनिधि के रूप में वहां पर गये थे और श्री फिजो भी उसी सम्मेलन के सिलसिले में वहां पर आये थे । ऐसे समाचार हैं। यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान सपकार से इस सम्मेलन को वहां पर करने के लिये तथा श्री फिजो के भारत लौट आने के लिये और सम्मेलन में भरती होने के लिये कोई विरोधपत्र भेजा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे खेद है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि वह वहां पर सम्मेलन में भाग लेने आये थे। मैं नहीं जानता कि सम्मेलन क्या था, यह कहां पर होने वाला था किसने इसे बुलाया था। मैं यह सब नहीं जानता ।

†**श्री त्यागी** : प्रधान मंत्री ने अभी कहा है कि सरकार का विचार नागा-लैण्ड को राज्य के अधिकार देने वाला एक विधयक प्रस्तुत करने का है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अन्य पर्वतीय आदिम जातियों को भी ऐसा ही अधिकार देने का विचार है यद्यपि उन्होंने इसके लिये अभी कोई झगड़ा खड़ा नहीं किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह भिन्न प्रकार का प्रश्न है।

†**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** : क्या सरकार को यह जानकारी है कि ब्रिटिश सरकार श्री फिजो का राजनीतिक तथा नैतिक दोनों प्रकार से समर्थन कर रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। यह समझना चाहिये कि श्री फिजो अब एक ब्रिटिश नागरिक हैं। वह भारत अथवा अन्य किसी देश के नागरिक नहीं हैं। संभवतया इससे उनको और कठिनाई हो जाती है कि वह भारत में ब्रिटिश नागरिक के अलावा और किसी रूप में रहें। मैं समझता हूं कि नैतिक रूप में उसको इससे अधिक और कोई सहायता नहीं मिली है कि वह एक ब्रिटिश नागरिक हैं। मैं समझता हूं कि इंगलैंड में व्यक्ति विशेषों ने उनको नैतिक समर्थन किया हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या अपराधियों को देश से निकाल देने के बारे में पाकिस्तान और भारत की सरकारों में कोई व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या पाकिस्तान से ऐसा कोई समझौता करने के बारे में सरकार विचार कर रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी नहीं । इस समय नहीं । गत संसद में एक सामान्य देश निकाला विधेयक प्रस्तुत किया गया था और दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा गया था। दोनों सभाओं की संयुक्त समिति ने रिपोर्ट दी थी परन्तु संसद् समाप्त हो गई । अब यह इस संसद् में पुनः प्रस्तुत किया जायेगा ।

हिन्दी टाइपराईटिंग ट्रेनिंग योजना

*१११६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी टाइपराइटिंग ट्रेनिंग योजना के अन्तर्गत उन्हीं कार्यालयों के टाइपिस्टों को हिन्दी टाइपिंग सीखने के लिये जाना अपेक्षित है जहां पत्र-व्यवहार आदि का काम हिन्दी में ही होता हो ;

(ख) जिन कार्यालयों में सारा पत्र-व्यवहार अंग्रेजी में होता है अथवा जहां केवल एक दो कर्मचारी ही हिन्दी टाइपिंग जानते हैं, क्या उन कार्यालयों के अन्य कर्मचारियों को हिन्दी टाइपिंग का प्रशिक्षण दिये जाने पर कोई रोक लगा दी गई है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है, तो बम्बई गोदी कामगर बोर्ड, केन्द्रीय प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, नई दिल्ली आदि के कार्यालयों के वर्तमान कर्मचारियों को हिन्दी टाइपराइटिंग की ट्रेनिंग के लिये नहीं भेजे जाने के क्या कारण हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** :

(क) जी नही ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इन दफ्तरों में हिन्दी में पत्र-व्यव्हार का काम तहीं हो रहा हैं । इसलिये उन्होंने हिन्दी टाइपराइटिंग की ट्रेनिंग के लिये कोई कर्मचारी नहीं भेजा । इन दफ्तरों का विचार आग से अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग के लिये भेंजने का है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि जो व्यक्ति हिन्दी टाइपराइटिंग की ट्रेनिंग लेते हैं, क्या उनकी ट्रेनिंग को और आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अभ्यास का मौका दिया जाता है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : अनेक विभाग हैं जिनमें हिन्दी टाइपिस्टों के अनुभाग हैं ? उनकी पदोन्नति का प्रश्न ही नहीं है । इसकी व्यवस्था है और जब भी वे नियुक्ति के पात्र होते हैं तब ही उनके बारे में विचार किया जाता है ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन व्यक्तियों ने आज तक हिन्दी टाइपराइटिंग की ट्रेनिंग ली है , कुल मिलाकर उनकी संख्या क्या है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : मेरे पास सारे आंकड़े हैं । मुख्य सचिवालय के जुलाई, १९६१ में तीन ; जुलाई १९६२ में पांच और जुलाई १९६२ सेशन में दो । योग दस है ? डाक तथा तार महानिदेशालय में योग छः है । मैं ये सब आंकड़े देना नहीं चाहता । मुख्य श्रम आयुक्त के बारे में ही आंकड़े हैं ।

जी में

†**श्री सिंहासन सिंह** : क्या हिन्दी टाइपिस्टों को अंग्रेजी का टाइपराईटिंग सीखना पड़ता है और क्या भारत सरकार में काम कर रहे अंग्रेजी टाइपिस्टों को भी हिन्दी का टाइप-राईटिंग सीखना पड़ता है, और यदि हां, तो हिन्दी टाइपिस्ट और अंग्रेजी टाइपिस्ट के वेतन में क्या अन्तर है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या उन्हें दोनों ही सीखनी होंगी ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : नहीं, श्रीमान् । मेरा ख्याल है कि यदि वे दोनों का काम करें तो इस से उनकी कुशलता कम होगी ।

†**श्री बड़े** : चूंकि शासन ने हिन्दी टाइपराइटर का एक नया कुंजी-बोर्ड निश्चित किया है, इसलिए क्या जितने हिन्दी टाइपिस्ट्स आज तक थे, उनको नई ट्रेनिंग लेने की जरुरत पड़ेगी ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : यह बात उनकी पर्याप्त ट्रेनिंग होने की है। यदि कुशल हैं, तो उनका ध्यान रखा जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या उन्हें प्रशिक्षण लेना होगा या नहीं ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : नहीं, श्रीमान् । प्रत्येक मामले में यह आवश्यक नहीं है ?

†**श्री हेडा** : हिन्दी टाइपराइटिंग में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या बहुत कम है । क्या इस संख्या से अधिक हिन्दी टाइपिस्टों की आवश्यकता नहीं है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : यह प्रगतिशील प्रबन्ध है । प्रतिवर्ष इतने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है । अतः संख्या में वृद्धि हो रही है । जिस किसी विभाग ने अब तक यह प्रबन्ध नहीं किया है, अब उन्होंने भी यह प्रबन्ध करने का निश्चय कर लिया है ।

कच्ची फिल्म परियोजना

+

†*१११७. { **श्री सुबोध हंसदा** : **श्री स० चं० सामन्त** : **श्री धर्मलिंगम** : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स् मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा कच्ची फिल्म परियोजना के लिये निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) वह संभवतः कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(ग) उसमें उत्पादन कब शुरू होगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) 'बौशे एण्ड साई'[1] की फ्रांसीसी फर्म से परियोजना की अन्तिम रिपोर्ट जुलाई, १९६१ में प्राप्त हुई थी । परियोजना के लिए राज्य सरकार से भूमि ले ली गई है और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Bauchet and Cie.

जमीन इक्सार कर दी गई है। उत्पादन इमारत के निर्माण का ठेका दे दिया गया है। आयातित होने वाले संयंत्र तथा पुर्जों आदि के लिए क्रयादेश दे दिये गये हैं और उनका जहाजों से आ ा आरम्भ हो गया है। स्वदेशीय सामान के लिए भी क्रयादेश दे दिये गये हैं जो कि कम्पनी की जिम्मेदारी है। 'बौशे एण्ड साई' उन वस्तुओं के लिए क्रयादेश दे रहे हैं जो उन्होंने देनी है। स्वदेशीय सामान की उपलब्धि आरम्भ हो गई है।

(ख) और (ग). आशा है कि कारखाने में वर्ष १९६३ में उत्पादन आरम्भ हो जायेगा और तीसरी योजना काल के अन्त तक पूरा उत्पादन होने लगेगा।

†**श्री सुबोध हंसदा** : विवरण से पता लगता है कि परियोजना में उत्पादन वर्ष १९६३ में आरम्भ होगा और उसमें पूरा उत्पादन तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक होने लगेगा। यदि हा, तो इस परियोजना से देश की कितने प्रतिशत आवश्यकता पूरी होगी?

†**श्री कानूनगो** : पहिले तो हम ५.४ वर्ग मीटर सिनेमा फिल्म बनाना चाहते हैं। हमारी आवश्यकता के लिए यह पर्याप्त होगी

†**श्री सुबोध हंसदा** : मैं विवरण में देखता हूं कि इस परियोजना के निर्धारण के लिए सरकार संयंत्र और मशीनरी खरीद रही है। इस मशीनरी के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है ?

†**श्री कानूनगो** : ठेके में व्यवस्था है कि सहयोगी मशीन देंगे और जो भी मशीन यहां सहयोगियों के सहयोग से बन सकती है, वह यहां बनाई जायेगी। दोनों ही प्रोग्राम आगे बढ़ रहे हैं।

†**श्री स० चं० सामन्त** : सहयोग किस प्रकार का होगा ?

†**श्री कानूनगो** : सहयोग-करार पुस्तकालय में रखा गया है। वे कुछ पूंजी की व्यवस्था कर रहे हैं जो दस छमाही किस्तों में वापस दी जायेगी। इस पर ६ प्रतिशत ब्याज होगा।

†**श्री स० चं० सामन्त** : कितने प्रतिशत स्वदेशीय माल उपलब्ध होगा ?

†**श्री कानूनगो** : इसका अध्ययन हो रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी

+

†*१११८. **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और अल्प रोजगार के सम्बन्ध में चर्चा करने के लिये कलकत्ते में एक प्रादेशिक सम्मेलन आयोजित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन की क्या सिफारिशें हैं ; और

(ग) ये सिफारिशें किस प्रकार कार्यान्वित की जा रही हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)**: (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

तीसरी पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी रिपोर्ट के अध्याय १० (रोजगार तथा जन-शक्ति) के भाग ४ में की गई सिफारिशों के अनुसार ग्रामीण जन-शक्ति का उपयोग करने के लिए ३२ अग्रिम परियोजनाओं की श्रृंखला वर्ष १९६०–६१ में आरम्भ की गई । इन परियोजनाओं के कार्य की जांच करने, विभिन्न राज्यों में हुए अनुभवों का समूहन करने और १९६२–६३ में ग्रामीण कार्य प्रोग्राम की कार्यान्विति सम्बन्धी प्रश्न पर विचार करने के उद्देश्य से ग्रामीण जनशक्ति का प्रयोग करने के लिए कार्यों के प्रोग्रामों सम्बन्धी तीन क्षेत्रीय कान्फ्रेंसें २९ जनवरी से ७ फरवरी, १९६२ तक दिल्ली, कलकत्ता और हैदराबाद में हुईं। इनमें से प्रत्येक कान्फ्रेंस में अनेक लाभदायिक सुझाव तथा सिफारिशें की गईं। कार्यान्विति के लिये ये सिफारिशें राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं। उनकी प्रति संसद् पुस्तकालय में रखी है । राज्य सरकारों ने सिफारिशों को स्थानीय आवश्यकताओं तथा स्थितियों का ध्यान रख कर लागू किया है या करेंगी ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने एक विशेषज्ञ समिति नियक्त की थी जिसमें एक विशेषज्ञ भारत का ही था और उन्होंन अपनी रिपोर्ट दे दी है । क्या इस कांफ्रेंस में उनकी सिफारिशों पर विचार किया गया था ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : हां, श्रीमान् । ये सब मंत्रालय मे रोजगार व्यवस्था के भाग हैं और उन पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : विवरण से पता लगता है कि ३२ अग्रिम परियोजनायें जनशक्ति का अध्ययन करने के लिए आरम्भ की गई थीं। इन अग्रिम परियोजनाओं में किस प्रकार की जनशक्ति—टैंकिनकल या गैर-टैंकिनकल—का प्रयोग होगा ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : वस्तुतः १९६० वर्ष तक प्रथम अवस्था में ३४ परियोजनायें आरम्भ की गईं थीं। जन-शक्ति का नियमित वर्गीकरण किया जा रहा है।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : इन अग्रिम परियोजनाओं में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिल सकता है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : तीन क्षेत्रीय कांफ्रेंसें हुई हैं और अभी तक आंकड़े नहीं आये हैं? वस्तुतः आज २२७ परियोजनायें हैं। वर्ष १९६२ के अन्त तक और ६०० परियोजनायें आरम्भ हो जायेंगी। वर्ष १९६३ तक ८०० अग्रिम परियोजनायें लागू हो रही होंगी। ४० चुने हुए क्षेत्र हैं और वर्ष १९६६ में समाप्त होने वाले चार वर्षों में २० लाख रुपय होंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे रोजगार की सम्भाव्यता के बारे में जानना चाहते हैं ।

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : प्रथम अवस्था के अन्त तक यह १००,००० हो जायेगी। आगामी वर्ष यह संख्या बढ़ कर ४००,००० से ५००,००० हो जायेगी उसके बाद १० लाख और अन्त में २५ लाख हो जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : जो गांवो में लोग रहते हैं और जिन को किसी टैक्नीकल चीज का ज्ञान नहीं है और साथ ही साथ जिन की रोजी रोटी का कोई इंतज़ाम नहीं है, उनके लिए भी सरकार क्या कुछ करने जा रही है ?

श्री नन्दा : यह जो योजना है, यह उन्हीं लोगों के लिए खास कर है ।

श्री सरजू पाण्डेय : इस स्टेटमेंट को देखने से मालूम होता है कि जो सुझाव इस कान्फ्रेंस में दिये गये हैं, उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय के पास इस तरह की सूचना है कि कितनी राज्य सरकारों ने इस योजना को लागू किया है ?

श्री नन्दा : यह कान्फ्रेंस अभी हो कर चुकी है । यह काम तो उन्हीं के द्वारा होता है । मगर हमारा इंतजाम भी इसके साथ है । हम उसके ऊपर निगाह रखते हैं, जा कर देखते भालते हैं ताकि कामयाबी से काम हो ।

श्री सरजू पाण्डेय : क्या राज्य सरकारों से कोई सूचना आई है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अभी कान्फ्रेंस हुई है । यह बात किब्ल-अज़-वक्त है । इसका अभी मौका नहीं आया है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : विवरण में उल्लेख है : "सिफारिशें राज्य सरकारों ने लागू की हैं या करेंगी और ऐसा करने में स्थानीय आवश्यकताओं तथा स्थितियों का ध्यान रखा जायेगा ?" मैं वे परिस्थितियां जानना चाहता हूं जिनके कारण उन सिफारिशों का लागू करना आवश्यक हुआ ?

†**श्री नन्दा** : उदाहरणार्थ समुदाय के अंशदान को लीजिये । कितना अंशदान प्राप्त हो सकता है, यह स्थितियों पर निभर होगा ।

†**श्री श्याम लाल शर्राफ** : क्या इस रोजगार का यह अर्थ है कि पुरुषों तथा स्त्रियों को मुख्य कर निर्माण परियोजनाओं पर खर्च करना होगा या उनके लिए उन क्षेत्रों में जीवन के अनेक व्यवसायों में कार्य दिया जायेगा ?

†**श्री नन्दा** : अनेक परियोजनायें हैं । उद्देश्य यह है कि यह कार्य फलदायक हो जिससे उस क्षेत्र की आर्थिक-क्षमता बढ़ेगी ताकि बाद में बिना किसी विशेष कार्यक्रम के रोजगार बना रह सके ।

रायपुर में ट्रांसमीटर

†१११९. **श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रायपुर में मीडियम वेव ट्रांसमीटर कब से चालू हो जायेगा ; और

(ख) वहां नियमित स्टूडियो संभवतः कब स्थापित होगा ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) आशा है कि १९६३ में प्रसारण-सेवा के लिए रायपुर में २० किलो वाट का मीडियम वेव ट्रांसमीटर तैयार हो जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) रायपुर में नियमित स्टूडियो बनाने का कोई विचार नहीं है । बाह्य कार्यक्रमों को रिकार्ड करने की सुविधायें दी जायेंगी । इन प्रोग्रामों में लोकगीत जैसे बाह्य कार्यक्रम शामिल हैं ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या सरकार को विदित है कि राज्यों के पुनर्गठन के बाद नागपुर का रेडियो केन्द्र मराठी स्टेशन बन गया है और इन्दौर-भोपाल केन्द्रों के कार्यक्रम जिनके बारे में धारणा यह है कि वे रायपुर की आवश्यकता के लिए हैं, रायपुर के लोगों को ठीक सुनाई नहीं देते ? यदि हां, तो क्या रायपुर में कोई और स्टेशन बनाये जाने की मांग की गई है और इस मांग के स्वीकार न होने के क्या कारण हैं ?

†**श्री शाम नाथ** : जहां तक मुझे विदित है, इस सम्बन्ध में हमें कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : मैं पिछले तीन साल से यह मांग कर रहा हूं ? उस मांग की प्रतियां मेरे पास हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : दोनों पास पास बैठे हैं । अब वे आपस में तय कर लें ।

नेफा

†*११२२. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में नेफा (उत्तर पूर्व सीमांत अभिकरण) के लिये कुल कितनी निधि नियत की गयी थी ;

(ख) कितनी रकम खर्च की गयी और कितनी वापस लौटा दी गयी, यदि कोई हो तो ; और

(ग) जो काम किये गये हैं वे उस खर्च को देखते हुए कैसे हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री डा० एरिंग)** : (क) ५०९.५६ लाख रुपये ।

(ख) ३५६.६४ लाख रुपये व्यय हुए और बाकी राशि लौटा दी गई ।

(ग) बहुत अच्छे हैं ?

†**श्री रिशांग किशिंग** : कुल आवंटित निधि की कितने प्रतिशत राशि विकास योजनाओं के लिए नियत है ? सरकारी व्यवस्था के अतिरिक्त, विकास योजनाओं की उचित कार्यान्विति सुनिश्चित करने के लिए और क्या व्यवस्थायें हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: मुझे खेद है कि मैं प्रतिशत बताने में असमर्थ हूं । पहिले पांच वर्षों में अधिक धन व्यय नहीं हुआ क्योंकि यह नया काम था और इसकी तुलना अन्य क्षेत्रों से नहीं की जा सकती । परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि काम नहीं हुआ । वास्तव में व्यय हुए धन के आंकड़े से जो अनुमान लगता है उससे कहीं अधिक काम हुआ । मुझे सरकारी एजेंसी के अलावा और किसी एजेंसी का पता नहीं है । हो सकता है कि कुछ छोटी एजेंसियां भी हों ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रिशांग किशिंग** : उत्तर से पता लगता है कि कुछ धन लौटाया गया था। इन सारे धन का प्रयोग न किये जा सकने के क्या कारण हैं ? सरकार धन का लौटाना या व्यय गति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करेगी ?

†**श्री डा० एरिंग** : इसका मुख्य कारण यह था कि मूल्य गिर गये थे और कर्मचारियो तथा माल की कमी थी। १९५४–५५ में दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये योजनायें बनाई गई थीं जब कि एजेन्सी अनेक भाग पूरी तरह नहीं खुले थे और संचार का विकास केवल आरम्भ ही हुआ था। नेफा में विद्यमान स्थिति की समानान्तर स्थिति कहीं भी देश में नहीं पाई जा सकती। अतः प्राक्कलन साधारण आधार पर तैयार किये गये थे। इसका परिणाम यह हुआ कि योजना के लिये आवंटित राशि की लगभग ३० प्रतिशत अपयुक्त रही और जो भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुए वे ७० प्रतिशत से अधिक थे।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच नहीं है कि नेफा की आदिम जातियों के लोगों ने स्वेच्छा से श्रम दान भी किया जिसका मूल्य १,७०,००० रु० था और, यदि हां, तो क्या कोई औपचारिक या सरकारी मान्यता इन लोगों को उनके स्वेच्छिक कार्य के लिये ही दी गई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरु** : निस्सन्देह मान्यता दी जाती है और प्रशंसा की जाती है।

केरल में नारियल रेशा तैयार करने का कारखाना

+

†*११२३. **श्री मणियंगाडन** :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री इम्बीचिबाबा :
श्री कोया :
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल रेशा तैयार करने और कुर्सियों आदि के गद्दे आदि के उत्पादन के लिये केरल में एक कारखाना चालू करने के लिये लाइसेंस जारी किये जाने के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ?

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ग) क्या केरल से बाहर भी ऐसा कोई कारखाना चालू करने के लिये कोई आवेदन-पत्र मिला था ;

(घ) क्या ऐसे किसी आवेदक को लाइसेंस दिया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शा)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) सात। चार प्रस्ताव स्वीकार हुए हैं।

(ग) हां, श्रीमान।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) हां, श्रीमान। केरल राज्य के अतिरिक्त एक और प्रार्थी को लाइसेंस दिया गया है।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री मणियंगाडन** : राज्य का औद्योगिक पिछड़ापन का ध्यान रखकर, सरकार का यह ध्यान रखेगी कि ये उद्योग यथाशीघ्र आरम्भ की जायें ?

†**श्री मनुभाई शाह** : चार लाइसेंस दिये जा चुके हैं। अन्य तीन विचाराधीन हैं।

†**श्री मणियंगाडन** : दिये गये चार लाइसेंसों में से कितने लाइसेंस केरल के हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : एक के अलावा सभी केरल के हैं।

†**श्री वारियर** : क्या इन प्रार्थियों ने मशीनके आयात के लिये कोई विदेशी मुद्रा मांगी है, और यदि हां, तो कितनी मांगी

†**श्री मनुभाई शाह** : यह राशि डेढ़ लाख से ढाई लाख रुपये तक की है।

†**श्री वासुदेवन नायर** : क्या सरकार को अपने पास उपलब्ध जानकारी से विश्वास है कि उद्योग यथोचित समय में स्थापित हो जायेंगे।

श्री मनुभाई शाह : श्रीमान, मुझे ऐसी आशा है कि एक वर्ष में नारियल पैदा करने वाले सारे राज्यों में स्थापित हो जायगे।

†**श्री वारियर** : क्या किसी प्रार्थना पत्र में यह प्रस्ताव है कि वे विदेशी मुद्रा के लिये भारत सरकार पर निर्भर न करके उसकी आवश्यकता स्वयं पूरी कर लेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यदि वे ऐसा कहते तो हमें प्रसन्नता होती।

वलापत्तनम् सिंचाई योजना

†**११२४. श्री अ० व० राघवन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में वलापत्तनम् सिंचाई योजना के लिये मंजूरी दी जा चुकी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस योजना की आवश्यकता को देखते हुए क्या सरकार का इस मामले में शीघ्रता करने का विचार है ?

†**योजना मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) हां, श्रीमान। तीसरी योजना में शामिल किये जाने के लिये योजना हाल में स्वीकार हुई है। योजना की कार्यान्विति का कार्य केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में टैक्निकल दृष्टि से जांच किये जाने और सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण तथा विद्युत् योजनाओं के संबंधी सलाहकार समिति द्वारा विचार किये जाने और लागू किये जाने के लिये योजना आयोग द्वारा स्वीकार किये जाने के बाद आरम्भ होगा।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री अ० व० राघवन** : वास्तविक कार्य कब आरम्भ होगा ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : यह बात कुछ शर्तों के पूरा होने पर निर्भर होगी। योजना की टेक्निकल विशेषताओं पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग की टैक्निकल समिति विचार कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मे० क० कुमारन** : क्या यह सच है कि केरल की सिंचाई और विद्युत की परियोजनायें जो इस वर्ष आरम्भ होनी थीं, केन्द्र की अनुमति न होने के कारण खटाई में पड़ी हैं ; और यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : नहीं, श्रीमान । बात ऐसी नहीं है ।

†**श्री वारियर** : क्या वलापत्तनम योजना की कार्यान्विति में देर से केरल की तट रेखा में बड़े पैमाने पर समुद्र से मिट्टी का कटाव हो रहा है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : समूची योजना में समुद्र द्वारा मिट्टी के कटाव का मामला विचारार्थ मामलो में से एक है । यह मामला योजना आयोग के विचाराधीन है ।

गोआ की औद्योगिक क्षमता

†*११२५. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री ब्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ की औद्योगिक क्षमता का अनुमान लगाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) जो प्रतिनिधि मंडल वहां बड़े और छोटे उद्योग स्थापित करने की गुंजाइश की छान-बीन करने के लिये गया था, क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया है और उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय म उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) गोआ की औद्योगिक क्षमता का पता लगाने के लिये सरकार ने अनेक दल भेजे हैं उनकी रिपोर्टों में की गई अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्न हैं :—

(१) अयस्कों के निर्यात संबंधी सरकार की दीर्घकालीन नीति की घोषणा होनी चाहिये ।

(२) गोआ प्रशासन में एक उद्योग विभाग स्थापित किया जाये ।

(३) वहां लघु उद्योग सेवा संस्था की शाखा खोली जानी चाहिये ।

(४) उद्योगों तथा औद्योगिक संभावनाओं संबंधी जानकारी फैलाने के लिये एक सूचना केन्द्र खोला जाना चाहिये ।

(५) गोआ में कुछ छोटे और बड़े पैमाने के उद्योग स्थापित करने की कार्यवाही की जानी चाहिये ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : तीसरी पंच वर्षीय योजना की शेष अवधि गोआ के औद्योगिक विकास के लिये कितना धन नियत किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दिनश सिंह** : इसका निर्धारण केवल रिपोर्टों पर विचार किये जाने के बाद होगा।

†**श्री श्रीनारायण दास** : जो दल वहां भेजा गया था क्या उनकी रिपोर्टों के पेश किये जाने के लिये कोई समय निश्चित किया गया है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : उन्होंने रिपोर्ट दे दी है। वे विचाराधीन है।

†**श्री विभूति मिश्र** : क्या यह सही है कि गोआ में आइस ओर सबसे अच्छा पाया जाता है और इसलिये वहां पर सरकार लोहेका कारखाना खोलने जा रही है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : सबसे अच्छा कहना तो मुश्किल है क्योंकि इतना फाइन आइस ओर नहीं है जितना और जगह मिलता है। लेकिन हम अभी तक आइस ओर बाहर भेज रहे हैं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : उस क्षेत्र में किन उद्योगों को लाभयुक्त ढंग से आरम्भ किया जा सकता है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : सिफारिशों पर पूरी तरह विचार किये जाने के बाद ही यह बात निश्चित हो सकती है ।

†**श्री प्रे० क० देव** अपने अपने क्षेत्रों के विकास के लिये अनेक राज्यों द्वारा किये जाने वाला प्राविधिक-आर्थिक-सर्वेक्षण गोआ में भी किया जायेगा ?

†**श्री दिनेश सिंह** : अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या सरकार गोआ के विकास प्रोग्राम को बाकी देश के विकास के तीसरी योजना प्रोग्राम के साथ मिलाने का विचार कर रही है और, यदि हां, तो इस समन्वय और एकीकरण के लिये गोआ में क्या व्यवस्था की जा रही है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : हो सकता है कि गोआ में अधिक प्रगतिशील प्रोग्राम बनाया जाये।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मेरा प्रश्न यह न था। वह तो निश्चित प्रश्न था। क्या गोआ के विकास प्रोग्राम को बाकी देश के साथ समन्वय और एकीकरण करने की कोई योजना है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : तीसरी पंच वर्षीय योजना करते समय गोआ के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया था।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : वह सच है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : परन्तु अब इसका एकीकरण बाकी प्रोग्राम के साथ धीरे-धीरे होगा। यह अकेला नहीं पड़ा रह सकता, परन्तु इस पर अलग विचार किया जाता है और फिर एकीकरण होता है। इन मामलों पर विचार किया जायेगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या इस उद्देश्य के लिये गोआ में कोई व्यवस्था की गई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उपमंत्री ने एक व्यवस्था का सुझाव दिया है। अनेक समितियों बनाई गई हैं। उन्होंने सुझाव दिया है बोर्ड आदि बनाये जायें। मैं नहीं जानता कि यदि माननीय सदस्य का यह विचार है कि वह अपर्याप्त व्यवस्था है, परन्तु उस दिशा में कुछ कार्यवाही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखकर कि गोआ के परमपरागत निर्यात-व्यापार में लोहा और मेंगनीज अयस्क का निर्यात इटली, जर्मनी और जापान को होता है और खाली बोतलों का निर्यात पाकिस्तान को होता है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का विचार व्यापार का वही पुराना रूप बनाये रखने का है, खासकर पाकिस्तान को खाली बोतलों का व्यापार बनाये रखना है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे खेद है कि मुझे पता न था कि खाली बोतलें पाकिस्तान को जाती हैं। जहां तक बाकी व्यापार का संबंध है, प्रयत्न यह रहा है कि उसे अपरिवर्तित रहने दिया जाये, अर्थात् पहिले ठेकों को खत्म करके नये ठेके किये जायें जो हमारे बनाये नये नियमों के अनुसार हों।

†**श्री महेश्वर नायक** : लोह अयस्क और खनिजों के विद्यमान कुछ ठेकों की दृष्टि से, क्या सरकार एकीकरण के बाद उन ठेकों को स्वीकार करेगी या वे उन्हें बदलेगी और, यदि हां, तो किस तरह बदलेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : यहां खान मालिक आये थे और हमने उन्हें आश्वासन दिया था कि हम पुराने ठेकों को स्वीकार करेंगे। इतना ही नहीं, अपितु हमने भविष्य के बारे में भी स्पष्ट रूप से बताया था कि उनके सारे भावी ठेकों को भी दीर्घकालीन आधार पर स्वीकार किया जायेगा। यह अवधि दस साल से पन्द्रह साल की होगी और मूल्यों को हर तीसरे साल बदला जा सकेगा।

†**श्री शं० ना० चतुर्वेदी** : क्या वहां स्थापित किये जाने वाले उद्योगों के बारे में कोई विशेष सिफारिशें की गई हैं ?

†**श्री दिनेश सिंह** : मैं विशेष उद्योगों के बारे में उत्तर नहीं दे सकता। हां, उद्योगों के बारे में कुछ सुझाव दिये गये हैं। उन पर विचार करना होगा।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या मरमूगांव बन्दरगाह का अब सामान्य रूप में प्रयोग हो रहा है या क्या स्थिति है ? क्या अब भी स्थिति कठिन है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : इसका प्रयोग किया जा रहा है।

ब्रिटन जाने वाले भारतीय आप्रवासी

+

†*११२६. **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन को उद्जन करने की मांग करने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या में पिछले कुछ सप्ताहों में असाधारण वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या इसका संबंध ब्रिटेन में आप्रवासियों के अवैध प्रवेश के लिये समय सीमा निश्चित किये जाने से है ; और

(ग) ऐसे मामलों में पारपत्र (पासपोर्ट) देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी : मेनन)** (क) जी नहीं। पूरे देश के आंकड़ों के आधार पर असाधारण वृद्धि नहीं है। परन्तु क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, नई दिल्ली में गत कुछ महीनों में अभ्यावेदनों की संख्या में वृद्धि हुई है।

जनवरी से अप्रैल, १९६१ तथा १९६२ में पासपोर्ट अभ्यावेदनों के तुलनात्मक आंकड़े दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३८**] ।

(ख) ब्रिटेन के लिय पासपोर्टों के लिये आप्रव्रजन अधिनियम, १९६२ जो १ जुलाई १९६२ से लागू होगा तथा राष्ट्रमंडल नागरिकों के आप्रव्रजन का नियंत्रण करेगा, के कारण क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, नई दिल्ली में कुछ वृद्धि हो गई है।

(ग) क्योंकि वर्तमान प्रबन्ध पर्याप्त समझे गये थे इसलिये इस स्थिति को सुधारने के लिये कोई विशेष कदम उठाना सरकार ने ठीक नहीं समझा।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या ब्रिटिश आप्रव्रजन अधिनियम तथा उस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों, जो भारत पर लागू होते हैं, का सरकार ने अध्ययन कर लिया है तथा यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : सरकार ने उसके सभी क्रमों पर विचार कर लिया था। जब उसका सुझाव दिया गया था ; जब उसको प्रस्थापित किया गया था तथा जब उसको पारित किया गया था। विधेयक के संबंध में जब प्रश्न पूछे गये तभी उनके उत्तर में सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया सभा में बता दी थी।

†**श्री हरिविष्णु कामत** : क्या यह सच नहीं है कि प्रधान मंत्री ने कुछ समय पहले बड़े कठोर शब्दो में अपने विचार व्यक्त किए थे कि वह भारतीयों का ब्रिटेन में जाना पसंद नहीं करते हैं और यदि हों, तो क्या सरकार का विचार ब्रिटेन में पहले रोजगार पाये हुए अथवा नियुक्ति पाये हुए लोगों के अतिरिक्त अन्य लोगों के ब्रिटेन में जानेपर प्रतिबन्ध लगाने का है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : कानून में ही ऐसी व्यवस्था है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री ने तीन अथवा चार महीने पहले कठोरता से कहा था कि वह भारतीयों के ब्रिटेन में जाने के विरोधी हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न क्या है ? प्रश्न यह है कि क्या विद्यार्थियो के अतिरिक्त अन्य लोगो के ब्रिटेन जाने पर उनका प्रतिबन्ध लगाने का विचार है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : विद्यार्थी नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अन्यथा जिन लोगो को नियुक्ति मिल गई हो।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : नियुक्ति के निश्चित प्रस्ताव में बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें लोग बिना रोजगार के वहां जा रहे हैं। इस प्रकार आप्रव्रजन होता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने माननीय सदस्य को बताया कि अधिनियम के यही उपबन्ध हैं कि जिनको नियुक्ति के निश्चित प्रस्ताव मिल गये हों।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : आज भी हजारों व्यक्ति जाली पासपोर्टों से तथा अन्य प्रकार से ब्रिटेन जा रहेहैं। सरकार इसको किस प्रकार रोकना चाहती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जाली पासपोर्ट दूसरी बात है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार का ध्यान लन्दन में भारतीय उच्चायुक्त श्री छागला के आप्रव्रजन अधिनियम के संबंध में इस वक्तव्य की ओर गया है कि आप्रव्रजन अधिनियम राष्ट्रमंडल आदर्शों के विरुद्ध है और इससे राष्ट्र मंडल सम्बन्ध और बिगड़ जायेंगे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : हमने यह वक्तव्य समाचार पत्र में देखा है। हमें सीधा यह नहीं मिला। ऐसा मालूम होता है कि अधिनियम का प्रभाव राष्ट्रमंडल पर निश्चित रूप से पड़ेगा। कितना पड़ेगा यह बताना बड़ा कठिन है।

†**श्री सिंहासन सिंह** : यदि एक भारतीय अपराधी श्री फिजो इंगलैंड में जाता है और उसको ब्रिटिश नागरिक बना लिया जाता है तो क्या उसके भारत लौटने पर और ब्रिटिश नागरिक बने रहने पर भी क्या वह भारत का अपराधी ही रहेगा?

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते है।

†**श्री सिंहासन सिंह** : एक भारतीय नागरिक, श्री फीजो अपराधी घोषित किया गया था। वह इंगलैंड जाता है और वहां को सरकार उसको ब्रिटिश नागरिक बना लेती है। यदि वह पुनः न लौटकर भारत में आता है तो वह ब्रिटिश नागरिक रहेगा अथवा भारतीय अपराधी रहेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय**: इन प्रश्नों पर ब्योरेवार अध्ययन किया जायेगा। ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यदि आप विवरण को देखें तो मालूम होगा कि नई–दिल्ली के क्षेत्र में अभ्यावेदनों की संख्या बढ़ी है। अन्य क्षेत्र की स्थिति सामान्य है। ऐसी स्थिति किस कारण से है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : क्योंकि पंजाब के बहुत से व्यक्ति नई–दिल्ली में पासपोर्ट के अभ्यावेदन देते हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं कारण जानना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे राज्य पंजाब के अधिक व्यक्ति वहां जाना चाहते हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं जानना चाहता हूं कि यह लोग क्यों वहां जाना चाहते हैं। इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया केवल यह बताया गया कि अधिक लोग आवेदन पत्र देते हैं इसलिए संख्या अधिक है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

---

†मूल अंग्रेजी में

नेपाल को भारतीय सहायता

†*११२८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ से अब तक नेपाल को कितनी सहायता दी जा चुकी है; और

(ख) भारतीय सहायता का किस हद तक उपयोग किया गया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री डा० एरिंग)** : (क) १९५२–६६ की अवधि के लिए नपाल को २८.३८ करोड़ रुपये की सहायता देने का वायदा किया गया था।

(ख) वस्तुतः १२.६७ करोड़ रुपये की सहायता का उपयोग किया गया है।

श्री विभूति मिश्र : मैं जाना चाहता हूं कि जो भारत ने नेपाल को सहायता दी है उससे कौन–कौन काम हुआ है, और अब तक कितना काम हुआ है और कितना होने को बाकी है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : अब तक जो काम हो चुका वह इस प्रकार है :

१. त्रिभुवन राज पथ	४ करोड़ ४० लाख
२. नेपाल को एअर फोटोग्राफी एंड मैपिंग	१ करोड़ ५० लाख
३. इरीगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, पावर ड्रेनेज	१ करोड़ ४० लाख
४. सड़कें	८४ लाख
५. गांवों की तरक्की	७७ लाख
६. लोकल डेवेलपमेंट	२० लाख।

इसी किस्म के और भी हैं।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि नेपाल की तरक्की के लिए इतनी एड जो दी गयी है इसके अतिरिक्त और कितनी एड नेपाल सरकार ने भारत सरकार से मांगी है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : १९६६ तक की सहायता सहायता की रकम बता दी गई है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या और कोई रकम मांगी गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री डा० एरिंग) : थर्ड प्लान के बाद पूछ रहे हैं ?

†**श्री श्रीनारायण दास** : किन किन भिन्न अभिकरणों के द्वारा सहायता का उपयोग किया जा रहा है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हमारा सहायता दूतावास नेपाल में है।

†**श्री हेम बरुआ** : नेपाल भारत से सहायता लेने के अतिरिक्त, चीन से भी सहायता ले रहा है। क्या इससे यह समझा जा सकता है कि नेपाल दोनों से फायदा उठाना चाहता है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : नेपाल अमरीका, रूस, से भी सहायता ले रहा है जबकि चीन और भारत से भी सहायता ले रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या सहायता उन्हीं कामों पर व्यय की जा रही है जिन कामों के लिए ली गई थी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं ऐसा ही समझता हूं ।

†**श्री विभूति मिश्र** : मैं जानना चाहता हूं कि जो भारत सरकार ने नेपाल में काम किया है वह अकेले किया है या किसी दूसरे देश के साथ मिल कर पूरा किया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : वह तो अलग है, स्वतंत्र है । मुझे ठीक याद नहीं लेकिन शायद सड़क बनाने में कुछ समझौता हुआ है एक और मुल्क के साथ ।

लद्दाख में चीनी फौजों के घुस आने के बारे में समाचार

†*११२९. { **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६२ के आम चुनाव के दौरान उत्तर बंबई निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के दिन भारत स्थित फ्रांसीसी समाचार एजेन्सी ने यह खबर निकाली थी कि चीनी फौजें सोवियत टैंको आदि के साथ लद्दाख में घुस आई हैं ;

(ख) क्या यह खबर प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया ने भी जारी की थी;

(ग) क्या यह खबर बाद में उस एजेंसी ने वापिस ले ली थी ;

(घ) क्या भारत स्थित फ्रांसीसी समाचार एजेन्सी, नई दिल्ली के संवाददाता ने इस खबर को जारी करने से पहले सरकार से इसकी पुष्टि करली थी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां । फ्रांसीसी समाचार एजेन्सी ने २४ फरवरी १९६२ को गंगटोक (सिक्किम) से एक समाचार में बताया था कि जनवादी चीन में निर्मित ३० रूसी प्रकार के टैंक ल्हासा से गुप्त स्थान को गये थे । समाचार में और आगे कहा गया था कि ऐसा विचार था कि यह टैंक लद्दाख क्षेत्र को गये थे ।

(ख) जी हां । प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया, जो फ्रांसीसी समाचार एजेन्सी का वितरण ऐजेन्ट है, ने उनकी ओर से यह समाचार भारतीय समाचार पत्रों को दिया था ।

(ग) परन्तु पी० टी० आई० ने इस समाचार के एक दम गलत होने की संभावना के कारण एक घंटे में ही इसको वापस ले लिया था ।

(घ) फ्रांसीसी समाचार एजेन्सी के लिए काम करने वाले गंगटोक में संवाददाता द्वारा गढ़ी गई कहानी समाचारपत्रों को दिए जाने से पहले रद्द नहीं की गई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) जब वदेशिक-कार्य मंत्रालय का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया तभी एक सरकारी प्रवक्ता ने संवाददाता सम्मेलन में बता दिया था कि यह समाचार बड़ा अजीब है क्योंकि यह साधारण बुद्धि की बात है कि कोई भी टैंक सही सलामत लगभग २००० मील का पथरीला तथा कठिन रास्ता तय नहीं कर सकता। इस वक्तव्य से कहानी समाप्त हो गई। दिल्ली में फ्रांसीसी समाचार एजेन्सी पर भी इस बात का बल डाला गया कि इनको, समाचार का रूप देने से पहले जांच करना आवश्यक है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या श्री फिलिप मजार, दिल्ली संवाददाता को पहले भी चेतावनी दी गई थी कि वह झूठे तथा गढ़े हुए समाचार न दें तथा यदि हां, तो क्या उनको इस बार भी चेतावनी दी गई है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** इस बार भी उनको चेतावनी दी गई थी। मैं नहीं जानती कि उनको पहले भी चेतावनी दी गई थी।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** जब पी०टी० आई० को यह समाचार मिला था तब क्या उन्होंने सरकार से इसकी जांच की थी तथा यदि नहीं, तो क्यों ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** मैंने मुख्य उत्तर में बताया कि सरकार ने इसको रद्द नहीं किया था।

†**श्री हेम बरुआ :** न्यूयार्क टाइम्स, लन्दन आब्जर्वर, तथा यह समाचार सेवा इस प्रकार की राजनीतिक चालें चलते हैं तो क्या सरकार समाचारों का पूर्व-विवाचन करने की कोई प्रक्रिया अपनायेगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** जी नहीं। सरकार का विचार पूर्व-विवाचन करने का नहीं है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या यह समाचार चुनाव के समय राजनीतिक उद्देश्य से जारी किया गया था और सरकार इसको २५ फरवरी, १९६२ को ही रद्द कर पाई ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** हम उद्देश्य नहीं जानते परन्तु ऐसा चुनावों के समय हुआ था।

रानीगंज कोयला क्षेत्रों में श्रमिक स्थिति

+

†*११३०. **श्री दाजी :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि रानीगंज कोयला क्षेत्रों में श्रमिक स्थिति बहुत खिचाव-पूर्ण व अशांत है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)**: (क) रानीगंज कोयला क्षेत्र की कुछ खानों में हाल में ही हिंसा की कुछ घटनायें हुई थीं। इस क्षेत्र मे स्थिति अशांत नहीं है।

(ख) ५ मई, १९६२ को एक त्रिदलीय बैठक बुलाई गई थी जिसमें यह निर्णय किया गया था कि यदि संघ और प्रबन्ध अपनी-अपनी कमियों को ठीक नहीं कर लेते हैं और छः महीनों मे कोयला खान में शान्ति तथा व्यवस्था नहीं हो जाती है तो सरकार मामले की जांच के लिये एक उच्च शक्ति वाला आयोग नियुक्त करेगी।

†**श्री दाजी** : क्या सरकार जानती हैं के इस त्रिदलीय बैठक के बाद इस क्षेत्र के खान और कोयला खान क्षेत्रों में वही बुरे काम होते रहे जिनको रोकने के लिये वह बैठक बुलाई गई थी ? इसके विरोध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)**: बैठक ५ मई को हुई थी और तब से अब तक अधिक समय नहीं बीता है। उन निर्णयों के आधार पर कुछ कार्यवाही की जानी है और वह की जा रही है। अशांती तथा कानून और व्यवस्था के बारे में बहुतसी बातें कही गई हैं। परन्तु वस्तुतः जब हमने कार्मिक संघों समेत पक्षों से बातचीत की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में यदि कुछ हुआ हो तो उसकी सूचना हमें अथवा मामले की जांच के लिये वहां पर नियुक्त पदाधिकारी को जरूर मिलनी चाहिये।

†**श्री दाजी** : मंत्री महोदय ने जो जानकारी मांगी वह मैंने स्वयं संघ की ओर से उन्हें दी थी। क्या मंत्री महोदय ने उन शिकायतों पर विचार किया और कोई कार्यवाही की ?

†**श्री नन्दा** : उन्होंने किस तिथि को मुझे जानकारी दी थी ?

†**श्री दाजी** : एक सप्ताह पहले मैंने मंत्री महोदय को दी थी।

†**श्री नन्दा** : मैं देखूंगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि आधुनिक सतग्राम कोयला खान विवाद निबटने के समय दिये गये आश्वासनों को अभी तक लागू नहीं किया गया है तथा यदि हां, तो इन मालिकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री नन्दा** : सम्मेलन में किये गये निर्णय अथवा सिफारिशें यही हैं। यह इस कोयला खान मे स्थिति के बारे में ही है तथा इसके द्वारा माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर भी मिल जाता है।

†**श्री काशीनाथ पांडे** : अशांत वातावरण की जिम्मेदारी मालिक तथा मजदूर दोनों पर है अथवा केवल मालिकों पर ?

†**श्री नन्दा** : जांच हो रही है। मैं पहले से ही नहीं बता सकता।

†**श्री प्रभात कार** : माननीय मंत्री ने बताया कि यदि छः महीने के अन्दर कानून तथा यवस्था नहीं सुधरती है तो सरकार उच्च शक्ति वाली जांच समिति बनायेगी। समस्या मालिक तथा मजदूर की है। मालिक के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय सरकार उच्च शक्ति आयोग क्यों नियुक्त करने का प्रयत्न कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नन्दा** : जो कार्यवाही करना आवश्यक है वह की जा रही हैं और आगामी छः महीनों में की जायेगी। स्थिति सुधारने के लिये मैंने बताया एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ न किया जा रहा हो। आशा है कि आयोग नियुक्त करना आवश्यक नहीं होगा।

जूट मिलें

†*११३१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जूट मिलों का आधुनिकीकरण करने और जूट का निर्यात बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही को गई है या की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

जूट उद्योग में कताई तक आधुनिकोकरण कर दिया गया है। इस कार्य के लिये सरकार ने एन० आइ० ई० सी० के द्वारा ७.१६ करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिलों को स्वीकार की थी। कताई के बाद के कामों का आधुनिकीकरण करने के लिये तीसरी योजनावधि में ऋण सहायता दी जाती रहेगी। सरकार का विचार मिलों की स्पिनिंग क्षमता के विस्तार जिसमें शिफ्ट के आधार पर सभी करघों की वीविंग क्षमता उतनी ही हो जाये, की अनुमति देने का है तथा कार्पेट बेकिंग कपड़े का निर्यात बढ़ाने के लिये अतिरिक्त बड़े करघे लगा कर उत्पादन को प्रोत्साहन देने का भी है। मशीनों तथा बड़े करघों का आयात करने के लिये विदेशी मुद्रा दी जा रही है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : आधुनिकीकरण कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कताई विभाग में आधुनिकीकरण हो चुका है। परन्तु अब हम जूट कताई क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं तथा वीविंग और बेक प्रोसेस का आधुनिकीकरण कर रहे हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कताई विभाग में पूरा हो चुका है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : तीन क्रम हैं। पहला क्रम पूरा हो चुका है। दूसरा तथा तीसरा क्रम कब तक पूरे हो जायेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : तीन क्रम नामक ऐसी कोई चीज नहीं है। मैंने बताया कताई भाग का आधुनिकीकरण हो चुका है। वीविंग में बड़े करघे लगाये जा रहे हैं तथा पुराने करघों के स्थान पर नये करघे लगाये जा रहे हैं तथा स्पिनिंग और प्रोसेसिंग में बेक प्रोसेस का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। यह सब तीसरी योजना के अन्त तक अथवा संभवतया तीसरी योजना के चौथे वर्ष तक पूरा हो जाने की आशा है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह बताया गया कि उत्पादन मे व्ययवर्तन होगा। म जानना चाहता हूँ कि व्ययवर्तन किस प्रकार का होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : व्ययवर्तन कार्यक्रम यह है कि लिनोलियम क्लाथ, रबड़वाला बेकिंग क्लाथ, प्लास्टिक का अढ़ेशियन क्लाथ तथा कार्पेट बनाने के लिये बड़े करघे आदि लगाना । इनका उपयोग अधिकांशतः अमरीका में होता है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ**: जब आधुनिकीकरण पूरा हो जायेगा तब पाकिस्तान तथा अन्य देशों से प्रतिद्वन्द्विता के कारण विदेशों को बिक्री से कितनी आय होगी ?

†**श्री मनुभाई शाह**: अधुनिकीकरण तथा विस्तार हो जाने के बाद उद्योग को लगभग २५ करोड़ से ३० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा मिल जायेगी । जहां तक अन्य देशों से प्रतिद्वन्द्विता का संबंध है हम इस बात का प्रयत्न करते हैं कि जो भी चीज हम बनायें उसमे हमारा नेतृव रहे ।

†**श्री प्रभात कार** : आधुनिकीकरण तथा नई योजना लागू करने के परिणामस्वरूप जट मिलों में कितने मजदूर फालतू घोषित हो जायेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कोई नहीं ।

†**श्री हेडा** : क्या सरकार ने बढ़ी हुई क्षमता का निर्णय करा लिया है और यदि हां, तो क्या नई मिलें विभिन्न राज्यों में स्थापित होंगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : नई मिलें स्थापित नहीं होंगी । वर्तमान मिलों की कताई क्षमता १५ प्रतिशत बढ़ जायेगी ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि जूट मिल्स का मौडर्नाइजेशन और ऐक्सपैंशन हो जाने के बाद जूट ग्रोअर्स पर क्या असर पड़ेगा और वफर स्टाक हमारा सरकार कितना बढ़ा देगी ?

श्री मनुभाई शाह : यह तो जूट ग्रोअर्स की ही तरफ है । उसके दाम ज्यादा से ज्यादा मिलें। मेम्बर साहब को पता है । उसकी कोशिश कर रहे हैं । वफर स्टाक एजेंसी ने ५ लाख मन जूट खरीदी है और सरकार उसमे और भी मदद करने को तैयार है ।

श्री फ० गो० सेन : क्या यह बात सही है कि सरकार २ लाख रुपये की जूट बाहर भेज रही है और अगर बाहर भेज रही है तो क्यों भेज रही है ?

श्री मनुभाई शाह : ऐसी मुश्किलात नहीं थीं लेकिन चूंकि हम फौरेन एक्सचेंज अर्न करना चाहते हैं और चूंकि वह हमारे काम नहीं आती थीं इसलिये हमने २ लाख गांठ ऐक्सपोर्ट करने का निश्चय किया है और उसकी इजाजत दे दी ।

†**डा० रानेन सेन** : क्या यह सच नहीं है कि भारतीय जूट मिल्स संस्था ने घोषणा कर दी है कि आधुनिकीकरण के पश्चात् लगभग ६०,००० मजदूर फालतू घोषित हो जायेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमें ऐसी किसी घोषणा की सूचना नहीं है । परन्तु माननीय सदस्य जानते हैं कि एक कार्यवहन समझौता है जिसके कारण कोई भी मजदूर फालतू घोषित नहीं किया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रशासन

†*११३२. { श्री भागवत झा आजाद :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री भक्त दर्शन : }

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने योजना आयोग के एक भूतपूर्व उप-प्रधान से निवेदन किया था वह इस बात का अध्ययन करके रिपोर्ट दें कि प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिये क्या कार्यवाही की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या रिपोर्ट दे दी गई है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)**: (क) और (ख). योजना आयोग की प्रार्थना पर, श्री वी० टी० कृष्णमाचारी दो प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन करने में लगे हुये हैं, (क) राज्यों में विभिन्न स्तरों पर प्रशानिक कर्मचारियों सम्बन्धी प्रश्न और (ख) खण्ड तथा जिला स्तर पर प्रजातंत्रीय संस्थाओं की स्थापना से उत्पन्न प्रशासनिक समस्याएं। श्री कृष्णमाचारी ने राज्य सरकारों के साथ बातचीत और चर्चा सम्पन्न कर ली है। उनका प्रतिवेदन तैयार हो रहा है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या उन्होंने इस बात का कोई संकेत दिया है कि वह कब तक अपना प्रतिवेदन पेश कर दगे ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि शीघ्र ही।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समय जो प्रशासन की व्यवस्था है, उसमें कौन सी खास अड़चन आई, जिसकी वजह से यह अध्ययन कराया जा रहा है ?

योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) : थर्ड फाइव-योअर प्लान के डाकुमेंट में ही बहुत सी नई बातें उसमें दाखिल की गई थीं, जिनके बारे में ज्यादा जांच करने को जरूरत थी। उसका एक हिस्सा उन को सौंपा गया है।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या यह सही है कि योजना आयोग ने प्रशासनिक सुधार के लिये विशेष प्रार्थना की है ताकि तीसरी योजना ३६ सुधारों के लागू किये जाने के पश्चात् कार्यान्वित की जा सके ? क्या कोई कार्रवाई की जा रही है ताकि प्रशासनिक सुधारों से तीसरी योजना को लाभ पहुंच सके ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : अब विचाराधीन प्रश्न यह है कि पहला प्रश्न प्रशासनिक कर्मचारियों सम्बन्धी और प्रजातंत्री पंचायत राज तथा अन्य बातों के लागू किये जाने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का प्रश्न। और बहुत सी नियुक्तियां करनी हैं। बहुत अधिक तहसीलदार और डिप्टी कलक्टर नियुक्त करने हैं। बहुतेरे अफसरों को विभिन्न विकास खंडों में जाना है और प्रशिक्षण प्राप्त करना है। ये सब इसके अंग हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या स्वयं योजना आयोग ने यह इच्छा की थी कि प्रशासन में कुछ सुधार होने चाहियें, ताकि तीसरी योजना की कार्यन्विति अधिक सुगमता-पूर्वक आगे बढ़ सके ?

†**श्री नन्दा** : जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : इस विषय का गृह-कार्य मंत्रालय से अधिक सम्बन्ध है । मैं हैरान हूं कि आया गृह-कार्य मंत्रालय से परामर्श किया गया है या योजना आयोग ने गृह-कार्य मंत्रालय की उपेक्षा करना आरम्भ किया है ?

†**श्री नन्दा** : जी नहीं । यह गृह-कार्य मंत्रालय तथा प्रधान मंत्री के परामर्श से किया गया था ।

उड़ीसा में तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास

†*११३४. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी इस उद्देश्य से उड़ीसा गया था कि वहां तिब्बत के शरणार्थियों को पुनः बसाने की संभावनाओं का पता लगाये ;

(ख) उसके वहां जाने का क्या फल निकला ;

(ग) वहां ऐसे कितने शरणार्थियों के बसने की आशा है ; और

(घ) क्या तिब्बत के शरणार्थियों को धर्मशाला में बसाने की मूल योजना में परिवर्तन हो गया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). उड़ीसा सरकार उड़ीसा के गंजम जिले में लगभग ५००० तिब्बती शरणार्थियों को बसाने की संभावयता की खोज कर रही है ।

(घ) तिब्बती शरणार्थियों को धर्मशाला में बसाने की कोई योजना नहीं है ।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या सरकार ने गर्म प्रदेशों में तिब्बती शरणार्थियों को बसाने की वांछनीयता का विचार किया है और क्या उनके लिये गर्म क्षेत्रों में उनको बसाना सुविधाजनक होगा ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : इस मामले की व्याख्या की जा चुकी है । हमारे उपसचिव उस स्थान पर गये थे और उन्होंने उड़ीसा सरकार के साथ परामर्श किया गया था, जिन्होंने ५००० तिब्बती शरणार्थियों को बसाने के लिये पर्याप्त भूमि देना स्वीकार कर लिया है ।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या माननीय मंत्री का ध्यान हिन्दुस्तान टाइम्स में आज प्रकाशित इस समस्या की ओर दिलाया गया है कि तिब्बती शरणार्थी बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल में घुस रहे हैं, क्या यह सच है और क्या कार्रवाई की जा रही है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं ने रिपोर्ट देखी है, किन्तु मुझे इसके बारे में कुछ अधिक पता नहीं है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या दलाई लामा ने तिब्बती राज्य के भूतपूर्व प्रमुख की अपनी हैसियत में भारत में तिब्बती शरणार्थियों को बसाने की लागत के लिये कोई बड़ा अंशदान दिया है, और यदि हां, तो उन्होंने अनुमानतः कितना अंशदान दिया है या कम से कम उनका अंशदान, भारत में तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास पर होने वाली कुल लागत का कितने प्रतिशत होता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : दलाई लामा ने तिब्बती बच्चे के पुनर्वास के लिये कुछ मात्रा तक अंशदान दिया है और धर्मशाला में या वह इस समय जहां कहीं हैं, बहुतेरे बच्चे गये हैं। वास्तव में वे स्विटजरलैंड में प्रसिद्ध बच्चों के गांव, पेस्टालोत्ती के समान कुछ सीमा तक बच्चों का एक गांव खोलने का विचार कर रहे हैं। किन्तु मैं नहीं कह सकता कि कुल लागत में उन के अंशदान का कितना अनुपात है; मैं समझता हूं कि अंशदान तुलना में काफी कम है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या महामान्य दलाई लामा अथवा उन के प्रतिनिधियों ने उस स्थान का स्वयं निरीक्षण किया है, ताकि कहीं ऐसा हो कि तिब्बती शरणार्थी उसे पसन्द न करें ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जब कोई स्थान चुनने की सिफ़ारिश होती है, तो वहां दलाई लामा जी के कोई न कोई प्रतिनिधि जाते हैं और देखते हैं और उन की सलाह से स्थान चुना जाता है ।

श्री सरजू पाण्डेय : इस समय तिब्बत के कितने शरणार्थी भारत में मौजूद हैं और उन पर भारत सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं इस वक्त तो नहीं बता सकता, लेकिन उन को बनाने की पूरी जिम्मेदारी हमारी है । इस सिलसिले में जो कुछ उचित समझा जाता है, खर्च किया गया है और खर्च किया जायेगा। जैसा कि अभी कहा गया है, उस में दलाई लामा जी ने खुद ही कुछ सहायता दी है । कुछ और देशों से---आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमरीका से---भी हमें सहायता मिली है ।

†**श्री प्र० के० देव** : क्या मेरे राज्य में ५००० शरणार्थियों को बसाने का लागत भारत सरकार को देनी होगी या राज्य सरकार को।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : पूर्णतः हम देखेंगे ।

तथाकथित "आजाद काश्मीर" के प्रेसीडेंट की धमकी

+

†*११३५. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के प्रैसीडेंट के उस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है जो उन्होंने बी० बी० सी० के एक संवाददाता के साथ एक भेंट में दिया था कि उन की सरकार ने शेष काश्मीर को प्राप्त करने के लिये अल्जीरियायी ढंग से लड़ने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) इस आशय का समाचार पत्रों में देखा गया है ।

(ख) यदि ऐसी कोई धमकी कार्यान्वित हुई, तो उसका उचित मुकाबला किया जायेगा।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सही है कि युद्ध विराम रेखा की पाकिस्तानी और सैनिक शक्ति मजबूत कर दी गई है और यदि हां, तो किस सीमा तक ? भारत सरकार ने युद्ध विराम रेखा के भारतीय और सुरक्षा उपायों को कड़ा करने के लिये क्या कार्रवाई की है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : सरकार के पास उस क्षेत्र में किसी भी आकस्मिकता का मुकाबला करने के लिये पर्याप्त साधन हैं, जिसकी उचित पूर्व कल्पना की जा सकती है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : समय समय पर ऐसी धमकियां दी जाती रहती हैं, इन को देखते हुए, क्या यह मामला पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया गया है मंत्री स्तर पर या सचिवों के स्तर पर या सामान्य राजनयिक साधनों के द्वारा और यदि हां, तो क्या पाकिस्तान ने तथाकथित 'आजाद काश्मीर' के प्रधान के कृत्य और शब्दों की जिम्मेदारी लेने से इंकार किया है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : जब युद्ध विराम रेखाओं का अतिक्रमण होता है, संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्राधिकारियों के पास विरोध प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है । यदि वह किसी तरह का भाषण देता है और यदि यह गंभीर होता है, सरकार विरोध करती है । यदि यह किसी प्रकार की धमकी होती है जैसी सुरक्षा परिषद् में श्री जफरुला खां ने दी थी, हम उपयुक्त उत्तर देते हैं। यदि हमारे राज्य क्षेत्र का अतिक्रमण करने का प्रयत्न किया जाता है, तो जैसा कि माननीय मंत्री ने पहले बताया है, इस का उपयुक्त मुकाबला किया जाता है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या पाकिस्तान सरकार ने इस सम्बन्ध में तथाकथित 'आजाद काश्मीर' के प्रधान के बयान की सब जिम्मेदारी लेने से इन्कार कर दिया है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : जहां तक मुझे पता है, अभी तक तो नहीं।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या यह सही नहीं है कि तथाकथित 'आजाद काश्मीर' नेता को पाकिस्तान द्वारा उकसाया जाता है और यदि हां, तो यदि ऐसी धमकी कार्यान्वित हो जाती है तो क्या भारत सरकार उस कठिनाई को करने के लिये 'आजाद काश्मीर' को कसाने के लिये पाकिस्तान के विरुद्ध भी कार्रवाई करेगी ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैं ने बताया है कि यदि हमारे राज्य क्षेत्र का अतिक्रमण होता है, चाहे किसी भी ओर से हो, इसका मुकाबला हमारी पूरी क्षमता से किया जायेगा।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या सरकार को सूचना मिली है कि युद्ध विराम रेखा के दूसरी ओर इस धमकी को अमल में लाने के लिये तैयारियां की जा रही हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : यह निश्चित है कि सरकार को सूचना हमेशा किसी न किसी स्रोत से मिलती रहती है और वह इसका उचित उपाय करती है । इस समय ऐसी कोई सूचना

---

†मूल अंग्रेजी में

नहीं मिली कि वे कल प्रातः ही हमारे राज्य क्षेत्र में घुस आने वाले हैं। किन्तु हमें किसी भी आकस्मिकता के लिये तैयार रहना पड़ता है ।

†**श्री श्याम लाल शर्राफ :** क्या सरकार को पता है कि तथाकथित 'आजाद काश्मीर' क्षेत्र में चौधरी अब्बास के सभापतित्व में एक मुस्लिम सम्मेलन यह उद्घोषणा कर रहा है कि वह अपने स्वयं सेवकों को गड़बड़ी करने के लिये युद्ध विराम रेखा के इस ओर भेज रहे हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** मैंने एक सशस्त्र आक्रमण के सम्बन्ध में बताया है कि इस प्रकार के किसी भी अतिक्रमण का उचित मुकाबला किया जाएगा। अन्य अतिक्रमण का मुकाबला, जम्मू- व काश्मीर राज्य के असैनिक प्रशासन द्वारा किया जाएगा। प्रतिरक्षा सेवाओं द्वारा जिस किसी सहायता की आवश्यकता होगी, वह सामान्य प्रक्रियाओं के अनुसार उन को दी जाएगी।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या यह सही है कि तथाकथित 'आजाद काश्मीर' का प्रधान अपने आप को पाकिस्तान से स्वतंत्र समझता है और वह समझता है कि वह भारत सरकार से सीधी बातचीत कर सकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह जो कुछ अपने बारे में सोचता है क्या इसका उत्तर यहां माननीय मंत्री देंगे ?

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार का ध्यान तथाकथित 'आजाद काश्मीर' के प्रधान के २० मई के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि यदि लोक मत संग्रह नहीं किया गया तो स्थिति युद्ध विराम से पहले वाली हालत हो जाएगी और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस तर्क की वैधता पर विचार किया है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** उस ने इस प्रकार के कितने ही बयान दिये हैं। हम केवल वक्तव्यों के आधार पर युद्ध नहीं छेड़ सकते। यदि उसके बाद कोई कार्यवाई होती है तो हम बुद्धि और समझदारी के साथ उनका मुकाबला करेंगे।

†**श्री प्र० के० देव :** क्या थाई लैंड में अमरीकी फौजों के आ जाने में लाओस में विस्फोटक स्थिति और खराब हो गई है या क्या यह हालत के ठीक करने में सफल रही है ?

†**श्री दिनेश सिंह :** यह अमरीकी फौजों का आना सर्वथा भिन्न मामला है।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह अपना २ मत है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या समाचारपत्रों के इस समाचार में कुछ सत्य है कि नियंत्रण आयोग के प्रधान श्री प्रार्थसार्थी ने, दक्षिण राज्यों में उत्तर वियत नाम के आक्रमणकारी या तोड़-फोड़ के कारनामों का साक्षय या प्रमाण प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो इस के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**श्री दिनेश सिंह :** यह सर्वथा भिन्न प्रश्न है ।

प्रश्न काल समाप्त हुआ

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

कोठागुडियम में कोयला खानों के गोरखपुरी कर्मचारी

+

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२. { श्री काशीनाथ पाण्डे :
श्री मूल चन्द दुबे :
श्री विश्वनाथ पाण्डे :
श्री सिंहासन सिंह :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि कोठागुडियम (आंध्र प्रदेश) में कोयला खानों में काम करने वाले गोरखपुरी कर्मचारियों को सेवाएं सामूहिक रूप से समाप्त कर दी गई हैं क्योंकि वे उत्तर प्रदेश के निवासी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रादेशिक भावना के कर्मचारियों को बचाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राज्यों द्वारा करारोपण

†*१११५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्य सरकारों ने, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उनके लिये निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार, नये कर लगा कर पूरा पूरा राजस्व प्राप्त कर लिया है ; और

(ख) कौन कौन से राज्य ऐसा नहीं कर सके हैं और प्रत्येक के सम्बन्ध में कितनी कमी रही ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३९**]

खान श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजूरी

†*११२०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खानों को छोड़ कर दूसरी खानों, खास कर कच्चे लोहे की खानों, में काम करने वाले श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजूरी अभी तक क्यों नहीं निर्धारित की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि उन्होंने औद्योगिक समिति की बैठकों (कोयला खानों को छोड़ कर) में, जो १९५८ और १९६१ में हुई थी, छः महीने के अन्दर इसे कार्यान्वित करने का वचन दिया था ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) देर के क्या कारण हैं ।

(घ) क्या भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने ठेका प्रणाली बन्द करने और इन खानों में काम की दशाओं में सुधार करने की मांग की है ; और

(ङ) मैंगनीज़ उद्योग के सम्बन्ध में त्रिदलीय जांच करने के प्रस्ताव के विषय में क्या प्रगति हुई है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ बहुत सीमित मात्रा तक खनन संस्थानों पर लागू होता है, इस समय यह केवल अभ्रक खानों और पत्थर निकालने की खानों पर लागू होता है। अतः अधिनियम अन्य खनन संस्थानों पर लागू नहीं होता ।

(ख) यद्यपि ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं की गई थी, अप्रैल, १९६१ में हुई बैठक में स्वीकार किया गया था कि काम शीघ्रतापूर्वक समाप्त किया जाये ।

(ग) इसके लिये विविध सांख्यकी के ध्यानपूर्वक परीक्षण की जरूरत थी ।

(घ) जी हां ।

(ङ) कोयले से भिन्न खानों सम्बन्धी औद्योगिक समिति की आगामी बैठक में इस विषय पर चर्चा किये जाने की आशा है ।

आन्ध्र प्रदेश में माइकेनाइट कारखाना

†*११२१. **श्री यलमंदा रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के अभ्रक खनन क्षेत्र में एक माइकेनाइट कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना कब चालू होगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) ऐसी कोई प्रस्थापना हमारे सामने नहीं है ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड

†*११२७. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल बिल्डिंग कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड (राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम) ने स्थापना से ले कर अब तक कितना काम किया है ; और

(ख) वह उस हालत में, जब कि टेन्डर न आ रहे हों या वे बहुत ही अधिक ऊंचे हों, सरकारी काम की जिम्मेदारी कहां तक ले सका है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) नवम्बर, १९६० में इसके आरंभ होने से लेकर, निगम ने ८२ ०.४१ लाख रुपये के मूल्य के काम आरंभ किये हैं।

(ख) इम्फाल और पांडीचेरी में, निगम तब आया जब केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अपने काम करवाने के लिये ठेकेदार प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव कर रहा था। अन्य स्थानों पर निगम को टेके या तो अपने अपने टेंडर सबसे कम लागत के होने के कारण मिले या बातचीत द्वारा तय दर स्वीकार करने के कारण मिले, जो काम देने वाले अभिकरणों द्वारा उचित समझे गये।

दक्षिण रोडेशिया

*†११३३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने दक्षिण रोडेशिया को स्वतंत्रता देने के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र संघ में चर्चा करने पर जोर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने देशों द्वारा भारत का समर्थन किया गया है या किये जाने की आशा है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). १७ की विशेष समिति में दक्षिण रोडेशिया सम्बन्धी चर्चाओं के दौरान, भारतीय प्रतिनिधि ने प्रस्ताव रखा कि समिति महासभा को यह सुझाव दे कि वह इस प्रश्न पर यथाशीघ्र तथा पुनः बुलाये गये १६वें सत्र में ही विचार करे। अधिकांश प्रतिनिधियों ने भारतीय सुझाव का समर्थन करते हुए कहा कि इस प्रश्न पर पुनः बुलाये गये १६ वें सत्र में या एक आकस्मिक सत्र में महासभा में विचार किया जाना चाहिये।

लाओस की स्थिति

†*११३६. **श्री प्र० के० देव :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यो० ना० सिंह :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 'नाम था' पर साम्यवादी सेना का अधिकार होने के बाद लाओस की बिगड़ती हुई स्थिति की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या भारत को लाओस के लिये अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के प्रधान होने के नाते कोई ऐसा सुझाव मिला है कि वह लाओस में हस्तक्षेप करे और किसी भी ओर से गृह युद्ध पुनः आरम्भ कराने वाली परिस्थितियों की घटनास्थल पर जांच करके वहां की स्थिति को ज्यों का त्यों रखे और ;

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) भारत सरकार ग्जींग खोआंग सेनाओं के सामने नाम की पराजय के समाचार पढ़े हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग) लाओस के लिये अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के सभापति के तौर पर भारत का सम्बन्ध शक्तियों, प्रमुख रूप से जेनेवा सम्मेलन के सह-सभापति के साथ पत्र व्यवहार रहा है ताकि लाओस में युद्ध विराम को मजबूत किया जाए ।

संसद के लिये मुद्रणालय

†*११३७. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् के लिये एक अलग मुद्रणालय बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो मामला कहां तक पहुंचा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी हां ।

(ख) परियोजना का ब्योरा तैयार किया जा रह है ।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

पंजीबद्ध बेरोजगार लोगों को सहायता

†*११३८. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ऐसे बेरोजगार लोगों को कुछ अन्तरिम सहायता देने की योजना विचाराधीन है जिन्हें काम दिलाऊ दफ्तर रोजगार नहीं दिला सके हैं यद्यपि उन्होंने अपना नाम एक वर्ष से भी अधिक समय पहिले लिखाया था ?

†**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : जी नहीं ।

विद्रोही नागा

†*११३९. **श्री राम सेवक यादव** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री ए०जड० फिजोने हाल में दो तार (केबल्स) नागालैंड अन्तरिम निकाय के चीफ एक्जीक्यूटिव काउंसिलर और चेयरमैन को भेजे हैं जिनमें छिपे हुये नागाओं को क्षमादान देने की प्रार्थना की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या उत्तर है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री स० चु० जमीर)**: (क) लन्दन से २ मई १९६२ को श्री फिजो की एक तार अन्तरिम निकाय के सभापति टी० एन० अंगामी, मुख्य कार्यपालिका सलाहकार श्री शिलू आओ, और कार्यपालिका सलाहकार श्री जासोकी को प्राप्त हुई थी । तार रोमन लिपि में अंगामी बोली में लिखी हुई थी । छिपे हुये नागाओं को क्षमादान देने के संबंध में तार में कुछ नहीं लिखा था ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में मजूरी का ढांचा

†*११४०. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी:**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में मजूरी का ढांचा गैर-सरकारी क्षेत्र में मजूरी के ढांचे की तुलना में कैसा है ; और

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र में मजूरी के ढांचे और वास्तविक मजूरी में कोई परिवर्तन करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में मजूरी संबंधी सामान्य तुलना अभी तक नहीं की गई है और न ही ऐसा करना संभव है ।

औद्योगिक न्यायाधिकरणों या सरकारी तथा गैर-सरकारी इकाइयों के लिये सांझे किसी विशिष्ट उद्योग उदाहरणार्थ कोयला, में नियुक्त मजूरी बोर्डों के पंचाटों द्वारा अपेक्षित या संकेतिक मात्रा तक की बा त को छोड़कर सरकारी उपक्रमों में मजूरी में कोई परिवर्तन करने का इस समय सरकार का कोई इरादा नहीं है ।

बम्बई में पेनिसिलीन की कमी

†*११४१. **श्री कजरोलकर :**
श्री व० बा० गांधी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इस समय कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधीन बम्बई में पंजीबद्ध बीमा डाक्टरों को पेनिसिलीन बहुत कम मात्रा में मिल रही है ;

(ख) यदि हां, तो उस कमी के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि पहले भी ऐसी ही कमी रही थी ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी बार ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री काननगो)** : (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). १ से ५ मई, १९६२ तक के पांच दिनों में, अनुमोदित कमिस्टों और तशखीस करने वाले केन्द्रों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत बम्बई में संभरण के लिये केवल एक

---

†मूल अंग्रेजी में

विशिष्ट प्रकार की शीशियों में पेंनीसिलीन प्रोकेन के संभरण की कमी थी अर्थात् ४ लाख यूनिट शीशी की कमी थी। इसका कारण यह था कि ऊपर लगाने वाले लेबलों के आने में कुछ विलम्ब हो गया था, हालांकि माल गुण प्रकार नियंत्रण अनुभाग द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था।

(ख) जी नहीं।

(घ) सवाल पदा नहीं होता।

वियना में एक भारतीय राजनयविज्ञ की मृत्यु

†*११४२. **श्री हो० ना० मुकर्जी :**
श्री प्रभात कार :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान ब्रिटेन के साप्ताहिक समाचार पत्र "टौपिक" (१२ मई १९६२) में "दी ग्रेट गोल्डन मर्डर मिस्टरी" शीर्षक के अधीन प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि आस्ट्रिया स्थित भारतीय राजदूत, श्री अजय कुमार मित्रा, की विदेश में रहस्यपूर्ण मृत्यु संबंधी जांच से सोने के तस्कर व्यापार संबंधी एक कूटयोजना का रहस्य खुला है, जिसका मृत राजनयविज्ञ ने पता लगाया था ;

(ग) क्या श्री मित्रा द्वारा सरकार को दी गई जानकारी में अनेक व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हैं, जिनमें कुछ उच्च प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति भी हैं ;

(घ) क्या कोई गिरफ्तारी की गई है ; और

(ङ) कार्रवाई इस समय किस प्रक्रम पर है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी. नहीं।

(ङ) २३ मार्च, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०५ के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

वियना पुलिस अपनी जांच करती है ; उनकी अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

महालक्ष्मी टैक्सटाइल मिल्स, त्रिचूर

†*११४३. **श्री वारियर :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल्स, त्रिचूर के मालिक और प्रबन्धक बदल गये हैं ;

(ख) क्या श्रमिकों को दी जाने वाली भविष्य निधि की राशि दे दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) :** (क) जी हां ।

(ख) पुनः आरम्भ की गई फैक्टरी में पुनः भर्ती न किये गये सदस्यों के हिसाब चुकाये जा चुके हैं । पुनः भरती किये गये लोगों के वेतन आदि के निपटाने का सवाल नहीं पैदा होता ।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

चीन की ओर से भारतीय अतिक्रमण सम्बन्धी आरोप लगाने वाला विरोध-पत्र

†*११४४. { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन ने पीकिंग स्थित भारतीय राजदूतावास को ११ मई, १९६२ को एक पत्र दिया है जिसमें भारत-चीन सीमा के पश्चिम क्षेत्र में भारतीय सेनाओं द्वारा हाल के अतिक्रमण तथा प्रकोपन के विरुद्ध विरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस विरोध-पत्र में क्या विशिष्ट आरोप लगाये गये हैं ; और

(ग) उसके बारे में सरकार का क्या उत्तर है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) जी हां ।

(ख) चीनी पत्र में यह कुछ था जो सर्वथा निराकार और असत्य आरोप हैं :—

(१) कि २ मई को २० भारतीय दस्तों ने चेचीतुंग में स्थापित एक नई चीनी सैनिक चौकी से लगभग ४ किलोमीटर पर ३३° २८.३०/एन, ७८° ५०.३०/ई० के स्थान पर अतिक्रमण किया ।

(२) कि अतिक्रमणकारी भारतीय दस्तों ने उस क्षेत्र में एक सैनिक चौकी भी कायम की है ।

(३) ५ मई को २ भारतीय सिपाही क्षेत्र में ६०० मीटर अन्दर घुस आये और उन्होंने चीनी चौकी पर तीन गोलियां चलाईं ।

(ग) चीनी पत्र और उसके उत्तर दोनों सभा पटल पर रखे जाते हैं । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४०]

---

†मूल अंग्रेजी में

भूस्वामी-किसान सम्बन्धी अधिनियम

†*११४५. { श्री अ० क० गोपालन :
श्री उमानाथ :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री अ० व० राघवन :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि वह भू-स्वामी किसान संबंध अधिनियम की कार्यान्विति के संबंध में संविधान में संशोधन करे ;

(ख) यदि हां, तो उनके प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के किसी अधिकारी ने हाल ही में केरल सरकार के विधि तथा राजस्व मंत्री के साथ कोई बातचीत की थी ?

†योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) केरल सरकार में संविधान के अनुच्छेद ३१–क में संशोधन करने का सुझाव दिया है । संशोधन या तो किसी कृषि भूमि में अधिकार प्राप्ति को संरक्षण देते हुये अनुच्छेद ३१–क के खंड (१) के उप-खंड (क) में या केरल राज्य में रैयतवारी भूमि को 'सम्पदा' की परिभाषा के अंदर विशेष रूप से शामिल करने के लिये अनुच्छेद ३१–क के खण्ड (२) में किया जा सकता है ।

(ग) जी हां ।

दिल्ली में नये सिनेमाघर

*११४६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष में दिल्ली में नये सिनेमाघर बनाने की अनुमति दी गई थी ;

(ख) इन नये सिनेमाघरों के बनने पर कुल कितने सिनेमाघर दिल्ली में हो जायेंगे ;

(ग) क्या यह सच है कि नये बनने वाले सिनेमाघरों में कुछ को ऐसे स्थानों पर भूमि दी गई है जहां धर्म मन्दिर और स्कूल पास में हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे मामलों में वैकल्पिक भूमि देने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) ३८ (दिल्ली, नई दिल्ली) ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय सीमा प्रशासन सेवा के लिये मनीपुर, आसाम, नागालैंड और नेफा से अर्जियां

†*११४७. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १६५६, १६६० और १६६१ में भारतीय सीमा प्रशासन सेवा के लिये मनीपुर, आसाम, नागालैंड और नेफा से वहां की सरकारों की मार्फत भेजी गई कितनी अर्जियां प्राप्त हुई थीं ;

(ख) प्रत्येक राज्य से कितने उम्मीदवार इन्टरव्यू के लिये बुलाये गये , और

(ग) कितने चुने गये ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री डा० एरिंग)** : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

	राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई अर्जियों की संख्या	इन्टर्व्यू के लिये बुलाये गये प्रत्याशी	चुने गये प्रत्याशी
आसाम	२५	२	१
नागालैंड	१६	११	२
नेफा	१००	१६	१४
मनीपुर	२३	३	—

अमझोर (बिहार) में गन्धक बनाने का संयंत्र

†*११४८. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री विभूति मिश्र :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमझोर, बिहार में गन्धक बनाने का संयंत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में कुछ प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ;

(ग) क्या इस परियोजना में कोई विदेशी सहयोग है ; और

(घ) यदि हां, तो उस सहयोग की शर्तें क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सफल प्रारम्भिक प्रयोगशाला परीक्षणों के आधार पर नार्वे के मैसर्स ओर कला के अमझोर पाईराइट्स अ स्कों के कारखाने में, उस से सल्फर (गन्धक) बनाने के लिये, कुछ प्रयोग किये गये थे । इस प्रयोगों के सम्बन्ध में ओरकलास प्रतिवेदन से भारतीय अयस्क के परिणाम के लिये ओरकला प्रक्रिया की उपयुक्तता के बारे में अनिश्चितता का पता चला है ।

†मूल अंग्रेजी में

इस लिये कमज़ोर पाईराइटों से गन्धक बनाने का दूसरा वाणिज्यिक दृष्टि से उपयुक्त तरीका मालूम करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

विद्युत चालित कपड़ा फैक्टरियों का बन्द हो जाना

†*११४९. { **श्री वारियर :** **श्री वासुदेवन नायर :** }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विविध भागों में बहुत सी विद्युत् चालित कपड़ा फैक्टरियों ने बन्द होने से पहले अपने-अपने कर्मचारियों को हाल ही में नोटिस जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी फैक्टरियों ने नोटिस दिये हैं और कितने कर्मचारी इससे प्रभावित हुये हैं ; और

(ग) ऐसे संकट को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). १९ विद्युत् करघा फैक्टरियों द्वारा बन्द होने की सूचना दी गई बताई जाती है। कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे इसका पता नहीं है।

(ग) बन्द होने की धमकी का कारण यह है कि उत्पादन शुल्क की दरों में शोधन किया गया है।

अफ्रीका के पुर्तगाली उपनिवेशों में भारतीय

†*११५०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब गणराज्य, जो पुर्तगाल में भारतीय हितों की देखभाल करता है, मोजम्बीक के शिविरों में रोके गये ३,००० भारतीयों के रहन सहन की दशा की जांच कर रहा है ;

(ख) क्या उसने कोई रिपोर्ट पेश की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) से (ग). मोजम्बीक के के शिविरों का, जहां लगभग २२४० भारतीय राष्ट्रीय निरुद्ध किये गये थे, संयुक्त अरब गणराज्य वैटीकन एवं अन्तर्राष्ट्रीय रैड क्रास के प्रतिनिधियों ने निरीक्षण किया है। हमें जो प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है उससे पता चलता है कि वहां भारतीय राष्ट्रजनों की हालत काफी संतोषजनक है। अब क्योंकि वे नजरबन्द लोग रिहा किये जा चुके हैं और भारतीयों की सहायता करने के लिये संयुक्त अरब गणराज्य का प्रतिनिधि जो, मोजम्बीक गया था, अभी उसी राज्य क्षेत्र में है। उसकी अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र का पुनरीक्षण

†*११५१. **श्री महेश्वर नायक :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र का पुनरीक्षण करने के पहले प्रस्ताव में कोई प्रगति हुई है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) क्या उनका ध्यान संयुक्त राष्ट्र के कार्यवाहक महासचिव, श्री य० थान्ट, के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि इस विश्व संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिये संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र के पुनरीक्षण की सर्वाधिक आवश्यकता है ;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या परिवर्तन करने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिये भारत का कुछ विशिष्ठ सुझाव देने का विचार है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) जी नहीं ।

(ख) सरकार ने वक्तव्य के समाचारपत्र रिपोर्टें देखी हैं ।

(ग) कुछ समय पहले से, भारत सरकार ने अनुभव किया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन में कुछ दिशाओं में परिवर्तन की आवश्यकता है । तथापि सरकार ने यह प्रश्न नहीं उठाया है क्योंकि घोषणा-पत्र में संशोधन करने के लिये सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों में एकमत होना चाहिये । और यह वांछनीय था कि जब तक दोनों महान शक्तियों के बीच हालात न सुधरें और ऐसा एकमत होने की उचित गुंजाइश जब तक न हो, तब तक के लिये प्रतीक्षा की जाये ।

(घ) इस समय नहीं ।

रूसी व्यापार शिष्टमंडल द्वारा चाय बागानों का दौरा

†*११५२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में ही एक रूसी व्यापार शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या शिष्टमंडल के कुछ सदस्य दार्जिलिंग और दुआर के चाय बागानों में भी गये थे ;

(ग) क्या रूस के साथ भारतीय चाय व्यापार बढ़ाने की सम्भावनाओं के बारे में शिष्टमंडल से बातचीत हुई थी ; और

(घ) यदि हां, तो क्या परिणाम निकले ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). सवाल पैदा नहीं होता ।

जूट बफर स्टाक एसोसिएशन

†*११५३. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय जूट मिल संघ के प्रधान के ११ मई, १९६२ के वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें उन्होंने कच्चे जूट के ३० रुपये प्रतिमन के न्यूनतम मूल्यों की आलोचना करते हुये उन को 'अवास्तविक' बताया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या जूट बफर स्टाक एसोसियेशन पिछले कुछ दिनों से जूट न्यूनतम मूल्यों से भी कम मूल्य पर खरीद रहा है ; और

(ग) सरकार का विचार बफर स्टाक योजना में जूट उत्पादकों का विश्वास बनाये रखने के लिये क्या कार्यावाही करने का है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी हां। भारतीय पटसन मिल संस्था बहुत देर से ये विचार व्यक्त कर रही है।

(ख) बफर स्टाक संस्था ने प्रमुख रूप से प्रचलित बाजार भाव पर घटिया किस्म की पटसन खरीदी थी जो संतोषजनक रही है।

(ग) मूल्यों को स्थिर रखने के लिये बफर स्टाक खरीद को तेज करने के लिये किये गये उपायों के अतिरिक्त, सरकार ने घटिया किस्म के पटसन की दो लाख गांठों का निर्यात करने देने का फैसला किया है। इन उपायों के परिणामस्वरूप आसाम में निम्नतम मूल्य २७ रुपये मन से बढ़ कर २९ रुपये मन हो गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य

†*११५४. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुल कितना अन्तर्राज्यीय वाणिज्य होता है ;

(ख) क्या अन्तर्राज्यीय वाणिज्य बढ़ाने तथा मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार स्थायी संविहित आधार पर अन्तर्राज्यीय वाणिज्य आयोग बनाने का है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

कुल समुद्र तटीय व्यापार १९६०–६१ में	३,५५,९१,०६,५०७ रुपये
रेल और नदी द्वारा व्यापार १९६०–६१ में—	
वस्तु (क्विंटलों में)	६६,३६,७८,१०५
पशु (संख्या में)	१२,९८,३३८

टिप्पण : १. १९६१–६२ सम्बन्धी आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुये।

२. रेल तथा नदी मार्ग द्वारा व्यापार के आंकड़ों में केवल महत्वपूर्ण वस्तु ही आती है।

३. सड़क, देशी किस्ती और विमान द्वारा हुये व्यापार के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

संयुक्त राष्ट्र महा-सभा का विशेष अधिवेशन

†*११५५ **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि ब्रिटिश संसद् के कुछ सदस्यों ने उन्हें संयुक्त राष्ट्र महा-सभा का विशेष अधिवेशन बुलाने के लिये जोर देने के लिये तार दिया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** जी हां । ब्रिटेन के हाउस आफ कामन के १६ सदस्यों ने २६ अप्रैल, १९६२ को प्रधान मंत्री को एक तार भेजकर सुझाव दिया है कि सब अणु प्रयोगों की समाप्ति के लिये विश्व की आत्मा की वाणी को व्यक्त करने के लिये, जैसा कि उन्होंने कहा है, सभा की एक विशेष बैठक आयोजित की जाये । भारत सरकार ने भी इस समाप्ति के लिये अपनी अपील दुहराई है और वह ब्रिटेन की संसद् के गन्य मान्य सदस्यों के उद्देश्यों के साथ पूर्ण सहानुभूति रखती है । तथापि सरकार यह नहीं समझती कि यहां सभा का विशेष सत्र, जिस का सुझाव दिया गया है, प्रचलित हालात में उपयोगी या व्यवहारिक रहेगा ।

खादी का उत्पादन तथा बिक्री

†*११५६. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचायतों, पंचायत समितियों, तथा ताल्लुका बोर्डों ने खादी के उत्पादन तथा बिक्री का काम किस हद तक शुरू कर दिया है ;

(ख) १९६१ में पंचायतों तथा पंचायत समितियों की मार्फत बिक्री से कुल कितनी रकम मिली ;

(ग) क्या इस काम को करने के लिये पंचायत समितियों ने सहकारी समितियां स्थापित की हैं ; और

(घ) ऐसी कितनी समितियां बनाई गईं और उन्होंने कितनी बिक्री की ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)।** (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

पंचायतों को उन बहुत से अभिकरणों में से विशेष रूप से एक मान लिया गया है, जिनको खादी और ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा धन दिया जा सकता है । जहां तक इसके स्वीकृत विकास (नया मोड़) के कार्यक्रम का सम्बन्ध है, आयोग इसके साथ पंचायतों और पंचायत समितियों को साथ जोड़ने का इरादा करता है । इस कार्यक्रम में, पंचायतें ग्राम इकाइयों के संगठन के लिये सिफ़ारिश करने वाली निकाय होंगी जबकि पंचायत समितियां पुरोनिधान करने वाली, सिफ़ारिश करने तथा योजना बनाने वाली निकाय होंगी । पंचायतों और पंचायत समितियां आयोग और राज्य बोर्डों आदि की उत्पादन के लिये सहकारी संस्थाओं का संगठन करने और उनके अपने क्षेत्रों में बिक्री के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

सहायता भी करेंगे क्योंकि ग्राम इकाइयां संगठित करने का काम अभी प्रारम्भिक अवस्था में है, इतनी जल्दी यह नहीं बताया जा सकता। इस दिशा में कितनी और किस प्रकार की मात्रा तथा गुण प्रकार की दृष्टि से प्रगति की गई है

नागालैंड में डी० आई० जी० पुलिस की मृत्यु

†*११५७. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **प्रधान मंत्री** यह २४ अप्रैल, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैण्ड में डी० आई० जी० पुलिस, श्री आई० जे० जौहर, की मृत्यु के बारे में अदालती जांच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके उपपत्तियां तथा निष्कर्ष क्या हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री स० चु० जमीर) :** (क) जी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता :

कालिम्पोंग में तिब्बती शरणार्थी

†*११५८. **श्री हेम बरुआ :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १५ मई, १९६२ को लद्दाख रेडियो के प्रसारण में भारत पर यह आरोप लगाया गया कि वह पश्चिम बंगाल में कालिम्पोंग में तिब्बती शरणार्थियों को तिब्बत और चीन के विरुद्ध राजनीतिक कार्यवाहियों में पड़ने के लिये उक्सा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस आरोप की तथ्यों से पुष्टि होती है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) जी हां। ल्हासा रेडियो द्वारा १५ मई, १९६२ को पेकिंग रेडियो प्रसार को दुहराते हुए ऐसा कहा बताया जाता है कि "भारत सरकार ने तिब्बती भगोड़ों के एक दल को कालिम्पोंग में और भारत के अन्य स्थानों पर चीन के तिब्बत के विरुद्ध तोड़-फोड़ वाले कृत्य करने की इजाजत दे रखी है।"

(ख) इस आरोप का तथ्यों से कोई सम्बन्ध नहीं है और यह भारत के विरुद्ध चीनी लोगों के निराधार प्रचार का ही अंश है। तिब्बती जो अपने घरों से भाग गये थे और जिन्होंने भारत में आश्रय लिया, उनको तिब्बत की बुरी घटनाओं की दुखद याद है किन्तु भारत में वे जहां कहीं बसते हैं, सरकार उनको राजनीतिक कार्रवाइयों में पड़ने से रोकती है। इस देश में तिब्बती शरणार्थी शान्त और विधि को मानते रहे हैं और वे किसी प्रकार की तोड़-फोड़ वाली कार्रवाई में नहीं पड़े।

प्रशासन

*११५९. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री रामनाथन चेट्टियार :

क्या प्रधान मंत्री १० अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासन को और अधिक सक्रिय बनाने के लिये आगे प्रगति हुई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या प्रशासन में भ्रष्ट उपायों को दूर करने के लिये कोई योजना विचाराधीन है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख). एक ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४१]

प्रोटोटाइप (प्रथम रूप) उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र', हावड़ा

†११६०. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा के प्रोटोटाइप (प्रथम रूप) उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण पूरा हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कब तक पूरा हो जाने की आशा है ; और

(ग) इसमें उत्पादन कब आरम्भ हो जाने की आशा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं।

(ख) इसके अगस्त १९६२ के अन्त तक पूर्ण होने की आशा है।

(ग) यह केन्द्र (१) कारीगरों को प्रशिक्षण देने, और (२) छोटे पमाने के उद्योग के लाभार्थ नमूने की मशीनों का विकास करने के लिये है। केन्द्र का प्रशिक्षण कार्यक्रम १७-११-६१ को आरम्भ किया गया था। 'प्रोटोटाइप' का उत्पादन चालू वर्ष के अन्त तक आरम्भ होगा।

व्यवसायिक मंत्रणा कार्यक्रम

†*११६१. **श्री बी० चं० शर्मा :**
श्री महेश्वर नायक :

क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के काम दिलाऊ दफ्तरों में व्यवसायिक मन्त्रणा कार्यक्रम का विस्तार करने का विचार है जिससे कामों के लिये पंजीबद्ध व्यक्ति उन सुविधाओं का लाभ उठा सकें ;

(ख) क्या सरकार का विचार काम दिलाऊ दफ्तर (रिक्त स्थानों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम को गैर-सरकारी क्षेत्र में भी लागू करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). रोजगार दफ्तर (रिक्त स्थानों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, १९५९ की धारा ४ (२) के अन्तर्गत राज्य सरकारें और सम्बद्ध संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने शासकीय गजटों में अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक संस्थान में मालिक या गैर-सरकारी क्षेत्र की किसी श्रेणी या वर्ग के संस्थाओं सम्बन्धी प्रत्येक संस्थान उस संस्थान में किसी रोजगार में किसी रिक्त स्थान को भरने से पहले, निर्धारित किये गये ऐसे रोजगार दफ्तरों को रिक्त स्थानों की अधिसूचना देगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रमजीवी पत्रकारों के लिये उप-दान

†*११६२. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री भक्त दर्शन :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री उमानाथ :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मई के दूसरे सप्ताह में नई दिल्ली में श्रमजीवी पत्रकारों, समाचार-पत्र मालिकों तथा सरकार के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या पदत्याग अथवा निवृत्ति पर पत्रकारों को मिलने वाले उप-दान के बारे में कोई समझौता हुआ था ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया था ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मन्वा)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). बैठक में किये गये निष्कर्षों और फैसलों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

गोआ में बम विस्फोट

†*११६३. **श्री हेम बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १५ मई, १९६२ को गोआ के कौनकोआ गांव में बम विस्फोट के फलस्वरूप तीन लड़के मर गए तथा तीन अन्य बुरी तरह से घायल हो गये; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). १२ बज कर १५ मिनट पर १४ मई, १९६२ को कानकोना थाने के क्षेत्राधिकार में अरडाफोंडी गांव में एक हैंड गरनेड फटा । दो बच्चे उसी समय मर गये एक अस्पताल में मर गया और तीन अन्य लोग घायल हो गये । जांच से पता चला है कि विस्फोट आकस्मिक था ।

राजस्थान में शिक्षित बेरोजगार

†२११६. **श्री कर्णीसिंहजी** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९६१ को राजस्थान के विभिन्न रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टर में दर्ज मैट्रिक पास, हायर सैकेन्डरी पास और ग्रेजुएट बेरोजगार की संख्या कितनी थी; और

(ख) १ जनवरी, १९५९ से ३१ दिसम्बर, १९६१ तक प्रत्येक वर्ष में कितने उम्मीदवारों को नौकरी दिलायी गयी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मन्दा)** : (क) और (ख). ३१ दिसम्बर, १९६१ को राजस्थान के विभिन्न रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टर में दर्ज मैट्रिक पास, इंटरमीडियेट, और ग्रेजुएट व्यक्तियों की संख्या तथा १९५९ से १९६१ तक जितने उम्मीदवारों को रोजगार दिलाया गया उनकी संख्या बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४२]**। फिर भी, हायर सेकेन्डरी पास उम्मीदवारो के बारे में अलग जानकारी उपलब्ध नहीं है।

ऊन उद्योग

†२११७. **श्री कर्णीसिंहजी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी बाजार की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये विदेश भेजे गये, उन उद्योग के संगठित मिलों और होजरी क्षेत्र के शिष्टमण्डल ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं ;

(ख) उन सिफारिशों के बारे में और उन्हें कार्यान्वित करने के बारे में सरकार ने क्या निश्चय किये हैं ;

(ग) ऊन विकास परिषद् की दूसरी सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निश्चय किया है ; और

(घ) वे निश्चय कहां तक कार्यान्वित किये जा चुके हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क)-(घ). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४३]**

मैसूर राज्य में कर्मचारी शिक्षा केन्द्र

†२११८. **श्री सिद्दय्या** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ से १९६१-६२ तक मैसूर राज्य में कितने कर्मचारी शिक्षा केन्द्र चालू किये गये;

(ख) वे किन-किन स्थानों पर चालू किये गये हैं;

(ग) इन केन्द्रों में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है;

(घ) उनकी स्थापना और उन्हें चलाने के लिए कुल कितनी रकम मंजूर की गयी है; और

(ङ) इस योजना से कितने कर्मचारियों को लाभ पहुंचा है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). बंगलौर में एक प्रादेशिक कर्मचारी शिक्षा केन्द्र। उसके अधीन ४३ यूनिट लेवल कक्षाएं चल रही हैं।

(ग) मुख्यतः मजदूर संघ के तरीक़ों और दर्शन और कर्मचारियों के अधिकार तथा कर्तव्यों के बारे में प्रशिक्षण।

(घ) मार्च ३१, १९६२ तक कुल व्यय २,१७,५७४ रुपये है।

(ङ) मार्च, १९६२ के अन्त तक २,५७५।

---

†मूल अंग्रेजी में

नए उद्योगों के लिये लाइसेंस

†२११६. **श्री मे० क० कुमारन् : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (१) नये उद्योगों और (२) वर्तमान उद्योगों के विस्तार के लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त पांच वर्ष को अवधि में प्रत्येक राज्य के लिए कितने-कितने लाइसेंस जारी किये गये ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४४]**

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, पंजाब

†२१२०. **श्री दलजीत सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पंजाब में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को कुल कितनी रकम के अनुदान दिये गये; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कितना अनुदान दिया जाने वाला है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) ३३.६१ लाख रुपये

(ख) राज्य बोर्डों को प्रत्येक वर्ष में की गयी प्रगति तथा उस वर्ष के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रमों के आधार पर प्रत्येक वर्ष के लिए निधि नियत की जाती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष के लिए पंजाब राज्य बोर्ड को १२.८३ लाख रुपये का (३.३६ लाख रुपया परम्परागत और अम्बर खादी के लिए और ९.४७ लाख रुपया ग्रामोद्योगों के लिए) अनुदान तिया गया था।

ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां

†२१२१. **श्री दलजीत सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश के पिछड़े हुए पहाड़ी क्षेत्रों में कितनी ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां कायम की गयी हैं और प्रत्येक राज्य में वे कहां-कहां पर स्थापित की गयी हैं; और

(ख) प्रत्येक राज्य में पिछड़े हुए पहाड़ी क्षेत्रों में तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कितनी बस्तियां कायम की जाने वाली हैं और कहां कहां ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४५]**

प्रलेख चित्रों का संग्रहालय

२१२२. **श्रीमती मिनीमाता : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में ऐसा कोई संग्रहालय है जिसमें राष्ट्रीय नेताओं, कलाकारों और राष्ट्रीय महत्व के अन्य व्यक्तियों के जीवन से सम्बंधित शार्ट्स और डाक्यूमेंटरी आदि का संग्रह किया जाता हो, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उनके आधार पर उन पर सम्पूर्ण फिल्में बनायी जा सकें; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार कोई ऐसा संग्रहालय स्थापित करने का विचार रखती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, नहीं। फिर भी, फ़िल्म विभाग में, वितरित और अवितरित सभी फ़िल्मों और उनके कवरेजों में से अप्रयुक्त फुटमानों का स्टाक है ।

(ख) जी, नहीं ।

अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्रसमारोह

२१२३. **श्रीमती मिनीमाता** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में कितनी भारतीय फिल्में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भेजी गयी हैं; और

(ख) उनके क्या नाम हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) और (ख). १९६२ में अब तक निम्नलिखित ४४ फिल्में अन्वर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भेजी गई हैं :—

फीचर फिल्में

(१) देवी (बंगला)
(२) सम्पत्ति (बंगला)
(३) पोस्ट मास्टर (बंगला)
(४) भगिनी निवेदिता (बंगला)
(५) जिस देश में गंगा बहती है (हिन्दी)
(६) गंगा जमना (हिन्दी)
(७) हम दोनो (हिन्दी)
(८) काबलीवाला (हिन्दी)
(९) प्रपंच (मराठी)

डाक्यूमेंट्री फिल्में

(१) पाण्ड कल्चर
(२) बंद से बरकत
(३) मौसम और किसान
(४) दे लिव अगेन
(५) लाइट इन दी डार्कनैस
(६) दृष्टिदान
(७) देअर साइलेंट वर्ल्ड
(८) देश देश के विद्यार्थी
(९) शान्तिनिकेतन
(१०) मैजिक आफ दी माउन्टेन्स

(११) दक्षिण भारत में अवकाश का उपयोग
(१२) आपरेशन खेड़ा
(१३) रवीन्द्रनाथ ठाकुर (बृहत संस्करण)
(१४) भारत के जलपक्षी
(१५) हमारी यह धरती
(१६) एक महान समस्या
(१७) सालारजंग-संग्रहालय
(१८) उदयपुर झीलों की नगरी
(१९) ए सेन्चरी आफ इन्डियन आरकियोलाजी
(२०) कांगड़ा और कुलू
(२१) जब सपने सच होंगे
(२२) एक भारतीय विवाह
(२३) हिमालयाज आवर हैरिटेज
(२४) रानी एलिजबेथ की भारत-यात्रा
(२५) रोमांस आफ दी इंडियन क्वाइन
(२६) साइट्रस की खेती
(२७) पक्षियों का संसार
(२८) इनडस्ट्रियल वरकर
(२९) देवताओं की घाटी
(३०) भारतीय संगीत (वाद्य)
(३१) भारतीय संगीत (इन्स्ट्रूमेंटल)

बच्चों के लिए फिल्में

(१) ईद मुबारक
(२) चेतक
(३) सावित्री
(४) दो टिकटों की कहानी

मंत्रालय में पत्रकार

२१२४. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान लागू होने के बाद उनके मंत्रालय के विभिन्न विभागों में अंग्रेजी के कितने पत्रकार नियुक्त किये गये और हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं के कितने;

(ख) उन्हें किन-किन वेतन-क्रमों (ग्रेड्स) में नियुक्त किया गया;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अब उनके मंत्रालय के विभिन्न विभागों में अंग्रेज़ी और भारतीय भाषाओं के पत्रकारों की अलग-अलग संख्या क्या है और इनके वेतन-क्रम क्या हैं; और

(घ) इसी अवधि में अंग्रेज़ी के कितने पत्रकारों की मंत्रालय में ही पदवृद्धि हुई और भारतीय भाषाओं के कितने पत्रकारों की पदवृद्धि हुई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा की मेज़ पर रख दी जायेगी ।

दंडकारण्य में बसने वाले आदिमजातियों के लोग

†२१२५. **श्री उलाका :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोरापुट जिले से आदिमजातियों के कितने लोग दंडकारण्य में जाकर बस गये और उन्हें कितनी जमीन बांट दी गयी है ;

(ख) क्या दंडकारण्य विकास प्राधिकार के अधीन एक मेडिकल कालेज खोलने की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना):** (क) कोरापुट जिले के उमरकोट क्षेत्र में ३९०६ एकड़ जमीन में अब तक ५१३ आदिमजाति परिवारों को बसाया जा चुका है ;

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मध्य प्रदेश में यूरेनियम

†२१२६. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में दुर्ग जिले में यूरेनियम निक्षेपों की संभावना का पता लगाने के लिए किया गया सर्वेक्षण पूरा हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री और अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) और (ख) . मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले में बाघ नदी गांव के पास, यूरेनियम निक्षेपों के लिए अणु शक्ति विभाग के आण्विक खनिज प्रभाग ने १९६० में जो अन्वेषक सतह सर्वेक्षण आरंभ किये थे, वे अब भी जारी हैं । अभी कोई नये निक्षेपों का पता नहीं लगा है ।

१९६०–६१ में जिन क्षेत्रों के सतह सर्वेक्षण से यूरेनियम निक्षेपों का पता लगा है, वहां भू-छिद्रण द्वारा सतह के नीचे जांच पड़ताल शुरू की गयी थी । यह जांच पड़ताल थोड़े समय के लिए बन्द कर देनी पड़ी क्योंकि बिहार, राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश में अधिक अत्यावश्यक खोजबीन के लिए भू-छिद्रण उपकरण वहां ले जाने पड़े ज्यों ही उन क्षेत्रों से ये उपकरण खाली हो जायेंगे त्यों ही वहां काम फिर शुरू कर दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान से हिन्दुओं का प्रव्रजन

†२१२७. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत ५ वर्षों में कितने हिन्दू पाकिस्तान से स्वेच्छा से या मजबूर होकर भारत आये और इसी प्रकार कितने व्यक्ति इसी अवधि में भारत से पाकिस्तान गए ;

(ख) क्या सरकार ने पता लगाने का प्रयत्न किया है कि हिन्दुओं को पाकिस्तान मजबूर होकर क्यों छोड़ना पड़ा ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री और अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान में,

(१) ६२,१३१ लोग प्रवास प्रमाण-पत्रों (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) पर पाकिस्तान से भारत आए ;

(२) कितने लोग पाकिस्तान चले गए हैं, इसके सही आंकड़े हमारे पास नहीं हैं, क्योंकि भारत-स्थित पाकिस्तानी मिशन केवल आपाती (एमरजेंसी) प्रमाण-पत्र जारी करते हैं, जिनसे यह पता नहीं चलता कि उनमें से पाकिस्तान जाने वाले कितने लोग पाकिस्तानी राष्ट्रिक अथवा भारतीय राष्ट्रिक हैं ।

(ख) और (ग). सदन को मालूम है कि पाकिस्तान से अल्पसंख्यक जाति के लोगों को भारत में निरंतर आते रहने का कारण यह है कि वहां व्यापार, रोजगार यात्रा-सुविधाओं, धन भेजने, निजी संपत्ति की मिल्कियत आदि विषय में भेदभाव होने के कारण उनमें आमतौर से असुरक्षा की भावना बनी हुई है ।

रामकृष्ण सीमेंट्स, आन्ध्र प्रदेश

†२१२८. **श्री यलमंद रेड्डी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामकृष्ण सीमेन्ट्स, मछेरला, आन्ध्र प्रदेश में मजूरी बोर्ड की सिफारिशें कार्यान्वित की हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि रामकृष्ण सीमेन्ट फैक्टरी वर्कर्स यूनियन ने मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को गलत तरीके से कार्यान्वित करने के बारे में केन्द्रीय सरकार को एक ज्ञापन भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). वह ज्ञापन विवादग्रस्त बातों को निबटाने के उद्देश्य से आवश्यक कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण और नागालैंड में भू-संरक्षण

†२१२९. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण और नागालेंड में भूमि संरक्षण कार्य में कितनी प्रगति और सफलता हुई है ; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में इन क्षेत्रों में भूमि संरक्षण के विस्तार और उसे अधिक जोरदार बनाने की कौन कौन सी योजनाएं हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री और अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण और नागालेंड में खेती मुख्यतः झूम खेती पर आधारित है । इस प्रकार की खेती छोड़ देने और स्थायी रूप की खेती करने के लिए किसानों को राजी कराने के लिए कोशिश की गयी है और प्रदर्शन किये गये हैं । इसके अलावा झूम खेतों पर भूमि का कटाव रोकने के लिए लेग्यूमिनस पौधे उगाने और हरी खाद का प्रयोग करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है । अभी तक जो प्रगति हुई है, यह संतोषजनक है ।

(ख) उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण और नागालैंड में भूमि संरक्षण के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में परंपरागत और उससे भिन्न ढांचे की भूमि संरक्षण योजनाएं शामिल की गयी हैं । पहली श्रेणी में, बांध बनाने और मेंड बनाने की योजनाएं हैं । दूसरी श्रेणी में, झूम खेतों में भूमि का कटाव रोकने के लिए लेग्यूमिनस पौधो के बीज और हरी खाद दिलाने की व्यवस्था की गयी है । भूमि संरक्षण के कार्य में ग्राम सेवकों को प्रशिक्षण देने की एक योजना भी है ।

मद्रास राज्य में गन्दी बस्तियों को हटाना

†२१३०. **श्री बालकृष्णन** :
श्री व० क० रामस्वामी :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य के कितने शहरों में गंदी बस्ती हटाने की योजना लागू की गयी है ;

(ख) उस योजना के अधीन अभी तक कितने मकान बनाये जा चुके हैं ; और

(ग) केंद्रीय सरकार ने कितना अंशदान दिया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) मद्रास सरकार ने अभी तक मद्रास, मदुरै, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, सलम, तिरुनेलवेली और तंजौर के साथ शहरों में गन्दी बस्तियां हटाने की परियोजनाओं के लिए मंजूरी दी है ।

(ख) २३८ मकान और २,९६९ विकसित भूखंड ।

(ग) गंदी बस्तियां हटाने की योजना के अधीन निर्धारित धन देने की प्रथा के अनुसार केन्द्रीय सरकार इस योजना के अधीन किये गये स्वीकृत खर्च के तीन चौथाई के बराबर वित्तीय सहायता देती है । अब तक १२२.६८ लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है । यह सहायता उस खर्च पर आधारित है जो मंजूरशुदा मकान बनाने के लिए और जो मकान बनाये जा चुके हैं, उन पर किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नेपाल में भारतीय

†२१३१. **श्रीमती विमला देवी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले महीने में थोरी, जिला चितवन में उपद्रवों के कारण नेपाल स्थित कोई भारतीय निवासी पीड़ित हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी थी और वे किन परिस्थितियों में पीड़ित हुए थे ; और

(ग) उनका संरक्षण करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) नेपाल में बिकना थोरी में अभी हाल में जिन उपद्रवों के होने की सूचना मिली है ; उसमें कोई भारतीय निवासी पीड़ित नहीं हुए थे ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

मालिकों से बकाया भविष्य निधि अंशदान

†२१३२. { **श्री काशीनाथ पांडे** :
श्री मूल चन्द दुबे :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ मालिकों ने अपना हिस्सा तथा कर्मचारियों का भविष्य निधि अंशदान सरकार को नहीं दिया है ;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार उनसे कितनी रकम बकाया है ; और

(ग) उन मालिकों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) जी हां ।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४६]**

(ग) इनमें से अधिकतर मामलों में अभियोग और/अथवा वसूली कार्रवाई के तौर पर कानूनी कार्रवाई की गयी है ।

चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशें लागू करने के लिए समिति

†२१३३. **श्री काशीनाथ पांडे** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजूरी बोर्ड (चीनी) की सिफारिशें लागू करने की ओर ध्यान देने के लिए प्रत्येक राज्य में समितियां बनायी जा चुकी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन समितियों ने अब तक कितने झगड़े निबटाये हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार बिहार, मैसूर, पंजाब और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करने से उत्पन्न होने वाले विषयों का विवेचन करने के लिए समितियां कायम की हैं ।

(ख) इन समितियों ने बिहार में १८ झगड़े और पंजाब में १२ झगड़े निबटाये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

किराया-खरीद योजना के अधीन मशीनों की सप्लाई

†२१३४. **श्री मणियंगाडन :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किराया-खरीद की योजना के अधीन मशीनों के लिए अनेक आवेदनकर्ताओं को मशीनें नहीं दी गई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकतर आवेदनकर्ताओं ने मशीनों की लागत का दस प्रतिशत जमा भी कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो राज्य वार आवेदनकर्ताओं का ब्यौरा क्या है जिसके अधीन १० प्रतिशत रकम एक साथ पहले ही जमा कर दी गयी थी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) से (ग). विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) ३१ मार्च, १९६२ तक राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने २६,०३६ मशीनों के लिए आवेदनपत्र मंजूर किये थे । इन में से १०,८५१ मशीनों के लिए आर्डर दिये जा चुके हैं और ६,०४१ मशीनें दी जा चुकी हैं ।

(ख) निगम के नियमों के अनुसार, आयात लाइसेंस के लिए आवेदन करने से या आर्डर देने से पहले छोटे उद्योग के उद्योगपति को पेशगी एक रकम जमा करनी पड़ती है । यह रकम आवेदनपत्र के कुल मूल्य पर निर्भर होती है । ५०,००० रुपये तक के आवेदनपत्रों के मामले में, मशीनों के मूल्य का १० प्रतिशत और ५०,००० रुपये से अधिक के मामले में, ३० प्रतिशत इकट्ठा किया जाता है जहां डिलिवरी तीन महीनों के बाद होती है वहां पेशगी रकमों की दरें उपयुक्त रकमों के अधीन होनी है ।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह समझा जाता है कि यह आंकड़े इकट्ठे करने में जो मेहनत करनी होगी वह प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगी ।

रहन सहन का बढ़ता हुआ खर्च

†२१३५. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह मालूम करने के लिए कि बढ़ती हुई कीमतों के कारण कर्मचारियों की वास्तविक आमदनी पर क्या असर पड़ा है, कोई व्यापक सर्वेक्षण करने का सरकार का विचार है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : मजदूरी भुगतान अधिनियम और खान अधिनियम के अन्तर्गत कारखानों और खानों मे नियुक्त व्यक्तियों की कुल आय और वास्तविक आय के सूचनांक इकट्ठे किये जा रहे हैं । कोई विशेष सर्वेक्षण आवश्यक नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

छपाई उद्योग

†२१३६. **श्री अ० सिं० सहगल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छपाई उद्योग के सामने बड़ी भारी कठिनाई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह इस निश्चय के कारण है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम उधार-खरीद योजना के अधीन मशीनों की सप्लाई के लिए आवेदनपत्र मंजूर न करे ;

(ग) क्या यह सच है कि मुद्रकों को आयात की वही सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जो समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों को दी जाती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो छपाई उद्योग की कठिनाई दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) से (घ). विवरण संलग्न है ?

विवरण

(क) और (ख). राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को उधार खरीद के आधार पर छपाई की मशीनों की सप्लाई के लिए आवेदनपत्र मंजूर करने की अनुमति न देने के निश्चय के विरुद्ध सरकार को कई अभ्यावेदन पत्र प्राप्त हुए हैं । सरकार यह नहीं समझती कि इस निश्चय के कारण छपाई उद्योग को कोई बहुत बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ।

(ग) ऊंची किस्म के मुद्रकों (क्वालिटी प्रिंटर्स) और समाचार प्रतिष्ठानों को " वास्तविक उपभोक्ता " के तौर पर सीधे आयात करने की एकसी सुविधाएं दी जाती हैं । जिन मुद्रकों को क्वालिटी प्रिंटर्स नहीं समझा जाता उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए सुप्रसिद्ध आयोतकों को कोटा दिया जाता है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रायचूर में कताई मिल

†२१३७. **श्री चांद्रिकी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य ने रायचूर में एक कताई मिल चालू करने के लिए लाइसेंस देने की कोई सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या आवश्यक मंजूरी दी गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) मैसूर सरकार ने रायचूर में एक सहकारी कताई मिल स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने की सिफारिश की है ।

(ख) जी नहीं । मैसूर सरकार से कुछ बातों का स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वायदे के सौदे

†२१३८. **श्री याज्ञिक :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनाज तेल और अन्य खाद्य वस्तुओं के सट्टा व्यापार से कीमतें बहुत ऊंची बढ़ जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसा सट्टा व्यापार रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी नहीं । अनाज और कई दूसरी खाद्य वस्तुओं के सट्टा बाजार व्यापार पर भी पाबन्दी है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में पानी की कमी

†२१३९. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९३९ में दिल्ली में बनाये गये पम्पिंग स्टेशन टूट फूट गये हैं या अन्यथा अपर्याप्त हैं जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली और नई दिल्ली में सरकारी तथा गैर-सरकारी बागों के लिए पानी की बहुत कमी है ;

(ख) इन बागों को पर्याप्त पानी देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि शहर की वनस्पति नष्ट न हो और इस प्रकार राजधानी की सुन्दरता समाप्त न हो ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) और (ख) दिल्ली में पम्पिंग स्टेशनों में टूट फूट नहीं हुई है । दिल्ली और नई दिल्ली में कच्चे पानी की कमी नदी का बहाव बदल जाने से हुई है जोकि पूर्वी किनारे के की ओर हो गया है । इस परिवर्तन के बाद हर वर्ष गर्मियों में पश्चिमी किनारे पर पंम्पिग स्टेशनों के काम करन के लिए पानी कम होता है । पानी लाने वाली धार की निरन्तर खुदाईसे जोकि आजकल हो रही है, कच्चे पानी की हालत में सुधार हुआ है । फिर भी यह अस्थायी प्रबन्ध है । इस समस्या का स्थायी हल खोजने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

विद्रोही नागाओं का आक्रमण

†२१४०. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १५० विद्रोही नागाओं के एक सशस्त्र दल ने लगभग २६ अप्रैल १९६२ को एन० सी० पहाड़ियों में नाचंगजगल गांव पर आक्रमण किया और दो वन सन्तरियों को उठा ले गये ;

(ख) यदि हां, तो यदि इस दुर्घटना में कोई मृत्यु हुई तो कितने व्यक्ति मारे गये ; और

(ग) वन सन्तरियों को छुड़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) २६ अप्रैल, १९६२ को विद्रोही नागाओं ने असम के कछार जिले में नाचंगजाल गांव पर आक्रमण किया और दो ग्रामवासियों का अपहरण कर ले गये । अपहृत व्यक्ति वन-सन्तरी नहीं थे ।

(ख) और (ग). नागाओं ने पूर्वी पाकिस्तान जाने से पहले २९ अप्रैल, १९६२ को दोनों अपहृत व्यक्तियों को छोड़ दिया था। एक विद्रोही नागा जो आक्रमण में शामिल था, पकड़ लिया गया है ।

केरल के हज यात्री

†२१४१. **श्री कोया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में प्रति वर्ष केरल से कितने तीर्थयात्री हज करने जाते हैं ;

(ख) मक्का में उन्हें कितने 'मौल्लिमों' की अनुमति है ;

(ग) क्या सरकार को विदित है कि " मौल्लिमों " के एकाधिकार के कारण केरल के हाजियों को बड़ी कठिनाई व परेशानी होती है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क)

१९५७	८२६
१९५८	१२२७
१९५९	१५०४
१९६०	१२२४
१९६१	१७६५

(ख) दो।

(ग) और (घ). "मौल्लिमों" के एकाधिकार के कारण केरल के हाजियों को निकट भूत में हुई कठिनाइयों को कोई शिकायत नहीं आई । फिर भी भारत सरकार को विदित है कि भारतीय हजयात्रियों में एक भावना है कि उन्हें सउदी अरब अपने मौल्लिम स्वयं चुनने का अधिकार दे । मौल्लिमों को बदलने की प्रथा के एकाधिकार के प्रश्न पर आगे कार्यवाही हो रही है ।

चाय विपणन के लिये भारत-ब्रिटेन सहयोग

†२१४२. **डा० रानेन सेन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चाय के क्रय-विक्रय व्यापार के लिए एक भारत-ब्रिटेन सहयोग बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो सहयोग करने वाली भारतीय और ब्रिटिश फर्मों के क्या नाम हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्रय-विक्रय व्यापार के लिए विदेशी पूंजी के प्रयोग की अनुमति किन कारणों से दी गई है ;

(घ) क्या उक्त फर्म ने सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ङ) क्या सरकार फर्म को ऋण आदि के रूप मे वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है ; और

(च) यदि हां, तो सहयोग में ब्रिटिश पूंजी के व्याज की क्या शर्तें हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) हां, श्रीमान् चाय के पैकेट बनाने तथा भारत और विदेशों में बेचने के लिए एक कम्पनी स्थापित करने के लिए उक्त सहयोग बनाने की अनुमति दी है ।

(ख) बम्बई के मैसर्स टाटा इन्डस्ट्रीज़ एण्ड को० लिमिटेड, और कलकत्ता के मैसर्स जेम्स फिनले एण्ड कम्पनी, लिमिटेड जिसका संगठन ब्रिटेन में हुआ था ।

(ग) देश में उपयोग के लिए अपमिश्रित चाय का विक्रय रोकने में सहायता देने के लिए और अधिक चाय के पैकटों के निर्यात से अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए सहयोग का प्रबन्ध किया गया था । विदेशी कम्पनी को जारी की गई समान पूंजी से केवल ४९ प्रति शत दिया जायेगा ।

(घ) और (ङ). नहीं, श्रीमान् ।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

विद्रोही नागा

†**२१४३. श्री हेम बरुआ :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में नागा विद्रोहियों ने बर्मी साम्यवादी विद्रोहियों की सहायता से चीनियों के साथ संबंध स्थापित कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह ठेके कैसे हैं और उनकी प्रतिक्रिया करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आमला (मध्य प्रदेश) में कागज का कारखाना

२१४४. श्री चांडक : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आमला — जिला बेतूल (मध्य प्रदेश) में कागज़ बनाने का कोई कारखाना खोला जा रहा है ।

(ख) यदि हां, तो क्या यह कारखाना सरकारी क्षेत्र में खोला जा रहा है या गैर-सरकारी क्षेत्र में; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) यदि यह ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में खोला जा रहा है, तो इसका लाइसेंस किसे और कब दिया गया है ; और

(घ) इस योजना की रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (घ) : उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत आमला जिला बैतूल, मध्य प्रदेश मे कागज की मिल खोलने के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है । मेसर्स ओरियण्ट पेपर मिल्स नामक एक प्राइवेट पार्टी के लिए अमलाई, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश में एक कागज मिल खोलने का लाइसेंस १२ जून, १९५६ को मंजूर किया गया है । इस मिल की उत्पादन क्षमता ४८,००० टन कागज तथा गत्ता प्रतिवर्ष तैयार करने की होगी ।

रबड़ बोर्ड में वेतन-क्रम

†२१४५. **श्री मणियंगाडन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २८ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६२३ के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच रबड़ बोर्ड ने वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार बोर्ड-कर्मचारियों के वेतन-क्रमों में संशोधन करने के प्रस्ताव रखे हैं ;

(ख) क्या प्रस्ताव सारे कर्मचारियों के बारे में हैं;

(ग) क्या सरकार ने सारे प्रस्ताव स्वीकार कर लिये हैं;

(घ) क्या कर्मचारियों का संशोधित वेतन-क्रम लागू हो गया है ;

(ङ) क्या सरकारी कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाने का सरकार का हाल का निश्चय रबड़ बोर्ड कर्मचारियों पर लागू किया गया है;

(च) क्या किसी श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन-क्रम संशोधित नहीं किया गया है और न ही उन्हें बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ता दिया गया है; और

(छ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). रबड़ बोर्ड ने अपने कर्मचारियों के वेतन-क्रम संशोधित करने के प्रस्ताव किये थे और वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निश्चय के अनुसार वेतन-क्रमों में संशोधन करने के आदेश, कुछ मामलों को छोड़ कर दे दिये गये हैं। संशोधित वेतन-क्रम १-७-१९५९ से प्रभावी हैं। बाकी कुछ मदों के वेतन-क्रम के संशोधन का प्रश्न विचाराधीन है। मंहगाई भत्ता बढ़ाने का सरकार का हाल का निश्चय भी रबड़ बोर्ड कर्मचारियों पर लागू कर दिया गया है।

कोट्टयम में काफी बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय

†२१४६. **श्री मणिमंगाडन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोट्टयम में काफी बोर्ड के विपणन विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय बन्द करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या क़ोट्टयम में कार्यालय के बन्द होने के कारण कालीकट क्षेत्रीय कार्यालय में कार्य बढ़ गया है; और

(घ) कोट्टयम के कितने कर्मचारी वहां के कार्यालय बन्द होने से नौकरी से हटा दिये जायेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय पटल पर रख दी जायेगी।

काफी बोर्ड के अधिकारियों की विदेश यात्रा

†२१४७. **श्री मणियंगाडन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में काफी बोर्ड के अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर कितना व्यय हुआ;

(ख) विदेश यात्राओं का क्या फल रहा;

(ग) क्या विदेशों में इन अधिकारियों द्वारा किया गया कार्य भारतीय दूतावास के व्यापार सहचारियों द्वारा नहीं किया जा सकता था; और

(घ) इन अधिकारियों ने किस किस की यात्रा की ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) १९,७९८.८८ रु०।

(ख) से (घ). पिछले दो वर्ष में काफी बोर्ड के दो प्रतिनिधिमंडलों ने विदेश यात्रा की। एक में काफी बोर्ड के उप-निदेशक को पश्चिम अफ्रीका के आइवरी तट पर अबिदजान में अक्टूबर, १९६० में खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा बुलाई गई काफी उत्पादन तथा परिष्करण संबंधी प्रथम टैक्नीकल मीटिंग में भाग लेने के लिये भेजा गया था। इस में दुनिया भर के प्राविधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया था। कान्फ्रेंस ने काफी उत्पादन के अनेक टैक्नीकल पहलुओं पर, जैसे पौदों की पौद लगाना, पौदे की खाद, परिष्करण, आदि पर, विचार किया। इससे काफी बोर्ड के अनुसन्धान विभाग को काफी उद्योग की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिये संसार के काफी उगाने वाले अधिक उन्नतिशील क्षेत्र में अपनाये गये ढंगों की सीधी जानकारी प्राप्त करने का मौका मिला। यह जानकारी यह बात ध्यान में रख कर प्राप्त की गई कि उन्हें यथासंभव रूप में अपने यहां अपनाया जाये।

दूसरा प्रतिनिधि मंडल, जिस ने काफी बोर्ड के सभापति और मुख्य काफी विपणन अधिकारी थे, इंगलैण्ड, हालैण्ड, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, स्विटज़रलैण्ड और इटली की अक्टूबर, १९६१ में यात्रा की। यात्रा का उद्देश्य इन देशों में विपणन स्थितियों का अध्ययन करना, अपना काफी का निर्यात बढ़ाने के मार्गोपाय ढूंढना, आदि विदेशों में महत्वपूर्ण काफी कम्पनियों को बोर्ड की विपणन नीति बताना और कुछ गलतफहमियां दूर करना था। इन उद्देश्यों की प्राप्ति में पर्याप्त सफलता मिली।

जिन उद्देश्यों से दोनों प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजे गये थे ऐसे थे कि काफी बोर्ड के ऐसे अधिकारियों द्वारा संबंधित देशो में कार्य स्थल पर ही विचारविमर्श करने और व्यक्तिगत सम्पर्क बिना प्राप्त नहीं हो सकते थे जिन्हें विषय की पूरी जानकारी हो और जो पैदा होने वाली बातों पर निश्चित उत्तर दे सकें।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों म रेडियो सेट

†२१४८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ में केन्द्रीय सरकार की सामुदायिक श्रव्व योजना के अन्तर्गत पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रेडियो सैट दिये गये;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में दिये गये बड़ी संख्या में रेडियो सेट बेकार पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन की देख रेख करने का कोई प्रबन्ध नहीं है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)**: (क) केन्द्रीय सरकार की सामुदायिक श्रव्य आर्थिक सहावता प्राप्त योजना के अन्तर्गत वर्ष १९६१–६२ में पंजाब सरकार को ५०० सामुदायिक रेडियो सैट दिये गये ।

(ख) वर्ष १९६०–६१ के अन्त तक आर्थिक सहायता प्राप्त योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये ७८८५ सैटों में से ६९ सैटों के बारे में राज्य सरकार ने बेकार होने की सूचना दी है कि वे सैट ३१ मार्च, १९६२ तक बेकार हो गये थे ।

(ग) उन को दिये गये रेडियो सैटों की उचित देख रेख के लिये राज्य सरकार का संधारण संघ है । सामुदायिक रेडियो के वितरण, स्थापन और देख रेख का सारा उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर हैं ।

पंजाब के लिये वार्षिक आवंटन

२१४९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष, १९६०–६१ और १९६१-६२ में पंजाब की योजनाओं के लिये कितना वार्षिक आवंटन किया गया;

(ख) प्रत्येक उपरोक्त वर्षों में कितना धन व्यय हुआ; और

(ग) कितने प्रतिशत कार्य हुआ ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) से (ग). वर्ष, १९६०–६१ में ३६.४ करोड़ के स्वीकृत व्यय में से ३४.८ करोड़ रुपये व्यय हुए और वर्ष १९६१–६२ में आय व्ययक में ३८.८ करोड़ रुपये का उपबन्ध था । वास्तविक व्यय के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

भारतीय बाइसिकलों आदि के लिये ईरान की मांग

†२१५०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बाइसिकलों और सिलाई की मशीनों की ईरान की कोई मांग प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है और उन का संभरण करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) भारतीय सिलाई की मशीनों और बाइसिकलों के लिये एशियाई देशों में मांग का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या क्या की जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) **और** (ख). समय समय पर व्यापारियों को मांग प्राप्त होती हैं। निम्न आंकड़ों से वर्ष १९६०–६१ **और** १९६१–६२ में ईरान को निर्यात की गई बाईसिकलों तथा सिलाई की मशीनों की संख्या **और** मूल्य का पता लगता हैं :

	बाइसिकिल और उन के पुर्जे	
	संख्या	मूल्य
१९६०—६१	५५०	६९,०००
१९६१—६२ (फरवरी तक)	१२०	९,०००
सिलाई की मशीनें		
१९६०--६१	२९३	२२,०००
१९६१--६२ (फरवरी १९६२ तक)	६५०	५९,०००

(ग) हमारे इंजीनियरी के सामान (जिस में साइकिलें और सिलाई की मशीनें शामिल हैं) के लिये एशियाई देशों में मांग पैदा करने के लिये निम्न कार्य किये गये :–

१. सरकार ने निम्न एशियाई देशों में मांग (बाजार) सर्वेक्षण किया है :—

वस्तु	देश जहा सर्वेक्षण हुआ
१. इंजीनियरी सामान	इराक
२. बाइसिकिल	सिंगापुर, मलाया, नार्थ बोर्नियो, सारावाक और ब्रुसेल
३. सिलाई की मशीन	सिंगापुर, मलाया, नार्थ बोर्नियो, सारावाक

२. इंजीनियरी सामान निर्यात संवर्धन परिषद् ने निम्न एशियाई देशों में इंजीनियरी सामान (जिस में साइकिलें, और सिलाई की मशीनें शमिल हैं) की मांग का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण किये :—

अदन, अफगानिस्तान, ईराक, सीरिया, लेबनान, जोर्डान, लंका, बर्मा, सिंगापुर और मलाया, थाईलैण्ड, कम्बोडिया, दक्षिण वियटनाम, फिलिपाइन्स, हांगकांग, इण्डोनेशिया, और मिश्र ।

३. इंजीनियरी सामान संवर्धन परिषद् ने अभी तक कुल ९ व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजे और उन में से ६ एशियाई देशों में थे ;

४. इंजीनियरी परिषद् ने निम्नलिखित एशियाई देशों में अपने विदेशी कार्यालय और साथ में प्रदर्शन कक्ष खोले हैं : —

बर्मा (रंगून), मिश्र (काहिरा) ।

५. परिषद् इंजीनियरी सामान के निर्माताओं को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने की सुविधायें देती हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में मद्य-निषेध

२१५१. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में काम करने वाले भारतीय अधिकारियों के लिए सरकार द्वारा मान्य मद्य-निषेध नीति का पालन करना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो वे किस अंश तक उसका पालन करते हैं; और

(ग) क्या मद्य-निषेध की नीति के पालन के सम्बन्ध में उन्हें कोई निदेश दिये गये हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :(क) से (ग). विदेश स्थित भारतीय मिशनों में काम करने वाले समस्त भारतीय पदाधिकारियों का ध्यान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मद्य-निषेध नीति की ओर आकर्षित किया गया है। गणराज्य दिवस आदि औपचारिक समारोहों में निमंत्रित अतिथियों का सत्कार मदिरा से नहीं किया जाता। अनौपचारिक समारोहों में जहां स्थानीय रस्म-रिवाज अथवा स्थानीय सामाजिक प्रचलन के अनुसार मदिरा से अतिथियों का सत्कार करना आवश्यक हो, वहां मिशनों के अध्यक्षों को सलाह दी गई है कि वे अपने विवेक से काम लें। हमारे अधिकारी इन आदेशों का पालन करते हैं।

नेफा में व्यापारिक फसलों की खेती

†२१५२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा में व्यापारिक फसलों की खेती को गहन बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो प्रोग्राम में शामिल की गई फसलों के क्या नाम हैं; और

(ग) योजना की कार्यान्विति में कितनी प्रगति हुई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) ऐसी कोई योजना नहीं है परन्तु काफी, इलायची और कुछ दवाओं के पौदे जैसी फसल जहां भी सम्भव होता है उगाई जाती हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

जम्मू तथा काश्मीर में चीनी-मिट्टी के बर्तन, आदि बनाने का कारखाना

†२१५३. **श्री समनानी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर राज्य में चीनी-मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का एक कारखाना खोलने के लिए मशीन का आयात करने के लिए कोई प्रार्थनापत्र मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†मूल अंग्रेजी में

पुनर्वास की प्रगति

२१५४. **श्री बाल्मीकी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक के पुनर्वास के काम की प्रगति की जांच करने के लिए क्या सरकार कोई मशीनरी स्थापित करना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो उसका रूप क्या होगा ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मजदूर और मालिकों के बीच सम्बन्ध

२१५५. **श्री बाल्मीकी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस-किस राज्य ने मजदूर-मालिक सम्बन्ध सुधारने की दिशा में त्रिपक्षीय दल बनाये हैं; और

(ख) इन प्रयत्नों की सफलता के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा): (क) त्रिपक्षीय संस्थायें जैसे कि श्रम सलाहकार बोर्ड, औद्योगिक सम्बन्ध बोर्ड, इत्यादि सब राज्यों में स्थापित की जा चुकी हैं। जम्मू और काश्मीर के बारे में सूचना अभी प्राप्त नहीं है ।

(ख) ये संस्थायें राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की गई हैं और पूर्ण रूप से राज्य क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत काम करती हैं । इसलिये उनके यथार्थ कार्य के बारे में सूचना प्राप्त नहीं है ।

रेडियो स्टेशन

†२१५६. **श्री यू० सिं० चौधरी :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंच वर्षीय योजना में कितने रेडियो केन्द्र खोलने का विचार है;

(ख) कितने विद्यमान रेडियो केन्द्रों की क्षमता बढ़ाने का विचार है;

(ग) रेडियो केन्द्र खोलने के लिए स्थान किस सिद्धान्त पर चुना जाता है; और

(घ) इस बारे में अन्य ब्यौरा क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ):** (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में दो पूर्णरूपेण रेडियो केन्द्र खोलने का विचार है जिन मे से एक पोर्ट विलेयर में और दूसरा कुर्सियांग मे होगा ।

(ख) आठ । राजकोट, काजीकोडे, पूना, हैदराबाद, और धारवाड़ में प्राइमरी सर्विस ट्रांसमीटरों के स्थान पर उच्च-शक्ति वाले यूनिट लगाये जायेंगे। रांची, भोपाल और त्रिवेन्द्रम मे अतिरिक्त ट्रांसमीटर लगाये जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) टेक्निकल आवश्यकताओं और अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और देश में ऐसे ही टेक्निकल निकायों द्वारा लगाये गये बन्धनों का ध्यान रखकर स्थानों का चुनाव किया जाता है ।

(घ) कुर्सियांग का नया रेडियो स्टेशन सेवा के लिए तैयार है और उसका उद्घाटन २ जून, १९६२ को होगा । आशा है कि पोर्ट बिलेयर राजकोट, काजीकोडे, पूना, हैदराबाद, रांची और भोपाल में परियोजनायें १९६२-६३ में पूरी हो जायेंगी । त्रिवेन्द्रम और धारवाड़ की परियोजनायें १९६३-६४ मे पूरी होंगी ।

नये बड़े उद्योग

†२१५७. **श्री इलयापेरूमाल :**
श्री स० ब० पाटिल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में मद्रास, केरल तथा मैसूर राज्यों में कौन से मुख्य नये उद्योग स्थापित होने की आशा है; और

(ख) उसका ब्योरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख). मैसूर, मद्रास और केरल राज्यों के लिए तीसरी योजनावधि में निम्न बड़ी उद्योग योजनायें शामिल की गई हैं :—

केन्द्रीय सरकार के अधीन सरकारी क्षेत्र के नये बड़े उद्योग

राज्य	योजना	अनुमानित विनियोजन (रुपये करोड़ों में)
मैसूर	घड़ी कारखाना . .	२.५
मद्रास	१. कच्ची फिल्म परियोजना (ऊटी के निकट) .	८.०
	२. बायलर प्लांट, त्रिची . .	१२.०
	३. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स संयंत्र, गुड्डी .	६.२
	४. नेवेली हाई टैम्पेरेचर कारबोनाइज़ेशन प्लांट .	२५.०
केरल .	१. दूसरा शिपयार्ड, कोचीन . .	२०.०
	२. फाइटो-कैमिकल प्लांट, नरियालमंगलम .	६.२

†मूल अंग्रेजी में

राज्य सरकारों के अधीन सरकारी क्षेत्र में नये बड़े उद्योग

राज्य	योजना	योजना उपबन्ध (रुपये लाखों में)
मैसूर	प्रतिदिन २५ टन एसिड का उत्पादन करने के लिए पाइराइट पर आधारित दंगालडहल में सल्फरिक एसिड का संयंत्र	२५
मद्रास	१. बहुप्रयोजनीय खाद्य संयंत्र . .	१५
	२. सैलम मैगनैटाइट तथा नीवेली लिग्नाइट पर आधारित पाइलैट लोहा तथा इस्पात संयंत्र	७५
	३. प्रति वर्ष २०,००० टन की क्षमता का इस्पात री-रोलिंग मिल	१००

गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्योग का सम्बन्ध गैर-सरकारी क्षेत्र पर है । केवल सरकार को अनुमति लेनी पड़ती है और गैर-सरकारी उद्योगपतियों को भविष्य की योजनाय बताना सम्भव नहीं है ।

टेलीविजन सेट

२१५८. श्री रणंजय सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में टेलीविजन सेट कहां-कहां पर लगाये गये हैं;

(ख) क्या वे सब सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है; और

(ग) ये टेलीविजन सेट कहां से कितने मूल्य पर मंगाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारणमंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) ६७ टेलीविजन सेट दिल्ली में उन स्थानों पर लगाये गये हैं जहां सामुदायिक अवलोकन के लिए टेली-क्लबें संघठित की गई हैं और ३०१ सेट हायर सेकैंडरी स्कूलों में लगाये गये हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सिवाय ३१ सेटों के जो आकाशवाणी ने भारतीय सिक्कों में भारत में एक ऐसी फर्म से खरीदे थे जो इनको १९५५ की औद्योगिक प्रदर्शनी में दिखाने के लिए लायी थी बाकी सभी सेट बिना मूल्य मिले हैं । ६७ सेट यूनेस्को ने फ्रांस से भेजे हैं, और ४५० सेट फोर्ड फाउंडेशन ने अमरीका से ।

पूर्वी पाकिस्तान में दंगे

†२१५९. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी पाकिस्तान के हाल के दंगों के सम्बन्ध मे पाकिस्तान को भेजे गये विरोध पत्र का उत्तर क्या भारत को मिल गया है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** जी नहीं। पाकिस्तान सरकार ने अभी उत्तर नहीं भेजा है।

पूर्व जर्मन फर्म से सहायता

†२१६०. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पूर्व बर्लिन में केबल वर्क्स की एक पूर्व जर्मन फर्म ने कलकत्ता में गैर-सरकारी क्षेत्र में फर्म को प्रविधिक सहायता देने को कहा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** जी हां। मैसर्स एलूमीनियम केबल्स एण्ड कंडक्टर्स (यू० पी)० प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता ने मैसर्स वी ई बी केबलवर्क ओबरसप्री आफ बर्लिन तथा मैसर्स ए०जी० लिमैक्स आफ दि जर्मन डिमोक्रेटिक रिपब्लिक से इंसुलेटेड पावर केबल्स को निर्माण का समझौता हुआ है।

केन्या के साथ व्यापार

†२१६१. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्या के आर्थिक आयोजन मंत्री ने भारत से कहा है कि दोनों देशों के बीच भुगतान स्थिति का संतुलन करने के लिए केन्या से अधिक खरीदारी करें ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मांग का क्या उत्तर दिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार के अलावा सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। परन्तु जांच की जा रही है।

गुजरात में कताई मिलें

†२१६२. **श्री मानसिंह पृ० पटेल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में गुजरात राज्य को कताई मिलों के लिए कितने तकुए आवंटित किए गए थे ;

(ख) क्या इन तकुओं के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो ये लाइसेंस किन को दिए गए हैं तथा किन स्थानों के लिए ;

(घ) इन लाइसेंसों को देने का आधार क्या था ; और

(ङ) क्या सहकारी समितियां बना कर और उनको लाइसेंस देने का प्रयत्न किया गया था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) ७५,०००० स्पिडंल।

(ख) जी हां।

(ग) से (ङ). एक विवरण सम्बद्ध है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४७]**

---

†मूल अंग्रेजी में

भूतपूर्व पुनर्वास मंत्रालय में छंटनी

†२१६३. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च १९६२ के अन्त तक भूतपूर्व पुनर्वास मंत्रालय के कितने व्यक्तियों की छंटनी की गई थी ;

(ख) काम दिलाऊ दफ्तर तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में स्थापित विभाग के द्वारा छंटनी किए गए कितने कर्मचारियो को पुनः नियुक्त कर लिया गया ; और

(ग) जब यह लोग बेकार थे क्या उनको इस अवधि का अन्तरिम भत्ता दिया गया था ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना):** (क) १९५७ से मार्च १९६२ के अन्त तक ५,४२२ व्यक्तियों की छंटनी की गई / स्थानान्तरण किया गया था ।

(ख) काम दिलाऊ दफ्तर, रोज़गार तथा प्रशिक्षण के महानिदेशालय के विशेष विभाग तथा विशेष चुनाव बोर्ड द्वारा १ जनवरी १९६० से मार्च १९६२ के अन्त तक २,५१० छंटनी किए गए कर्मचारियों को पुनः नियुक्त किया गया था । इनके अतिरिक्त अन्य कार्यालयों में स्थानान्तरण के द्वारा ४३३ कर्मचारियों को लगाया गया था । बहुत से अन्य कर्मचारियों ने स्वयं प्रयत्नों से रोज़गार ढूंढ लिया और १ जनवरी १९६० से पहले के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) जी नहीं । नोटिस की अवधि में तथा छुट्टियों की अवधि में ही छंटनी किए गए ही कर्मचारियो की वैकल्पिक काम दिला दिए गये थे ।

"कामनवेल्थ इन ब्रीफ"

†२१६४. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री प्रभात कार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित 'कामनवेल्थ इन ब्रीफ' नामक प्रकाशन का १९६१ का संस्करण छप गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या पहले संस्करणों के नक़शों में काश्मीर का ग़लत दिखाया जाना ठीक कर दिया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केन्द्रीय सूचना सेवा

२१६५. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि हाल ही में केन्द्रीय सूचना सेवा के उन सदस्यों की हिन्दी विभाग में काम करने के लिये पदवृद्धि की गई है जो अभी तक अंग्रेज़ी विभाग में काम करते रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये कर्मचारी कभी भी हिन्दी के पत्रकार नहीं रहे हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे कर्मचारी हिन्दी का कार्य योग्यता से कर सकेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (ग). केन्द्रीय सूचना सेवा के दो उपयुक्त ग्रेड के अफ़सर आकाशवाणी के समाचार सेवा विभाग की "हिन्दी की स्क्रूट यूनिट" में नियुक्त किए गए हैं। इन दोनों को हिन्दी पत्रकारिता का अनुभव है।

नारियल जटा बोर्ड के सभापति का दौरा

†२१६६. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नारियल जटा बोर्ड के सभापति ने विदेशों का दौरा किया था ;

(ख) क्या इस दौरे से कोई विशेष लाभ हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस दौरे पर कितना धन व्यय हुआ ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी हां। १९५९ में चार सदस्यों के एक शिष्टमंडल का सभापति ने नेतृत्व किया था ;

(ख) और (ग). नारियल जटा और नारियल जटा उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए शिष्टमंडल ने विभिन्न महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं। इनमें से कुछ सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा रहा है।

(घ) ६५,८८५ रुपये ९० नया पैसा।

मध्य प्रदेश की दूसरी पंचवर्षीय योजना

२१६७. **श्रीमती जमना देवी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित धनराशि में से मध्य प्रदेश सरकार कितना धन व्यय करने में सफल रही है और कितना धन व्यपगत (लैप्स) हुआ ;

(ख) धन राशि "व्यपगत" होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) तीसरी योजना की अवधि में ऐसी स्थिति उतपन्न न हो, इसके लिए क्या विशेष प्रबंध किया गया है ?

योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा): (क) योजना में व्यय के लिए १९०.९ करोड़ रुपये रखे गये थे। जिसमें से प्रत्याशित खर्चा लगभग १४३ करोड़ रुपये (अस्थायी) हुआ है।

(ख) व्यय में कमी मुख्यतया निम्नलिखित कारण से हुई है :—

(१) राज्य का पुनर्गठन,

(२) राज्य के साधनों में कमी तथा

(३) इंजीनियरों की कमी।

(ग) राज्य की तीसरी पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय ऊपर दर्शायी गयी बातों को ध्यान में रखा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रक्रिया के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय:** मैंने कई बार यह निवेदन किया है कि माननीय सदस्यों को यदि मुझ से कोई शिकायत है तो वे मेरे कमरे में आकर पहले मुझ से बातचीत कर लें और उसके बाद ही उस प्रश्न को यहां सभा में उठायें। मैं समझता हूं कि यह एक स्वस्थ परम्परा है और उसे यहां अपनाया जायेगा। अब हम स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

स्थगन प्रस्ताव

अमरीका में भारत के राजदूत द्वारा भारतीय प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे म वक्तव्य

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री ही० ना० मुकर्जी, श्री प्रभातकार, श्री रानेन सेन और श्री वारियर की ओर से अमरीका स्थित भारतीय राजदूत श्री बी० के० नेहरू द्वारा भारती सुरक्षाबल के बारे में दिये गये वक्तव्य के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है। यह प्रश्न २५ मई को उठाया गया था किन्तु उस समय सरकार के पास पूरे तथ्य नहीं थे मैं समझता हूं कि सरकार ने उन तथ्यों को अब एकत्रित कर लिया होगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** यह मामला २५ तारीख को उठाया गया था उस दिन मैं यहां नहीं था इस कारण सभा को जो असुविधा हुई है उसके लिये मुझे दुख है। हमने अमरीका स्थित राजदूत से कहा कि वे उस भाषण का पूरा पूरा विवरण भेजें। उन्होंने वह विवरण भेज दिया है और हमें कल ही मिला है। उसकी एक प्रति अध्यक्ष महोदय को दे दी गई है और एक प्रति सभा पटल पर रखी जा रही है।

इस समय इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा यह तो सभा के सामने है और वह ही कुछ निर्णय करेगी। चूंकि माननीय सदस्यों ने इसे अभी तक पढ़ा नहीं है अतः इसका सारांश ही मैं यहां बताना चाहूंगा ।

टेलीवीजन साक्षात्कार के प्रभारी ने बात यहां से शुरू की कि अमरीका ने दूसरे देशों को दी जाने वाली सहायता में जो ९०० डालर की कमी की है उस कमी का भारत सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे राजदूत से यह पूछा गया कि भारत सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है। उन्होंने उत्तर दिया कि सरकार की ओर से तो ऐसा कोई आभास नहीं मिला है किन्तु ऐसा ख्याल किया जाता है कि सरकार इस बारे में अच्छा नहीं सोचेगी क्यों कि उससे हमारे विकास कार्यक्रमों के प्रभावित होने की संभावना है।

फिर उन से एम० आई० जी० विमान की खरीद के बारे में प्रश्न किया गया कि इसका भुगतान किस प्रकार किया जायेगा तथा इससे विदेशी विनियम की बचत कैसे होगी ? इसके उत्तर में उन्होंने बताया कि भारतीय सेनाओं के पास उपयुक्त उपकरण नहीं हैं। और इसका कारण यह है कि हमारे पास धन की कमी है। पाकिस्तान की धमकियों और हमारे चीन के साथ सीमान्त विवाद की चर्चा का निर्देश करते हुये उन्होंने कहा था कि हमें अपनी दोनों देशों से रक्षा करनी है। और इसके लिये हम वे सभी चीजें खरीद रहे हैं जो हम सस्ते दामों पर प्राप्त कर सकते हैं। उ होंने यह भी कहा था कि इस के लिये भारत में भी उपकरण बनाये जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि रूस के साथ हमारा जो भी सौदा होगा वह रुपयों में होगा इस लिये विदेशी मुद्रा की जरूरत नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सीनेट की विदेश सम्बन्धी समिति के विचारों के बारे में राजदूत ने यह बताया कि हमारे प्रतिरक्षा मंत्री उस समिति में लोकप्रिय नहीं हैं और इसीलिये वह समिति हमसे नाराज़ है। और यही कारण है कि उसने सहायता में कमी भी कर दी है। अमरीका में हमारी नीति क्या है इससे इस बात का कोई सम्बन्ध नहीं है। संवाददाता ने गोआ का भी उल्लेख किया। इसके उत्तर में उन्होंने बताया कि यह राष्ट्रीय नीति का मामला है। जब राजदूत से यह पूछा गया कि क्या इस कटौती का प्रभाव भारत की विदेश नीति पर पड़ेगा। तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं तो यह नहीं समझता कि हमें इस प्रकार सोचना चाहिये। इस प्रकार सोचने का मतलब तो यह होगा कि वह देश अपने को सब से अधिक बोली बोलने वाले के हांथ सौंप दे।

भारत कभी भी उस देश के हाथ में अपने आपको समर्पित नहीं करेगा जो कि उसे सहायता देता है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत सभी देशों से क्रय करेगा और यह देखेगा कि कौन चीज उसे कहां सस्ती मिलती है। और उसके लिये कौन चीज़ सबसे अधिक अच्छी है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि भारत अपनी नीति में कोई परिवर्तन करेगा।

मैं यह और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम किसी देश से सशर्त सहायता लेना नहीं चाहते और किसी प्रकार की कोई भी बातें हमें अपनी नीति में परिवर्तन करने के लिये बाध्य नहीं कर सकती।

प्रतिरक्षा की जहां तक बात है हम अपनी क्षमता बढ़ाना चाहते हैं ताकि हम सुरक्षा के उपकरण बना सकें। किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि हम कमजोर हैं। हमारा उद्देश्य तो अपनी सुरक्षा करना ही है। यहीं कारण है कि हम इस वायुयान की खरीद के लिये बहुत से देशों से बातचीत कर रहे हैं।

हमारे राजदूत ने जो कुछ वहां कहा उससे मुझे खुशी नहीं है। परन्तु यह स्पष्ट है कि उनका दृश्य उपकरणों और उनके सुधार की इच्छा पर जोर देना था।

†**श्री ही० ना० मकर्जी** (कलकत्ता मध्य) : मैं अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिये सभा अनुमति चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में है वे अपने स्थानों पर खड़े हो जायें।

चूंकि प्रस्ताव के समर्थन में केवल ४५ सदस्य है। नियम ६० के अनुसार यह संख्या आवश्यक संख्या से कम है इसलिये प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाती।

†**श्री ही० ना० मकर्जी** : सत्तारूढ़ दल तथा उसके साथियों के इस रवैये को देखते हुये और इस जैसे महत्वपूर्ण विषय को प्रस्तुत करने की अनुमति न देने के कारण यह ठीक समझता हूं कि हम लोग सदन से बाहर चले जायें।

(श्री ही० ना० मकर्जी तथा कुछ और सदस्य सदन से बाहर चले गये।)

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

अमरीका में भारत के राजदूत द्वारा भारतीय प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे में वक्तव्य

†**श्री हरि विष्ण कामत (होशंगाबाद)** : नियम १९७ के अधीन मैं प्रधान मंत्री का ध्यान भारत के अमरीका स्थित राजदूत द्वारा दिये गये टेलीवीजन पर उस कथित वक्तव्य की ओर आकर्षित करता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत का प्रतिरक्षा बल बिल्कुल काफी नहीं है। और उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें ।"

मेरा विचार है कि अमरीका स्थित राजदूत ने अपने कर्तव्यों की सीमा का उल्लंघन किया है। और उन्होंने ऐसा कार्य किया है जो कि उन्हें नहीं करना चाहिये। राजदूतों के लिये कुछ नियम होते हैं एवं कुछ मान्यतायें होती हैं उन्होंने उनका उल्लंघन किया है।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : इस वक्तव्य से मुझे कोई खुशी नहीं है। शायद मैं ऐसी बात कभी नहीं कहता और न चाहता हूं कि हमारी ओर से कोई दूसरा भी ऐसी बात कहे। लेकिन अमरीका में अब परिस्थिति कुछ बदल गई है। वहां टेलिवीजन पर साक्षात्कार देने की व्यवस्था है। हमारे यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे साक्षात्कारों के अवसर पर कभी कभी साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति अपनी सीमा से बाहर चला जाता है ।

†**श्री हेम बरुआ (गौहाटी)** : क्या उन राजदूत से इसकी कोई सफाई मांगी जायेगी ? और उनकी भर्त्सना की जायगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उसका उत्तर इस समय यहां नहीं दिया जा सकता ।

अब श्री भागवत झा के अविलम्बनीय लोक-महत्व के प्रश्न पर विचार किया जायगा ।

†**श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर)** : नियम १९७ के अधीन मैं प्रधान मंत्री का ध्यान अमरीका स्थित भारतीय राजदूत के उस वक्तव्य की ओर आकर्षित करता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे प्रतिरक्षा मंत्री अमरीका में लोक प्रिय नहीं है और संयुक्त राष्ट्र में ऐसे भाषण देते हैं जिनसे अमरीका जनता खुश नहीं है और यही कारण है सीनेट समिति हमसे नाराज है।" और उनसे निवेदन करता हूं कि वे इस बारे में एक वक्तव्य दें।

मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि क्या कोई राजदूत अथवा कोई भी सरकारी पदाधिकारी सरकार के किसी मंत्री के बारे में इस प्रकार की बातें कह सकता है ? क्या कोई ऐसा नियम है। यदि नहीं तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह बात उस प्रश्न पर निर्भर करती है जो कि संवाददाता ने उनसे पूछा। यदि मेरे से यह प्रश्न पूछा जाता तो मैं इसका उत्तर दूसरी ही तरह से देता। परन्तु जहां तक हमारी राष्ट्र सम्बन्धी नीति की बात है मैं चाहता हूं कि लोग अपनी शिकायत निर्दिष्ट रूप से व्यक्त करें। साथ ही मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अमरीका इस प्रकार का दबाव डालकर हमारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं करा सकती। यह कहा जा चुका है कि सरकार इन व्यक्तव्यों से खुश नहीं है और जिस ढंग से ये बातें कही गयी हैं उसे सर्वथा पसंद नहीं करती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** (गोपालगंज) : क्या सरकार उन राजदूत के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी अथवा उनसे स्पष्टीकरण मांगेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस बारे में निर्णय करना सरकार का काम है और उसे यहां अब नहीं बताया जा सकता ।

दिल्ली में सदर बाजार में हुआ अग्निकांड

†**डा० ल० म० सिंघवी** (जोधपुर) : नियम १९७ के अधीन मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान "२८ मई, १९६२ को दिल्ली के सदर बाजार क्षेत्र में लगी आग, जिसमें अनेकों मकान जल गये और बहुत से लोग बेघरबार हो गये" की ओर आकर्षित करता हूं। और उनसे निवेदन करता हूं कि वे इस बारे में एक वक्तव्य दें ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य -मंत्री (श्री दातार)** : दो जगह आग लगी थी । मैं हर एक के बारे में विवरण दे रहा हूं ।

२८ तारीख की रात को लगभग २ बजकर १० मिनट पर मोतिया खान में ईदगाह सड़क पर एक झोंपड़ी में आग लगी । जैसे ही पुलिस थाने में इसकी सूचना मिली तुरन्त ही आग बुझाने एवं सहायता के लिये लोग दौड़ा दिये गये । फायर ब्रिगेड भी घटनास्थल पर तुरन्त पहुंच गया और उसे आग बुझाने में एक घंटे का समय लगा और इस प्रकार प्रातः ५½ बजे तक आग बुझाने का काम पूरा हो गया ।

आग लगने के कारण की जांच की जा रही है। चूंकि रात के समय यह आग लगी थी अतः ठीक से पता नहीं चल सका कि क्या और कैसे हुआ । आस पास फूस के झोंपड़े थे अतः बहुत जल्दी ही आग चारों ओर फैल गई । हालांकि कोई व्यक्ति मरा नहीं परन्तु सम्पत्ति की क्षति का अनुमान ७२,००० रुपये लगाया गया है । कबाड़ी तथा भूसा बेचने वालों की १५ दुकानें आग में जल कर स्वाहा हो गईं । ५ परिवारों का सब सामान जल गया । उस आग में १२८ भेड़ें जल गईं ।

प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा सहायता कार्य शुरू किया गया है । तुरन्त सहायता देने के लिये जिलाधीश न प्रत्येक परिवार को २५ रुपये का अनुदान मंजूर किया है ।

उसी दिन ११ · ०८ बजे प्रातःकाल नबीकरीम के मुर्द घटे में भी आग लगी । और जल्दी से ही यह आग चारों तरफ फैल गई इस आग से ३०झोंपड़ियां जल गईं । २३ झोंपड़ियां तो बिल्कुल जल गईं और शेष ७ झोंपड़ियों को गिराना पड़ा । इनमें रहने वाले लोग बेघर हो गये । फायर ब्रिगेट तुरन्त घटनास्थल पर पहुंच गया और उसे आग बुझाने में ९० मिनट लगे । जान की कोई हानि नहीं हुई । सम्पत्ति की क्षति का अनुमान १६,००० रुपये लगाया जाता है । आग का कारण मालूम नहीं हो सका । इस प्रकार की आग प्रायः गर्मियों में थोड़ी सी असावधानी के कारण लग जाया करती है । प्राधिकारियों द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की सहायतार्थ निष्कारण सहायता के रूप में ५०० रुपये की राशि मंजूर की है । और सहायता भी की जायेगी । रेडक्रास आदि संस्थायें सहायता कार्य कर रहीं हैं ।

सरकार ने इस बारे में तुरन्त ही एक प्रतिवेदन मांगा है । और उसके आधार पर और सहायता दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर पखे गये पत्र

समवाय (केन्द्रीय सरकार को अपील) (संशोधन) नियम, और समवाय (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम तथा फार्म (संशोधन) नियम, १९६२

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक १२ मई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६५१ में प्रकाशित समवाय (केन्द्रीय सरकार को अपील) (संशोधन) नियम, १९६२ ।

(दो) दिनांक १२ मई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी०एस० आर० ६५४ में प्रकाशित समवाय (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम और प्रपत्र (संशोधन) नियम, १९६२ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिय क्रमशः संख्या एल टी-१५२/६२ और १५३/६२ ।]

अनुदानों की मांगें—जारी

सूचना और प्रसारण मंत्रालय—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा करेगी ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, कल जहां से मैं ने अपने भाषण को आरम्भ किया था उस में इस मंत्रालय के भूतपूर्व मंत्री डा०केसकर के सम्बन्ध में मैं ने यह निवेदन किया था कि जो परम्परायें पिछले वर्षों में उन्हों ने आकाशवाणी से सम्बन्धी विभागों के लिये डाली थी उन परम्पराओं में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिये उन परम्पराओं को और आर्थिक प्रोत्साहन मिलना चाहिये । आज भी मैं उसी से सम्बधित दो तीन आवश्यक बातें कहना चाहता हूं । पहली बात तो यह कि जिस समय हमारा यह देश स्वतन्त्र हुआ था उस समय इस विभाग को इतना महत्वपूर्ण विभाग समझा गया था कि तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने हाथों में इस विभाग को रक्खा था । सरदार पटेल की आकांक्षा थी कि इस विभाग को और भी अधिक परिमार्जित रूप दिया जाये । मेरी तो अपनी इस प्रकार की अभिलाषा है कि जहां सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सांस्कृतिक दृष्टि से और बहुत से कार्य करता है, सुना यह जाता है कि इस अधिवेशन के समाप्त होने के पश्चात् हमारी कबिनेट में और विभागों में कुछ परिवर्तन होने वाला है । मेरा माननीय मंत्री से इस सम्बन्ध में यह सुझाव है कि सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय का वह भाग जो सांस्कृतिक कार्यों तक सीमित है उसे यदि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ जोड़ दिया जाय तो बहुत अधिक उपयुक्त होगा । उस से इस में एक सुव्यवस्थितपन भी आ जायेगा । फिर प्रश्न यह रह जायेगा कि यह सांइटिफिक रिसर्च अथवा वैज्ञानिक अनुसन्धान विभाग का क्या हो पर क्योंकि विशुद्ध रूप से वह तो शिक्षा मंत्रालय का एक विषय है इसलिये उसको उसके साथ जोड़ दिया जाये इस से दोनों विभागों में एक व्यवस्थित रूप भी आ जायेगा साथ ही उसके विकास का भी अवसर मिलेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में है। अभी माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री डा० गोपाल रेड्डी ने कुछ दिन पहले एक स्थान पर भाषण देते हुए यह कहा था कि समय की मांग है कि भारतीय भाषाओं के पत्रों और भारतीय भाषाओं को पर्याप्त प्रोत्साहन मिलना चाहिये। इस सम्बन्ध में मेरा अपना सुझाव इस प्रकार का है कि भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में ५ स्तर हैं। पहला भारतीय भाषाओं के पत्र, दूसरा भारतीय भाषाओं के प्रकाशन, (३) भारतीय भाषाओं की फिल्में, (४) भारतीय भाषाओं के समाचार-ऐजेंसियां और (५) भारतीय भाषाओं में काम करने वाले सम्पादक उप-सम्पादक आदि भारतीय भाषाओं और समाचारों को आगे लाने के यह ५ साधन हैं।

जहां तक भारतीय भाषाओं के पत्रों का सम्बन्ध है यह दुर्भाग्य का विषय है कि अभी तक १४ वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी कोई भी भारतीय भाषा का पत्र इस योग्य नहीं हो पाया है जिस को कि सब दृष्टि से पूर्ण समाचारपत्र कहा जा सके। मैं नहीं कह सकता कि प्रान्तीय स्तर के पत्रों की स्थिति क्या है। लेकिन दिल्ली चूंकि भारतकी राजधानी है और भारत की राजधानी दिल्ली से हिन्दी के दो इस प्रकार के पत्र निकलते हैं--एक हिन्दुस्तान और दूसरा नवभारत टाइम्स, यदि इन दोनों पत्रों को सम्बद्ध विभाग की ओर से पूर्ण सुविधायें प्रदान हों तो मेरा अपना अनुमान है कि यह दोनों पत्र पूर्ण विकसित पत्र हो सकेंगे। उस के लिये जो भी व्यवहारिक सुविधायें हों वह इस विभाग को देनी चाहियें। लेकिन देखा यह गया है कि भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले पत्रों के सम्बन्ध में इस विभाग की जो नीति है वह बहुत हद तक उपेक्षापूर्ण है।

अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि बम्बई से जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है, एक महाराष्ट्र टाइम्स नाम का पत्र निकलने की लगभग पूर्ण व्यवस्था हो गई थी उस के लिये १०४ कर्मचारियों की नियुक्तियां हो चुकी थीं। उस पत्र का एक डमी रूप भी निकलने लगा था लेकिन विभाग की ओर से पूरी सुविधा न मिलने के कारण उस को अपना कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा और १०४ कर्मचारी जिनकी कि नियुक्तियां हो चुकी थीं उन को फिर से वापिस भेजना पड़ा।

भारतीय भाषाओं के पत्रों के सम्बन्ध में दूसरी बात जो कठिनाई उत्पन्न करने वाली है, वह यह है कि जो कागज इन्हें मिलता है उस के लिये पहले तो प्रैस रजिस्ट्रार के यहां से अनुमति लेनी पड़ती है और फिर बाद में जो दूसरा कामर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का सम्बन्धित विभाग है वहां जा कर उस की स्वीकृति लेनी पड़ती है अब इसको दो विभागों से सम्बन्धित न करके एक ही विभाग से यदि इस को सम्बन्धित रक्खा जाये तो यह अधिक उपयुक्त होगा।

इस के अतिरिक्त भारतीय भाषाओं के पत्रकारों के सम्बन्ध में भी देखा यह गया है कि सम्बन्धित विभाग जितनी अंग्रेजी के पत्रकारों को सम्मानित स्थान देते हैं उतना सम्मानित स्थान भारतीय भाषाओं के पत्रकारों को अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। मैं चाहता हूं कि डा० गोपाल रेड्डी स्वयं इन बातों के सम्बन्ध में विचार करें। जहां वह भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो उनके पत्रकारों को भी उसी प्रकार का सम्मानित स्थान देने के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों को उन्हें आदेश देना चाहिये। स्वर्गीय सरदार पटेल के हाँथों में जब यह विभाग था तो उन्हों ने उस समय इस के भारतीयकरण के लिये कुछ कार्य किया था। रायटर की समाचार ऐजेंसी बर्मा, लंका आदि देशों के समाचार संग्रह किया करती थी और यहां से उनको लन्दन भेजा करती थीं। वह वहां सम्पादित होते थे और आडिट होने के बाद तब वह समाचार प्रसारित किये जाते थे। सरदार पटेल ने इस परम्परा तथा प्रवृत्ति का विरोध किया और उन्होंने इसके स्थान पर कहा कि टोकियो हांगकांग और पैकिंग आदि के सब समाचार भारतीय माध्यम से सीधे हमें क्यों प्राप्त हों सरदार पटेल ने इस पद्धति को अच्छा नहीं समझा। उन्हें ने कहा कि इस प्रकार की ऐजेंसी का क्या लाभ है ? क्यों न हम भारतीय स्तर पर एक एजेंसी स्थापित करें जो टोकियो, हांगकांग, बर्मा और लंका आदि सभी स्थानों से

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

समाचार हमारे पास सीधे आयें और उन को आडिट कर के समाचारपत्रों में दें ? उस के लिये उस समय प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया की स्था पना हुई । मैं यह नहीं कह सकता कि यह समाचार एजेंसी उस कार्य को पूरा करने में कितनी सक्षम हो सकी लेकिन मैं एक बात अवश्य कह सकता हूं और वह यह कि हमारे भारतवर्ष में भी भारतीय भाषाओं में समाचार देने वाली ८ एजेंसियां हैं जिन में कि हिन्दुस्तान समाचार का विशेष रूप से अपना एक स्थान है । यह ऐजेंसी समाचार प्रसारित करती है लेकिन जितना प्रोत्साहन इस समाचार एजेंसी को मिलना चाहिये वह नहीं मिलता है प्रैस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस को मेजर एजेंसी बताया है । प्रान्तीय समाचारों को भी यह संग्रह करके उन स्थानों पर पहुंचाती है । भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिये जो ऐसी भारतीय भाषाओं की समाचार एजेंसियां हैं उन को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ।

भारतीय भाषाओं के वृत्त चित्र के सम्बन्ध में मुझे विशेष बात यह कहनी है कि जो आप के यह छोटे छोटे चित्र तैयार होते हैं उन के बारे में पता यह लगा कि पहले इन को इंग्लिश में तैयार किया जाता है फिर उन को अनुवाद कर के हिन्दी में तैयार किया जाता है अब यह सभी जानते हैं कि अंग्रेजी जानने वालों की संख्या इस सारे भारत-वर्ष में केवल दो प्रतिशत है लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारी सरकार के जो वृत्त चित्र और प्रकाशन होते हैं वह ज्यादातर अंग्रेजी में ही होते हैं । इस रिपोर्ट में बताया गया है कि १९६१–६२ में जो प्रकाशन निकले हैं उन में अंग्रेजी के प्रकाशनों की संख्या ७२ है, हिन्दी की ४३, बंगाली की ७, और गुजराती की ५ और असमियां और दूसरी भाषाओं के भी थोड़े थोड़े प्रकाशन निकले हैं जिस देश में केवल दो प्रतिशत अंग्रेजी जानने वाले हों वहां अंग्रेजी के प्रकाशनों पर इस प्रकार का भारी व्यय करना यह कहां तक इस देश की परम्पराओं के अनुकूल हो सकेगा ?

यही बात वृत्त चित्रों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है । जो व्यय अंग्रेजी के वृत्त चित्र तैयार करने में होता है और जो व्यय भारतीय भाषाओं के वृत्त चित्र तैयार करने में किया जाता है । उस में भी बहुत बड़ा अन्तर है । मैं चाहता हूं कि जब इस मंत्रालय के खर्च की मांगों की स्वीकृति के लिये सदन में विचार हो रहा है तो इस के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए ।

एक अन्य बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह है भारतीय भाषाओं के उप-संपादकों के सम्बन्ध में। गत वर्ष भी जब इस मंत्रालय की बजट मांगों पर चर्चा चल रही थी तो मैं ने इस प्रश्न को उठाया था । मैंने माननीय डा० केसकर को कहा था कि आकाशवाणी में भारतीय भाषाओं के जो उप-संपादक हैं उन की स्थिति को आगे बढ़ाना चाहिये । डा० केसकर ने उस समय यह कह था मैं इसके लिये सम्भवत: उनको उतना दोषी नहीं मानूंगा जितना उन के विभाग को जिस विभाग ने कि उन को गलत जानकारी दी । डा० केसकर ने कहा था कि वह लोग तो एनाउन्सर्स ट्रान्सलेटर्स अर्थात् अनुवादक के रूप में नियुक्त हुए थे इसलिये उन की पद वृद्धि के सम्बन्ध में कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है । यू० पी० एस० सी० के द्वारा विधिवत् उन की परीक्षा हुई जिस में उतीर्ण होने के बाद उन की नियुक्तियां हुईं । लेकिन यू० पी० एस० सी० जैसी सर्वोच्च और निष्पक्ष संस्था की परीक्षा उत्तीर्ण करने और उस की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् उन को सब से निचले ग्रेड में डाल दिया गया है और यह शर्त लगा दी गई है कि अब उन की एक विभागीय परीक्षा और होगी । क्या वह विभागीय परीक्षा यू० पी० एस० सी० की परीक्षा से बड़ी हो सकती है ।

अध्यक्ष महोदय मैं आप को बताना चाहता हूं कि भारतीय उप-सम्पादकों की स्थिति आकाशवाणी में क्या है। अतारांकित प्रश्न संख्या ४०७ के उत्तर में बताया गया था कि ७००-१,२५० रुपये के पहले ग्रेड में कुल मिला कर ७९ उप-सम्पादक हैं जिन में से ६६ अंग्रेजी के और १३ समस्त भारतीय भाषाओं के हैं; दूसरे ग्रेड में जिसका वेतन-क्रम ४००–९५० रुपये है कुल ३१ व्यक्ति हैं, जिन में से १८ अंग्रेजी के हैं और १३ भारतीय भाषाओं के; तीसरे ग्रेड में, जिसका वेतन-क्रम ३५०–८०० रुपये हैं कुल मिला

कर १२८ व्यक्ति हैं, जिन में ७६ अंग्रेजी के और ५२ समस्त भारतीय भाषाओं के और हैं चौथे ग्रेड मे, जो कि सब से छोटा ग्रेड है और जिस का वेतन-क्रम २७०–४८५ रुपये हैं, १०४ व्यक्ति हैं, जिन में ११ अंग्रेजी के और ९३ समस्त भारतीय भाषाओं के हैं ।

इन आंकड़ों से यह प्रतीत होता कि चौथा ग्रेड उन भारतीय भाषाओं के उप-सम्पादकों के लिये ही बनाया गया था । मैं समझता हूं कि भारतीय भाषाओं के उप-सम्पादकों को दुगना काम करना पड़ता है, क्योंकि अंग्रेजी में समाचार आते हैं, जिन का उन्हें अनुवाद कर फिर से अपनी भाषा में तैयार करना पड़ता है । पिछली बार डा० केसकर ने इस स्थिति को फिर से देखने को चर्चा की थी अब डा० गोपाल रेड्डी के हाथों में यह विभाग आया है । मैं आशा करता हूं कि वह इस विषय में विचार करके भारतीय भाषाओं के उप-सम्पादकों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करेंगे ।

आकाशवाणी के द्वारा प्रसारित होने वाले समाचारों के सम्बन्ध में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं । वैसे तो भारतीय समाचारपत्रों की भी वही स्थिति हो गई है पराधीनता का अभिशाप अभी हमारे ऊपर से नहीं गया है और कहा नहीं जा सकता कि दासता की ही मनोवृत्ति से कब हम लोगों को मुक्ति मिलेगी जो विदेशी समाचारों को वे जितना महत्व देते हैं वह आनुपातिक दृष्टि से बहुत अधिक हैं । दूसरे देशों के समाचारपत्रों की स्थिति इस से बिल्कुल भिन्न है । मैं निवेदन करना चाता हूं कि आकाशवाणी के न्यूज ब्राडकास्ट की स्थिति भी लगभग समाचारपत्रों जैसी है । कभो कभी तो आधा समाचार बुलेटिन विदेशी समाचारों से भरा हुआ रहता है, जब कि दूसरे देशों के ब्राडकास्ट मे कठिनाई से एक दो मिनट का समय विदेशी समाचारों को दिया जाता है । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस प्रश्न पर भी विचार करें ।

इस सम्बन्ध में मैंने गत वर्ष भी कहा था कि केवल राजनीतिक समाचारों को ही अधिक महत्व न दे कर सामाजिक और सांस्कृतिक समाचारों को भी महत्व दिया जाना चाहिए और उन को समाचार बुलेटन में उचित स्थान देना चाहिए । डा० केसकर ने इस बात को स्वीकार भी किया था, लेकिन मेरा अनुमान है कि अभी तक इस सम्बन्ध में कोई विशेष प्रकार का परिवर्तन नहीं हो पाया है ।

विदेश सेवा विभाग के सम्बन्ध में मंत्रालय की रिपोर्ट में ये शब्द दिये गए हैं, "इन प्रसारणों का मूल उद्देश्य बाहरी दुनिया के सामने भारत का सच्चा स्वरूप प्रस्तुत करना है" । लेकिन देखा यह जाता है कि जब अमरीका के प्रैज़िडेंट आइज़नहावर यहां आए, तो विदेश सेवाविभाग ने दूसरे देशों के लिए पांच रीलें ब्राडकास्ट कीं और इस की तुलना में जब डा० राजेन्द्रप्रसाद बारह साल तक राष्ट्रपति रह कर पद-मुक्त हुए, तो उन के सम्बध में विदेश सेवा विभाग ने एक भी रील प्रसारित नहीं की । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस विभाग का उद्देश्य भारतीय समाचारों या भारतीय वृत्तान्तों को प्रोत्साहन देना है या उन की सर्वथा उपेक्षा करना है । मेरा विश्वास है कि इस विभाग की नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है ।

चिल्ड्रन्ज़ फ़िल्म सोसायटी के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि जनवरी से मार्च, १९६१ तक की अवधि में २५,००० रुपया और अप्रैल, १९६१ से फ़रवरी, १९६२ तक की अवधि में ९,८३,७२२ रुपया इस सोसायटी को अनुदान के रूप में दिया गया । कल इस बात की विशेष रूप से चर्चा की गई थी कि इस सोसायटी के बारे में एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट आंखें खोल देने वाली है कि कितना गोलमाल इस सोसायटी में चल रहा है । मैं चाहता हूं कि मंत्रालय निष्पक्ष अधिकारियों के द्वारा इस सम्बन्ध में एन्क्वायरी कराये, जो कि उच्च-स्तरीय होनी चाहिए और उस के पश्चात् इस बारे में उचित निर्णय लिया जाये ।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

अब मैं फ़िल्म सेंसर बोर्ड के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। पिछले दिनों आचार्य विनोबा भावे ने, जो कि राजनीतिक स्तर से ऊपर उठ कर देश-निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं, एक आन्दोलन चलाया था कि गन्दे चित्रों को चौराहों पर से फाड़ा जाये। पिछली बार सदन के माननीय सदस्य, श्री त्यागी जी ने भी इस विभाग की ओर कुछ थोड़ा सा संकेत किया था, लेकिन अभी तक उसकी कार्य-प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया है। मैं आप को बताना चाहता हूं कि जो गीत सेंसर बोर्ड पास करता है, उनमें इस प्रकार के गीत भी होते हैं:

"चांद तारे भी हैं, तन्हाई भी है,
तुम ने क्या दिल को जलाने की कसम खाई है"

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य वे गीत यहां पर सुनाकर हमें उसी कीचड़ में न ले जायें।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: मैं समाप्त कर रहा हूं।

मैं चाहता हूं कि सेंसर बोर्ड को इस प्रकार कड़ा किया जाये कि देश का नैतिक और चारित्रिक स्तर न गिरने पाए, अन्यथा अगर यह प्रवृत्ति इसी तरह चलती रही, तो मैं सूचना और प्रसारण मंत्री को चेतावनी के रूप में कहना चाहता हूं कि अभी तो आचार्य विनोबा भावे की ओर से यह आन्दोलन चला, लेकिन अगर सरकार ने जनता की भावनाओं की इसी तरह से उपेक्षा की, तो देश भर में एक भयंकर आन्दोलन चलेगा, जिस की ज़िम्मेदारी सरकार पर होगी। इस लिए मैं चाहता हूं कि इस विषय में कुछ गम्भीरता से निर्णय लिया जाये।

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : इस वाद-विवाद में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं। उन्होंने जन-संचार के माध्यम के बारे में बड़े उपयोगी सुझाव दिये हैं। सब मिलाकर मैं यही कहूंगा कि सभा के सभी सदस्यों ने इस माध्यम का समर्थन और इसकी सराहना की है। माननीय सदस्यों की यही इच्छा है कि इस माध्यम को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रयुक्त किया जाये जिससे कि योजनाओं का अधिक प्रचार हो और देश की एकता बड़े और तृतीय योजना काल में सभी माध्यमों के जरिये देश की उन्नति और समृद्धि को बल दिया जाये।

इससे सम्बंधित कल के वाद-विवाद का सिंहावलोकन करके मैंने यही निष्कर्ष निकाला है कि इस विभाग की अधिक कटु आलोचना नहीं हुई है। माननीय सदस्यों ने थोड़ी बहुत टिप्पणी की है और सुधार के लिये सुझाव भी दिये हैं और साथ ही इन मांगों को मंजूर करने की सहमति प्रकट की है। इसमें सुधार करने की आवश्यकता सभी मानते हैं। हमारे प्रगति-पथ अगले चरण में लोक संचार के सभी साधनों--रेडियो, फिल्मों, प्रेस, इत्यादि को बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट अदा करना है।

हमारे देश की अधिकांश जनता अभी भी अशिक्षित है। अधिकांश लोग अखबार नहीं पढ़ सकते। वे रेडियो और फिल्मों के जरिये सुन और देख सकते हैं कि देश में क्या हो रहा है। इन साधनों का प्रयोग तकनीक को उन्नति के लिये भी किया जाना चाहिये। रेडियो, फिल्मों और प्रेस के जरिये उद्योग, कृषि, व्यापार और वाणिज्य में भी सुधार करने के तरीक़ों का प्रचार किया जा सकता है। हमें प्रौद्योगिकी के इस युग में आगे बढ़ना है, पर साथ ही अपनी पवित्र परम्पराओं से अलग नहीं करना है। हमारा समाज भी निरंतर बदलता जा रहा है। औद्योगिक युग के प्रभाव से हमारे सामाजिक दृष्टिकोण भी निरंतर बदलते जा रहे हैं। हमारा समूचा समाज निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। इस लिये अब इस अवस्था पर यह कहने से कोई लाभ नहीं कि हम अपने देश में अगले १५ वर्षों तक टेलीविजन नहीं चाहते। इस तरह सोचना ठीक नहीं होगा। इसलिये कि पूरा देश प्रौद्योगिकीय उन्नति

†मूल अंग्रेजी में

के पथ पर अग्रसर हो रहा है। यह तो ठीक है कि अभी कुछ समय तक टेलीविजन शहरों के लिये ही उपयोगी रहेगा, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि टेलीविजन की दिल्ली और बम्बई यूनिटों को भी ब द कर दिया जाये। कहीं न कहीं उसकी शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी और उसके बाद ही उसे गांवों में ले जाने की कोशिश की जा सकती है।

हमें अपने आदर्श जनता के सामने लगातार रखते रहना चाहिये और जनता को सामयिक विचार धारा के साथ-साथ लेते चलना चाहिये। अन्यथा होगा यह कि शहरी जनता और सरकार की विचारधारा तो एक होगी लेकिन ग्रामीण जनता की विचारधारा और उसकी भावनायें काफी पीछे रह जायेंगी। दोनों में एक खाई पैदा हो जायेगी, जो अवांछनीय है। लेकिन हमारे प्रचार साधन भी देश की आर्थिक प्रगति के अनुसार ही आगे हो सकते हैं। आर्थिक रूप से उन्नत देशों में प्रचार के साधन भी अत्यंत विकसित रूप में हैं। चूंकि हमारा देश ग़रीब है, इसलिये हमारे देश में अखबार पढ़ने वालों की संख्या भी अत्यंत सीमित है। रेडियो लाइसेन्सों और प्रदर्शनियों की संख्या भी अत्यंत सीमित है। इसलिये हमें अपने प्रचार के साधनों को और अधिक दृढ़ बनाकर उनका अधिकतम उपयोग करना चाहिये। जिससे कि देश की समूची जनता तक हमारी आवाज पहुंच सके। प्रचार के सभी साधनों को जनता तक पहुंचना चाहिये और उनको देश की समृद्धि और एकता के पथ पर अपने साथ-साथ ले चलना चाहिये।

हमारा देश पिछड़ा हुआ है। प्रति ८६ व्यक्तियों के लिये एक अखबार पड़ता है, जबकि यूनेस्को ने विकासशील देश के लिये प्रति १० व्यक्तियों के लिये एक अखबार का मानदण्ड रखा है। हमारे यहां प्रति २१९ व्यक्तियों के पीछे एक रेडियो है, जबकि उसका न्यूनतम मानदण्ड प्रति २० व्यक्ति पीछे एक रेडियो है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमें अभी कितना रास्ता तय करना है। तभी हम भविष्य की चुनौती का सफलता से उत्तर दे सकते हैं।

इस मंत्रालय की जो सराहना की गई है उसमें आकाशवाणी की काफी सराहना की गई है। कहा गया है कि उसने शास्त्रीय संगीत की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्रतिष्ठित कर दिया है और सुयोग्य लेखकों, कवियों तथा संगीताचार्यों को संरक्षण दिया है। आकाशवाणी भी, अन्य साधनों की तरह, देश की एकता के लिये प्रयत्नशील है। आकाशावणी ने अपने प्रसारणों द्वारा लोगों में एकता की भावना पैदा की है। इसलिये वह बधाई का पात्र है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आकाशवाणी लोगों में एकता की भावना पैदा करने, उनका मनोरंजन करने, उनकी शिक्षा और उद्योग तथा कृषि के अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में काफी शक्तिशाली योग देगा। मैं चाहता हूं कि आकाशवाणी तेजी से प्रगति करे।

श्रवण क्षेत्र भी बढ़ाया जाना चाहिये। हम तृतीय योजना में उसमें ७४ प्रतिशत तक वृद्धि करने के लिये प्रयत्नशील हैं। अभी वह लगभग ५० या ५५ प्रतिशत है। तृतीय योजना काल के दौरान हम ६६ ट्रान्समीटर्स लगाने की योजना बना रहे हैं, जो उसे ७० प्रतिशत तक पहुंचा देंगे।

श्री कुमारन ने त्रिवेन्द्रम केन्द्र के बारे में शिकायत की है। यह सही है कि वह केवल ५ किलोवाट का मीडियम-वेव केन्द्र है। वहां शीघ्र ही २० किलोवाट का केन्द्र स्थापित किया जा रहा है, जो पूरे केरल में सुना जा सकेगा। इसी तरह हैदराबाद जैसा प्रमुख केन्द्र भी ५ किलोवाट क्षमता का है।

ऐसे मीडियम-वेव केन्द्रों के श्रवण-क्षेत्र में पूरा देश नहीं आता। शायद शार्टवेव केन्द्रों को पूरे देश में सुना जा सकता है। श्री भक्त दर्शन ने हिमालय-प्रदेश में एक केन्द्र खोलने की मांग की है। उस प्रदेश में लखनऊ केन्द्र को सुना जा सकता है। मैं नहीं जानता कि पर्वतीय प्रदेश में मी डियम-वे ब

[डा० ब० गोपाल रेड्डी]

ट्रान्समीटर सर्वथा उपयुक्त रहेगा या नहीं । हम उस पर विचार अवश्य करेंगे । तृतीय योजना का कार्यक्रम तो निश्चित हो चुका है, इसलिये अब उसके बाद ही हम इस पर विचार करेंगे । तृतीय योजना के कार्यक्रम में तो अब कोई गुंजाइश रह नहीं गई है ।

आकाशवाणी ने संगीत को पूरी प्रतिष्ठा दी है—फिल्मी संगीत, लोकसंगीत, सरल संगीत, विविध भारती इत्यादि कार्यक्रमों द्वारा । जनता ने उसे पसन्द किया है और इसकी हमें प्रसन्नता है । इसलिये उसे जारी रहना और निरन्तर प्रगति करते चलना चाहिये । वह सभी प्रदेशों, समुदायों और राज्यों की जनता को संगीत के माध्यम से एक-दूसरे के निकट ला रही है । संगीत को जनता में एकता ही पैदा करनी चाहिये, अलगाव नहीं ।

लेकिन भाषा का प्रश्न कुछ बड़ा कठिन और पेचीदा सा है । भारत में अनेक भाषायें हैं और आकाशवाणी के प्रसारण इसीलिये अनेक भाषाओं में किये जाते हैं । यह आकाशवाणी की अपनी विशेषता है । बी० बी० सी० एक ही भाषा में प्रसारण करता है । आकाशवाणी को इसीलिये अधिक बड़े संगठन की आवश्यकता है । कभी-कभी एक ही 'एनाउन्सर' के लिये विभिन्न प्रदेशों के नामों का सही उच्चारण तक करना असंभव होता है ।

इसीलिये हम आकाशवाणी में एक उच्चारण विभाग अलग से बना रहे हैं । ग़ालिब को गालिब या विस्वैस्वरय्या का किसी दूसरे ढंग से उच्चारण किया जाना मुझे पसन्द नहीं है । उससे आकाशवाणी की प्रतिष्ठा घटती है । इसी तरह त्रिवेन्द्रम, नेफा और काश्मीर के भी कुछ नाम हैं, जिनका सही-सही उच्चारण एक ही एनाउन्सर के लिये असंभव है । इस प्रकार हम आकाशवाणी के उच्चारणों में सुधार करने के लिये सतत प्रयत्नशील हैं ।

भाषा के बारे में, मैं ने सभा में और सभा के बाहर भी, सुना है कि एक ऐसी हिन्दी अपनाई जानी चाहिये जो सभी हिन्दी प्रदेशों में समझी जा सके । कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि अब हिन्दी काफी निखर चुकी है, इसलिये उसे उसी दिशा में सुधारा तो जाये पर पीछे को न घसीटा जाये । तीन या चार वक्ताओं ने कहा है कि हिन्दी ऐसी होनी चाहिये जो आसानी से सभी की समझ में आ जाये । पर कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि आकाशवाणी आज जिस हिन्दी का प्रयोग करती है, वही आदर्श हिन्दी है; उस में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये । ऐसे मामलों में हमें व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये । हमें देखना चाहिये कि हमारे प्रसारण अधिक से अधिक लोगों द्वारा समझे जायें । यदि समझ में ही न आ सके तो फिर उनका कोई मतलब ही नहीं रह जाता । इसके लिये जरूरी है कि आकाशवाणी के श्रोताओं का एक सर्वेक्षण किया जाये । इसकी छानबीन विशेषज्ञ लोग करेंगे, इसलिये मैं अभी इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता ।

यदि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी या पूर्वी हिस्से, या पंजाब या बिहार के लोगों को भाषा को समझने में सचमुच कोई कठिनाई पड़ती हो, तो अवश्य ही उसका सर्वेक्षण कराया जाना चाहिये । यदि अधिकांश जनता हमारे प्रसारणों को न समझे, तो वह अपव्यय ही तो हुआ ।

अपने विद्यार्थी और बाद में राजनीतिक जीवन में भी मैं ने लोगों को कहते सुना था कि हिन्दी और उर्दू एक ही भाषा की विभिन्न शैलियां हैं । पन्त जी और गांधी जी भी यही कहा करते थे । लेकिन अब आकाशवाणी ने उनको दो अलग-अलग भाषायें मान लिया है । हिन्दी और उर्दू में अलग-अलग प्रसारण किये जाते हैं । इस से तो जनता यही समझेगी कि दोनों दो अलग-अलग भाषायें हैं । मैं नहीं जानता कि उनको अलग रखना चाहिये या एक, और उनको एक करना राष्ट्रीय एकता के हित में रहेगा या नहीं ।

†**एक माननीय सदस्य :** गांधी जी उसे हिन्दुस्तानी कहते थे ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शुरू में शायद दोनों एक ही हों, पर बाद में उर्दू के लेखकों ने फ़ारसी और हिन्दी के लेखकों ने संस्कृत का अधिकाधिक सहारा लेना शुरू कर दिया । इससे उनमें अन्तर आ गया है ।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : संविधान में भी तो ये दो अलग-अलग भाषायें मानी गई हैं, जैसे कि अन्य भाषायें उसके अन्दर हैं, उस सूची में 'हिन्दुस्तानी' नाम की कोई भाषा नहीं है ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** हिन्दुस्तानी की बहस मद्रास में चली थी । मैं तब वहां मौजूद था । मैं जानता हूं कि दोनों में अन्तर कैसे पैदा हुआ है ।

लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि दोनों को अलग-अलग दिशाओं में बढ़ने दिया जाये, या एक करने की कोशिश की जाये । मैं स्वयं इस समस्या पर विचार करना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि इसके बारे में सभा मुझे बतलाये । इसके लिये मुझे कई भाषा-विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, इत्यादि से सलाह-मशविरा करना पड़ेगा ।

जो भी हो, मैं इतना अवश्य कहूंगा कि दोनों के अलग-अलग जा पड़ने से मुझे खुशी नहीं हुई । गांधी जी, सरदार पटेल की या फिल्मों की भाषा के बारे में किसी को कोई ऐतराज नहीं । प्रधान मंत्री भी उसी भाषा का प्रयोग करते हैं । और जैसा कि श्री भक्त दर्शन ने कहा है, देश की जनता उसे समझती है । उसी के जरिये प्रधान मंत्री ने उन में आदर्श और जागरूकता का संचार किया है । अब यदि कोई कहे कि वह भाषा भी लोग नहीं समझते, तो पता नहीं . . .

श्री भक्त दर्शन : मुझे क्षमा करें, मैं समझता हूं कि मेरा जो उद्देश्य था उसे माननीय मंत्री महोदय ग़लत समझ रहे हैं । मेरा मतलब यह था कि जो अहिन्दी भाषी लोग हैं, जैसे बंगला वाले या तैलगू वाले, उनको उर्दू-मिश्रित हिन्दी समझने में कठिनाई होती है । मैं इसी को सिद्ध करना चाहता था ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** ऐसा तर्क मेरी समझ में नहीं आता ।

हिन्दी के प्रसारण हिन्दी भाषी प्रदेशों के लिये किये जाते हैं । महाराष्ट्र या गुजरात के लिये नहीं । वे राजस्थान से बिहार तक के क्षेत्र के लिये ही होते हैं । उनकी कसौटी यही है कि इस क्षेत्र के लोग उनको समझते हैं या नहीं ।

मैं चाहता हूं कि हिन्दी भाषा के प्रसारण हिन्दी-भाषी क्षेत्रों तक ही सीमित रहें । मैं जानना चाहूंगा कि दिल्ली, पंजाब या उत्तर प्रदेश के लोग उस भाषा को ठीक से समझते हैं या नहीं । बंगाली किस प्रकार की हिन्दी को ज्यादा अच्छी तरह से समझेंगे, इसकी बहस से कोई फायदा नहीं ।

†**श्री खाडिलकर** (खेड़) : जब हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित किया जाता है तो हिन्दी को इस योग्य बनाना चाहिये कि वह समूचे भारत में समझी जाये, केवल हिन्दी-भाषी प्रदेशों में नहीं ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** पूरे भारत के लिये आप को कुछ दूसरे प्रसारण रखने चाहियें । ये प्रसारण तो मुख्यतया हिन्दी-भाषी प्रदेशों के लिये होते हैं । फिर यह कहने का क्या मतलब कि बंगाल और केरल के लोग किस भाषा को ज्यादा अच्छी तरह समझेंगे ? वैसी भाषा को अपनाने पर तो हिन्दी प्रदेशों के हिन्दी भाषी लोग ही ऐतराज करने लगेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : क्या कोई शिकायत आई है ? हमें तो कोई शिकायत नहीं है ।

†**डा० ब० गोपाल रेड्डी** : हमें इसका सर्वेक्षण कराना पड़ेगा । आप चाहें तो ऐसी भी एक भाषा अपना सकते हैं जो त्रिवेन्द्रम से कश्मीर और आसाम से सौराष्ट्र तक समझी जा सके । वह दूसरी बात है । लेकिन ये प्रसारण तो मुख्यतया हिन्दी-भाषी क्षेत्रों के लिये ही होते हैं ।

मैं तो यही समझता हूं कि बंगला भाषा के कार्यक्रम बंगालियों के लिये ही होते हैं, बंगाल में रहने वाले मद्रासियों के लिये नहीं । इसीलिये हिन्दी प्रसारणों की भी कसौटी यही होनी चाहिये कि हिन्दी-भाषी उसको कितना समझते हैं ।

†**श्री खाडिलकर** : क्या इसका मतलब है कि हिन्दी को राष्ट्र भाषा के रूप में विकसित करने के लिये आकाशवाणी को कुछ भी नहीं करना है ? आप इस प्रकार विघटन की नीति अपना रहे हैं—एकीकरण की नहीं ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : मैं चाहता हूं कि हिन्दी प्रसारणों को सब से पहले तो हिन्दी भाषी प्रदेशों में समझा जाये । गुजरातियों, इत्यादि के समझने की बात तो बाद में उठेगी ।

†**श्री श्याम लाल शर्राफ** (जम्म तथा काश्मीर) : माननीय मंत्री कहते हैं कि बंगला प्रसारण बंगालियों और हिन्दी प्रसारण हिन्दी भाषियों के लिये हैं । यदि यही नीति है, तो आकाशवाणी का अखिल भारतीय प्रयोजन क्या रह जाता है ?

†**श्री हेम बरुआ** : इस प्रकार हिन्दी को एक प्रादेशिक भाषा बना दिया जायेगा ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अभी आपने कहा कि यह हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लिये है । लेकिन जैसी मेरी जानकारी है जो हिन्दी का बुलेटिन है वह हैदराबाद, बेजवाड़ा, मद्रास, त्रिचुर, बंगलौर और धारवाड़ से भी ब्राडकास्ट होता है । तो जिस हिन्दी को आप हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लिये निर्धारित कर रहे हैं, वह जब उन क्षेत्रों से ब्राडकास्ट होगी तो उन स्थानों की जनता के लिये उस हिन्दी को समझना क्या कठिन नहीं होगा ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : बात तो स्पष्ट है कि मैं जिस भाषा का प्रयोग करता हूं उसे हिन्दी भाषी लोग समझते हैं या नहीं । हिन्दी प्रसारणों को दक्षिण भारत या बंगाल में कितने लोग सुनते हैं इसकी मुझ कोई जानकारी नहीं है । जहां मेरी जानकारी है कि उनकी संख्या अधिक नहीं है । हिन्दी प्रचारकों के अतिरिक्त, ज्यादा लोग उनको नहीं सुनते । औसत दक्षिण भारतीय को हिन्दी कार्यक्रमों में रुचि नहीं है । लेकिन इसका यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिये कि मैं उन कार्यक्रमों को बन्द कर दूंगा । जो हो रहा है, वह तो जारी रहेगी । बस मैं इतना चाहता हूं कि हमारे हिन्दी प्रसारण सब से पहले हिन्दी भाषी लोगों द्वारा समझे जायें, बंगाल, आसाम या दक्षिण भारत के लोगों के समझने की बात उसके बाद आयेगी ।

ऐसा आरोप लगाया गया था कि हिन्दी के प्रसारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, काश्मीर और देहली में नहीं समझे जाते हैं । इस मामले पर ठंडे दिल से विचार करना चाहिए । इस पर बहस करने का कोई लाभ नहीं । मैं जल्दी में कोई बात नहीं करना चाहता । इस पर गहरा विचार करना है । मुझे यह सुन कर दुःख हुआ उर्दू और हिन्दी के प्रसारण भिन्न हैं । यदि एकीकरण, समझ और ध्येय में, समानता के हित में यदि भाषाओं को इकट्ठा किया जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी, गांधी जी, सरदार पटेल और हमारे प्रधान मंत्री को बहुत खुशी होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं हैदराबाद और त्रिवेन्द्रम से हिन्दी प्रसारणों को बन्द कर रहा हूं और मैं हिन्दी और उर्दू के प्रसारण को भी बदल रहा हूं। इस मामले को सुलझाने के लिए इस पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए ।

जैसे मैंने कहा चलचित्रों में मुझे कोई प्रतिवाद दिखाई नहीं देता है । चाहे देहली हो या हैदराबाद । लोग चलचित्र देखते हैं और भाषा के बारे में कोई शिकायत नहीं करते हैं । जब रेडियो का प्रश्न आता है यह प्रतिवाद आरम्भ हो जाता है । अतः यदि चलचित्र समस्या का समाधान कर सकते हैं तो रेडियो को भी इस का समाधान करना चाहिए ।

दक्षिण भारत और प्रत्येक स्थान पर कई लोग हिन्दी सीख रहे हैं । यह अच्छी बात है । यह अनिवार्य की जा रही है । यह परीक्षा में भी एक विषय होगा । और मैं जानता हूं कि मद्रास के अतिरिक्त सब जगह लोगों को हिन्दी सिखाने की कोशिश की जा रही है । इस संबंध में मेरी इच्छा है कि हिन्दी भाषी लोगों को कोई गैर-हिन्दी भाषा का अध्ययन भी करना चाहिए । मैं यह चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के लोग गुजराती, मराठी, बंगाली और आसामी इत्यादि भाषाओं का अध्ययन करें। जहां तक आकाशवाणी का संबंध है, उसमें अहिन्दी भाषा भाषी लोगों के लिए हिन्दी पढ़ना अनिवार्य करने का कार्यक्रम आरम्भ होने दो । और जहां तक मद्रास, बंगलौर और हैदराबाद में काम करने वाले हिन्दी जानने वाले लोगों का संबंध है,उन्हें स्थानीय भाषा सीखनी चाहिये। ६ या १५ महीने एक आदमी को वहां रखा जाए यदि वह वहां की भाषा सीख ले तो उसे वृद्धि के रूप में प्रोत्साहन देना चाहिए। आप उन्हें यथासम्भव कई भाषाएं सिखा सकते हैं । यह रेडियो में लाभदायक होगा, क्योंकि कई भाषाओं का हमने प्रयोग करना है । इस लिए हम ऐसे प्रोत्साहन और पारितोषिक देने पर विचार कर रहे हैं ।

श्री हेम बरुआ और दूसरे लोग चाहते हैं कि इसे निगम बनाया जाए । यह प्रश्न संसद के सामने कई वर्ष रहा है । पहले वक्ता भी इसे निगम बनाने के लिए कहते रहे हैं । मेरे विचार में उन की यह भावना है कि सरकार इस के दिन प्रतिदिन के कार्य में हस्तक्षेप कर रही है । यदि वह हस्तक्षेप कर रहे हैं तो संगीत, साहित्य इत्यादि के मामले में देश के हित के लिए कर रहे हैं । परन्तु मेरे विचार में सरकार को दिन प्रतिदिन के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : आप हस्तक्षेप को मानते हैं ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : यह मानिए कि हम शास्त्रीय संगीत चाहते थे, तो क्या शास्त्रीय संगीत को पुनःस्थापित करने के लिए यह डा० केसकर द्वारा हस्तक्षेप है? मैं नहीं कहता कि हम किसी राजनैतिक दल के कार्यों के लिए इस का प्रयोग कर रहे हैं । कभी कभी ऐसा आरोप लगाया जाता है । मैं इस का बिल्कुल विरोध करता हूं । उचित समय पर निगम के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है । हम विस्तार कर रहे हैं । कई स्टेशन स्थापित करते हैं । जब वह हो जाएगा तो इसे निगम बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए उचित समय देगा । परन्तु अभी . . .

†**श्री वारियर (त्रिचूर)** : तो क्या लाभदायक संस्था बन गई है ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : नहीं, नहीं ।

†**श्री वारियर** : तो अभी उचित समय नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** हमें लगभग १३२ लाख रुपए की हानि थी। लाईसेंस शुल्क से जो २२ लाख रुपये की आय आकाशावाणी के खर्च के लिए पर्याप्त नहीं है। कुछ समय बाद यह अपना खर्च स्वयं सम्भालने योग्य होगी। जब समय आएगा, आवश्यकता और मांग होगी, तो हम इसे निगम बना सकेंगे। हम इसे निगम बनाने के रास्ते में रुकावट नहीं डालते, चाहे इसे निगम बनाने में न कोई लाभ दिखाई पड़ता है न कोई हानि। यदि लोग चाहेंगे तो इसे निगम बना दिया जाएगा।

स्टाफ कलाकारों के सम्बन्ध में काफी कहा गया था कि उन्हें स्थायी बनाया जाए, और यह भी कहा गया था कि उनकी सेवा भी सुरक्षित नहीं है। मुझे इस मांग से सहानुभूति है, अन्यथा उन को यह पता नहीं होगा कि अगले छः महीने बाद क्या होगा। ऐसा उन के लिए भी अच्छा नहीं होगा और संस्था के लिए भी नहीं। इन स्टाफ कलाकारों को तदर्थ भर्ती किया जाता है। वह तबला बजाने वाला या रागी या सितार बजाने वाला हो। उन की योग्यता और आय देखे बिना उन्हें भर्ती किया जाता है। वह बाहर का काम भी ले सकते हैं। रविशंकर को ही लीजिए जो कि आकाशवाणी में स्टाफ कलाकार हैं। वे सरकारी कर्मचारी बनना और हमेशा के लिए आकाशवाणी में ही रहना नहीं चाहेंगे। वे बम्बई, कलकत्ता जाते हैं और चाणक्यपुरी में भी काम स्वीकार कर लेते हैं। बिसमिल्ला खां और हरिन चट्टोपाध्याय को लीजिए। उन में से कुछ उसी काम को पांच वर्ष से कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या ये सब सरकारी कर्मचारी बनना चाहेंगे जिन पर इतने प्रतिबन्ध होते हैं।

†**श्री हेम बरुआ :** प्रत्येक स्टाफ कलाकार बिसमिल्ला खां या रवि शंकर नहीं हैं। और स्टाफ कलाकार भी तो हैं।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** "स्टाफ आर्टिस्ट्स" के वर्ग में सभी कलाकार आ जाते हैं। उन्हें भी उपदान मिलता है। उन्हें निवृत्ति वेतन नहीं मिलता। उन के बारे में निवृत्ति की आयु और योग्यता का कोई प्रश्न नहीं। उनके लिए सामान्य योग्यता ही काफी हैं, कोई विशेष उपाधि के बारे में नहीं पूछा जाता। इस के कुछ लाभ हैं और कुछ हानियां। साधारणतया संविदा तीन वर्ष के लिए होता है। यदि आप उन के लिए अधिक संरक्षण चाहते हैं, तो संविदा की अवधि बढ़ा कर पांच कर दी जाएगी। यदि सदन को यह पसंद हो तो यह अवधि पांच वर्ष कर दी जाएगी और तीन महीने की सूचना से नौकरी छोड़ी जा सकती है या नौकरी से हटाया जा सकता है।

†**श्री खाडिलकर :** कलाकारों का ही प्रश्न नहीं है। समाचार विभाग में भी लोग तीन वर्ष एक मास और तीन मास के ठेके पर रखे जाते हैं। इस के बारे में क्या स्थिति है।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** यदि नाटक उत्सव जैसे विशेष काम के लिए भर्ती करनी हो तो लोगों को तीन महीने के लिए नौकर रखा जाता है, परन्तु साधारण स्टाफ तीन वर्ष के लिए रखे जाते हैं, परन्तु विशेष काम जैसा कि नाटकोत्सव के लिए कलाकार छोटी अवधि के लिए रखे जाते हैं।

†**श्री खाडिलकर :** क्षमा करना, आपने मेरी बात समझी नहीं है। समाचार विभाग में भी दो तीन व्यक्तियों को जो यू० पी० एस० सी० द्वारा लिए गए हैं। स्थायी बनाया जाता है और सब लाभ उन्हें दिए जाते हैं। कुछ को तीन वर्ष के लिए रखा जाता है, कुछ को चार और पांच वर्ष के लिए और उनके ठेके तीन महीनों बाद नए कर दिए जाते हैं। यह प्रश्न लगभग एक हजार लोगों के बारे में है, बिसमिल्ला खां जैसे व्यक्ति के लिए नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : हम चाहते हैं कि सब बिसमिल्ला खां जैसे बन जाएं ।

†**श्री हेम बरुआ** : जब कलाकार की आवाज़ ख़राब हो जाए तो उसे नौकरी से नहीं हटा देना चाहिए ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : हम उन्हें २३, २४ वर्ष पर नौकरी में नहीं रखते । हम ३५ वर्ष की आयू पर भी लोगों को नौकरी पर रख लेते हैं ।

स्टाफ कलाकारों के मामले पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाएगा और हम उनके ठेके की अवधि को बढ़ाने के लिए जो हो सकेगा करने की कोशिश करेंगे ।

विदेशी सेवाओं में अधिक लोग दूसरे देशों के नहीं हैं । १३ भाषाओं में सात भाषाओं का कार्य भारतीयों के हाथ में है और चार भाषाओं—'फ्रैंच', 'सुहाली' 'भाजा इन्दोनेशिया' और 'तिब्बती' का कार्य विदेशी लोगों के हाथ में है । चीनी भाषा का काम हमारे लोग कर रहे हैं । हम अपने लोगों को विदेश भेज रहे हैं और इस बात का ध्यान रखेंगे कि वे उन भाषाओं में योग्यता प्राप्त करें और यथाशीघ्र विदेशी सेवाओं में अपने लोग लगायेंगे ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

यह मामला भी उठाया गया था कि प्रैस की शक्ति के इकट्ठा होने से विचार प्रगतिशील नहीं रहेंगे । १९५४ के प्रैस आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर कई सदस्य इस मामले पर बोले हैं । उन्होंने १९५२ के आंकड़ों के आधार पर आंकड़े दिए हैं । हम देखते रहे हैं कि क्या १९५२ और १९६१ के बीच में कोई गम्भीर बात हुई है । हम १९६१ के आंकड़ों का, जो कि रजिस्ट्रार ने दिए है अध्ययन कर रहे हैं । १९५२ और १९६१ में अधिक अन्तर नहीं हैं । उन्होंने स्वयं कहा कि एकाधिकार और शक्ति के इकट्ठा होने की ओर झुकाव है । हम इस को देख रहे हैं । हम १९६१ के आंकड़ों का अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं । यदि कुछ आधार हुआ, तो देखेंगे कि क्या करना है । प्रैस आयोग ने भी नहीं बताया कि यदि एकाधिकार हो तो क्या करना चाहिए और उन की क्या शक्तियां होनी चाहिएं इत्यादि । इसलिए किसी भी निर्णय से पूर्व हमने यह देखना है कि श्री लंका, ब्रिटेन आदि में क्या हो रहा है । यह बहुत कठिन संवैधानिक प्रश्न है । कि क्या हम उनके विस्तार में कोई रुकावटें डाल सकते हैं । हम चाहते हैं कि स्वामित्व प्रसृत होना चाहिये और राय की विविधता को प्रोत्साहन दिया जाना चाहियें । हम इस मांग से सहानुभूति रखते हैं कि पढ़ने वाली जनता के लिये चुनाव के लिये काफी समाचारपत्र होने चाहिये । एक नगर में एक ही समाचारपत्र नहीं होना चाहिये । पर्याप्त समाचारपत्र होने चाहियें ताकि वे अपने लिये समाचार-पत्र चुन सकें । १९५२ से जो परिवर्तन हुये हम उनका अध्ययन कर रहे हैं । मेरी कठिनाई यह है कि उन्होंने एकाधिकार को हटाने के लिये विशेष तरीका नहीं बताया । यदि नया प्रैस आयोग नियुक्त किया जाये, तो वे एकाधिकार को हटाने के प्रश्न पर विचार कर सकते हैं और इसके बारे में ढंग बता सकते हैं ।

†**श्री भक्त दर्शन** : क्या आप नया प्रेस आयोग नियुक्त कर रहे हैं ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : नहीं । हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं । प्रत्यक्षतः यह पता लगाना चाहिये कि क्या कोई अधिक अन्तर हुआ है या १९५२ की परिस्थिति है । हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं । इस मामले में हमारे खुले विचार हैं । हम देखेंगे कि क्या करना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० बे० गोपाल रेड्डी]

इस सम्बन्ध में कइयों ने गोइन्का, बिरला और डालमिया का नाम लिया है। यदि कोई राजनैतिक दल कई समाचारपत्रों का स्वामी हो तो क्या होगा ?

†**श्री मे० क० कुमारन :** वह व्यापारी संस्था नहीं है। राजनैतिक दल और व्यापारी संस्था में अन्तर होता है।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** यदि रात दिन कई समाचारपत्र एक जैसे समाचार दें तो यह एकाधिकार होगा या नहीं, इस मामले पर ध्यानपूर्वक विचार करना है। एक राजनैतिक दल के २४ समाचारपत्र हैं। यदि वे सब त्रिवेदरम से बंगाल या देहली तक एक ही ढंग से समाचार दें तो...

†**श्री मे० क० कुमारन :** क्या माननीय मंत्री की राय में व्यापारी संस्था और समाचारपत्र एक ही बात है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** उनके हजारों अंशधारी हो सकते हैं। उनके २५ समाचारपत्र हैं। यह एकाधिकार है या नहीं इस मामले पर विचार करना है। यदि एक राजनैतिक दल के कई समाचारपत्र हों तो क्या वह एकाधिकार है या नहीं इस पर भी ध्यानपूर्वक विचार करना है।

†**श्री वारियर :** यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। प्रेस रजिस्ट्रार यह न कहे कि वह उस के प्रतिवेदन में है। उसे यह प्रमाणित नहीं करना चाहिये कि यह समाचारपत्र एकाधिकार है।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** वे सामग्री दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि समाचारपत्र अच्छे बनें। हमने कई लोगों तक सम्पर्क बढ़ाना है। अभी भी समाचारपत्र पढ़ने वाले लोग ५० लाख से कम हैं। केवल ४५ लाख लोग समाचारपत्र पढ़ते हैं। हमें समाचारपत्रों को लोकप्रिय बनाने में प्रगति करनी है। अतः हमने देखना है कि क्या हम समाचार पत्रों को और अच्छा बना सकते हैं, परिचालन को बढ़ाना है और इस बात का ध्यान रखना कि समाचारपत्र थोड़े व्यक्तियों के हाथों में न रहें।

प्रादेशिक भाषाओं के समाचारपत्रों को विज्ञापन देने का प्रश्न उठाया गया। हम इन समाचारपत्रों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, क्योंकि अन्ततोगत्वा इन्होंने गांवों के लोगों तक पहुंचना है। अंग्रेजी जानने वाले लोग कम हैं। नगरों में वे हैं। विज्ञापनों के सम्बन्ध में हमारी नीति उन्हें प्रोत्साहन देने की है। पिछले वर्षों में वे बहुत अच्छे रहे हैं। उन्हें विज्ञापन देकर हम उन्हें और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। विज्ञापन उपहार नहीं है। इसे कोई सहायता के रूप में नहीं मांग सकता है। इस लिये यह कहना निरर्थक है कि उस समाचारपत्र को विज्ञापन क्यों न दिये जायें जिस का परिचालन अधिक होता है। किसी समाचारपत्र को विज्ञापन देने से पहिले कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सरकार के हाथों में पक्षपात की शक्ति होने का प्रश्न नहीं है। हमारी नीति प्रादेशिक भाषाओं को यथासम्भव प्रोत्साहन देने की है। हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या हम जो उन्हें अब विज्ञापन देते हैं उनका अनुपात बढ़ा सकेंगे।

†**श्री भक्त दर्शन :** प्रेस परिषद् के बारे में क्या स्थिति है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : पहले प्रेस सलाहकार समिति बनानी है । सलाहकार समिति प्रेस परिषद् के ब्योरे पर विचार करेगी । यह बनाई जायेगी, क्योंकि प्रेस आयोग ने इस की सिफारिश की है और महत्वपूर्ण व्यक्ति भी प्रेस परिषद् चाहते हैं । इसलिये हम प्रेस परिषद् स्थापित करने के विरुद्ध नहीं हैं । पहले आरम्भ में हम प्रेस सलाहकार समिति बनायेंगे । यह ब्योरा तैयार करेगी । इस से प्रेस परिषद् बनेगी । केवल समय की बात है ।

जहां तक फिल्मों का सम्बन्ध है, हमारे देश में उन के अस्तित्व को ५० वर्ष हो रहे हैं । १९१२ में पहली फिल्म बनी थी । १९६२ में वे अपनी स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं । फिल्म उद्योग में, नुक्स होने पर भी, हमारे देश की काफी अच्छी सेवा की है, क्यों कि कई लोगो का मनोरन्जन होता है और कई लोगों को नौकरी मिलती है । इस से संगीत, गाने और नाटक को प्रोत्साहान मिला है । बहुत से साहित्यिक लोग फिल्मों में आ गये हैं, वे आदमीं जिन्हे नौकरी नहीं मिलती थी । इस ने निश्चय ही कुछ अच्छा काम किया है । यह केवल बुराई ही नहीं है । अतः मैं फिल्म उद्योग की प्रशंसा करता हूं । उन के लिये मेरी शुभकामनयें हैं । मैं चाहता हूं कि वे अच्छी फिल्में बनायें । वे लोग और देश की आवश्यकताओं को समझेंगे और अच्छी फिल्में बना कर इस में सहायता करेंगे ।

प्रावेक्षण (सेंसरशिप) कठिन प्रश्न । कुछ लोग कहते हैं कि हम प्रावेक्षण में बहुत सख्त हैं । कई लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल भी सख्त नहीं हैं । कई प्रकार के गाने इत्यादि हम जाने देते हैं जिनका प्रभाव नवयुवक और नवयुवतियों के मन पर अच्छा नहीं होता । इस मामले में हमें बहुत सोचकर चलना पड़ता है । हमारा प्रावेक्षण बोर्ड इस मामले में कुछ कार्यवाही कर रहा है । हम गंदी बातों को नहीं जाने देते । ऐसा होने पर भी कुछ गानों, इत्यादि पर शिकायतें आती हैं । हाल ही में कोलम्बिया विश्वविद्यालय के प्रो० ऐटकि बरनार्ड भारत आये वे भारत में ही हैं--पिछले ५० बर्षों में भारतीय विश्वविद्यालयों पर एक पुस्तक लिख रहे हैं । वे मुझे मिलने आये । मैंने दूसरे देशों के मुकाबिले में अपने देश के प्रावेक्षण के बारे में उनसे पूछा । उन्होंने मुझे बताया कि विश्व के दूसरे देशो के मुकाबिले में हमारे देश में प्रावेक्षण बहुत कठोर है । यह प्रोफेसर ने कहा । हमारे विचार में ऐसा नहीं है । इस लिये दूसरे फिल्मों के मुकाबले में हम ने पूरी स्थिति को देखना है और यह भी देखना है कि क्या किया जा सकता है । यह उद्योग भी बहुत घबराता है, क्योंकि वे काफी धन खर्च करते हैं और प्रावेक्षण बोर्ड फिल्म के काफी भाग को काट देता है । इस लिये इस प्रश्न पर बड़े ध्यान से विचार करना है ।

श्री हेम बरुआ ने अनुलिपि के एक किस्म के पूर्व-प्रावेक्षण के बारे में कहा । मैंने इस पर विचार किया और मेरे विचार में इस का कोई लाभ नहीं होगा । अनुलिपि बहुत निर्दोष हो सकती है, परन्तु कुछ ऐसी घटनायें और दृश्य लिये जा सकते हैं जो कि बहुत गंदे हो । केवल अनुलिपि शब्द या गाने से हालत अच्छी नहीं होगी । फिल्म को पूरी तरह से देखना चाहिये कि यह गंदी तो नहीं है या इसका कुप्रभाव तो नहीं होता ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस से उद्योग को सहायता होगी ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : हम उसी की कोशिश कर रहे हैं । बम्बई में एक छोटा सा बोर्ड है जो कि कभी कभी अनुलिपि को देखता है । परन्तु इस से समस्या का समाधान नहीं होता, क्यों कि शब्द ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने बच्चों की फिल्मी संस्था की बहुत आलोचना की । हम मामले की जांच कर रहे हैं । बच्चों की फिल्मी संस्था की कार्यपालक परिषद् के पास यह शिकायत है और उन्होंने

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० ब० गोपाल रेड्डी]

स्वयं उनके संघटनात्मक ढांचे की जांच के लिये तीन सरकारी नौकरों को नियुक्त करने के लिये कहा है और मेरे विचार में एक महीने से कम समय में बच्चों की फिल्म संस्था ठीक हो जायेगी। हम भी इसके संघटन, सरकार को और लोगों को उत्तरदायित्व के प्रश्न की जांच करेंगे। इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे ताकि शिकायतें न आएं।

†**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : वित्तीय जांच के बारे में क्या स्थिति है ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : उसकी भी जांच की जा रही है। उसका हिसाब और दूसरी बातों की जांच की जा रही है।

फिर क्षेत्र प्रचार का प्रश्न है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में हम योजना के सम्बन्ध में प्रचार को अच्छा बना रहे हैं। हम बहुत गांवों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तृतीय योजना में ५० प्र० श० यूनिट बढायेंगे और इनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा सकती है इस पर विचार किया जायेगा।

मैं माननीय सदस्यों का मेरे मंत्रालय की अनुदानों की मांगो का समर्थन करने के लिये धन्यवाद करता हूं। वे भाषा का विवाद पूर्ण प्रश्न उठाने के लिये मुझे गलत न समझें। कुछ भी जल्दी में नहीं किया जायेगा। इस बात पर ध्यान पूर्वक विचार करना है और इस प्रश्न के सम्बन्ध में हम कई लोगों का सहयोग चाहते हैं।

†**श्री का० रा० गुप्त (अलवर)** : 'आकाशवाणी' का नाम बदल कर "वनौली" करने के बारे में क्या स्थिति है ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : उन पर अलग से विचार किया जायेगा।

†**श्री खाडिलकर** : पृष्ठानुसार मूल्य के बारे में उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय था उस के विषय में कुछ नहीं कहा गया।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : माननीय मंत्री विधि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों की चर्चा पर इस प्रश्न को उठाएं। विधि मंत्री इसके संबंध में बताने के योग्य हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं सब कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६३	सूचना और प्रसारण मंत्रालय . . .	११,४३,०००
६४	प्रसारण . . .	४,२७,९०,०००
६५	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	३,१४,५१,०००
१२९	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पूंजी व्यय	२,१०,००,०००

विधि मंत्रालय

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा में विधि मंत्रालय की मांगो पर चर्चा होगी। इस के लिये तीन घंटे समय निर्धारित किया गया है। जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें वे उन की सूचना १५ मिनट में दे दें।

वर्ष १९६२–६३ के लिये विधि मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	मांग का नाम	मांग की राशि
		रुपये
	१. राजस्व से देय व्यय	
७३	विधि मंत्रालय	३३,९८,०००
७४	निर्वाचन	१,२६,२३,०००
७५	विधि मंत्रालय का अन्य राजस्व	२,४३,०००

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : सब से पहला सुझाव मैं यह देता हूं कि विधि के प्रशासन का उत्तर-दायित्व भी विधि मंत्रालय को ले लेना चाहिये। इस का कारणयह है कि मैं ने इस मंत्रालय की मांगों के बारे में कुछ कटौती प्रस्ताव भेजे थे किन्तु वे सब गृह-कार्य मंत्रालय को हस्तान्तरित कर दिये गये थे। इस विषय का अध्ययन करने पर मुझे मालूम हुआ कि विधि मंत्रालय कितनी ही उदार विधियों का निर्माण करे किन्तु उस पर गृह-कार्य मंत्रालय का डंडा रहता है। गृह-कार्य मंत्रालय का सदा यह प्रयत्न रहता है कि इन उदार उपबन्धों का जनता को लाभ न होने पाये।

विधि के प्रशासन के बारे में सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जनता को अवैध काम करने से ही न रोके परन्तु उन में विधि और न्याय की प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न हो। जब जनता के साथ न्याय नहीं होता तो केन्द्र में नहीं बल्कि राज्यों में सर्व शक्ति सम्पन्न गृह-कार्य मंत्रालय हस्तक्षेप कर समुचित न्याय नहीं होने देता। स्वाभाविक है कि इस से न्याय के प्रति जनता का सम्मान नहीं रह पाता मैं इस बात के अनेक उदाहरण दे सकता हूं। १९३७ में कुछ कार्यकर्ता, जो राज्य कांग्रेस के तत्वाधान में काम कर रहे थे, आलप्पी में गिरफ्तार कर लिये गये थे। हम में से ५ या ७ व्यक्तियों से एक पंक्ति में खड़े होने के लिये कहा गया। उस समय कुछ अजनबी आदमी वहां बुलाये गये और उन से हमारी शिनाख्त करने के लिये कहा गया। बाद में सत्रन्यायालय में वह शिनाख्त ठीक तरह नहीं कर पाये और उन्हें पुलिस के दबाव में आकर काम करने के लिये दंडित किया गया। इन परिस्थितियों में किसी भी शिक्षित व्यक्ति को विधि के प्रति सम्मान कैसे रह सकता है १९४८ में भी हम से ऐसा ही व्यवहार हुआ। किन्तु अब की बार यह कांग्रेस के शासन के दौरान किया गया।

हमारी पीठ पर छड़ियों से पीटने के निशान अब तक हैं। अतः मेरा यह विश्वास है कि विधि का प्रशासन भी इसी विभाग को सौंप दिया जाय, तो सिद्धान्तों और कार्यों में सामान्जस्य रहेगा।

न्याय कबड्डी का खेल नहीं है। इस में उचित संतुलन की आवश्यकता है। न्याय का प्रयोजन यह नहीं होना चाहिये कि अपराधी न्याय की खोज किसी निर्दिष्ट स्थान पर जाये, अपितु न्याय को उस के पास जाना चाहिये। न्याय तक सब की सर्वसुलभ पहुंच होनी चाहिये वह मंहगा भी नहीं हो। प्रक्रियायें इतनी सरल हों कि सब उसे समझ सकें।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वारियर]

सामाजिक न्याय के बारे में भी यही बात है । विधान के आधार पर काश्तकारों को निर्धारित अवधि के लिये आश्वासन दे दिया गया किन्तु ५ या १० वर्ष के पश्चात् वह फसल के केवल हिस्सेदार मात्र रह गये । इसलिये विधान का उद्देश्य ही नष्ट हो गया अब फसल के ये हिस्सेदार केवल मजदूर की स्थिति में रह गये । श्रम सम्बन्धी विधियों में इस बात का क्या औचित्य है कि श्रम संगठनों की ओर से उच्च न्यायालय में अपील दायर करने के समय एक बड़ी रकम जमा करानी चाहिये । नवीन समाज में, भारतीय समाज की विकास बेला में जनहित को सब से अधिक महत्व दिया जाना चाहिये ।

मुझे न्यायालय के अफसरान के बारे में कुछ कहना है । यह अपमान एक ऐसी वस्तु है जो तलवार की तरह भारत के समाचार पत्रों पर लटकती रहती है । मुझे स्वयं इस का अनुभव है । मान लीजिये मैं ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की और दो दिन बाद पुलिस ने अपराधी को पकड़ा तो मुझे भी अदालत के अपमान के अपराध में उस के सामने खड़ा कर दिया जायेगा, यद्यपि मुझे इस बारे में कोई ज्ञान नहीं था ।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : यदि तथ्य यही हैं, तो अपराधी को एकदम बरी कर दिया जायेगा ।

†**श्री वारियर** : मुझे बरी नहीं किया गया और मैं क्षमा मांग कर ही बरी हुआ । मेरी बात का सार यह है कि यदि किसी घटना के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही करने की संभावना हो, तो उस रिपोर्ट को नहीं छापना चाहिये । वकील भी और न्यायाधीश भी यही कहते हैं । यदि अखबारों को समाचार छापने की स्वतन्त्रता नहीं दी गई तो भ्रष्टाचार के मामले अनगिनत हो जायेंगे । अखबारों द्वारा ऐसी बातों का भंडाफोड़ करने पर ही तो कार्यपालिका को कार्यवाही करनी पड़ती है । ब्रिटेन में भी इस स्थिति ने भीषण रूप धारण कर लिया था । लार्ड शक्रास ने सर्व प्रथम इस विषय को हाउस आफ लार्ड के सामने रखा और इस के लिये कुछ निदान सुझे । लार्ड शाक्रास की सम्मति में विधि की तत्कालीन व्यवस्था से समाचार पत्रों की अबाध चर्चा में बाधा होती है, जब कि ये पत्र उत्तरदायी होंते हैं ।

मुझे अदालत के प्रति सब से अधिक सम्मान है, किन्तु बदलते हुए समाज की यह मांग है कि समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता की स्पष्ट और विशिष्ट भाषा में परिभाषा की जानी चाहिये ।

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : मुझे बहुत दुःख के साथ कहगा पड़ता है कि गरीब लोगों को कानूनी सहायता देने के लिये कोई भी पग नहीं उठाया गया । मेरा निवेदन है कि यह सहायता सरकार को अपने खर्च पर देनी चाहिये । यदि राज्य सरकारें रकम न दे सकें, तो विधि मंत्रालय को उन्हें ५० प्रतिशत सहायता देनी चाहिये, जैसा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के मामले में किया जा रहा है ।

न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के सम्बन्ध में संविधन में एक निदेश है, किन्तु जहां तक मेरे राज्य उड़ीसा का सम्बन्ध है, यह आज तक नहीं किया गया; यद्यपि कुछ अन्य राज्यों में हो चुका है । अब समय आ गया है कि विधि मंत्रालय उड़ीसा सरकार को इस सम्बन्ध में कार्य-वाही करने का निर्देश दे ।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवा निवृत्ति के बाद अन्य पदों पर नियुक्त करने की प्रथा बन्द होनी चाहिये । यदि सदन चाहता है कि उन की सेवानिवृत्ति की आयु, पेन्शन आदि बढ़ा

---

†मूल अंग्रेजी में

दिये जायें, तो खुशी से करे, किन्तु उन्हें सेवा निवृत्ति के बाद पुनः किसी पद पर नियुक्त नहीं करन चाहिये ।

संविधान में अच्नुछेद १४३ में उपबन्ध है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों में सलाह ले सकता है । इस उपबन्ध का उचित उपयोग नहीं किया गया । विधेयकों की मंजूरी देने से पहले राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय की सलाह ले लेनी चाहिये । क्योंकि संसद या राज्य विधान सभाओं द्वारा पारित बहुत से विधेयक शक्ति परस्तात् घोषित कर दिये जाते हैं ।

देखा जायेगा कि सदन द्वारा पारित किये गये विधानों में यह परन्तुक होता है कि ये जम्मू और काश्मीर पर लागू नहीं होंगे । मैं आज तक नहीं समझ सका कि जब वह भारत का एक हिस्सा है, तो हमारे कानून जम्मू और काश्मीर और गोआ गादि पर क्यों लागू न किये जायें ।

मुकदमों के निपटारे में विलम्ब के बारे में मेरा निवेदन है कि इसे रोकने के लिये उचित प्राधिकार द्वारा उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय का निरीक्षण होना चाहिये और न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिये ।

सरकार ने हिन्दू धार्मिक धर्मस्वों की जांच के लिये एक आयोग नियुक्त किया है । यह जांच अन्य धर्मस्वों जैसे मुस्लिम वक्फ आदि की भी होनी चाहिये ।

अदालती पंचायतें एक तमाशा बन कर रह गई हैं । कई मामलों में उन्हों ने अवैध काम किया है और गलत तौर पर न्यायालयों का स्थान ले लिया है । अदालती पंचायतों का सदस्य बनने के लिये कुछ योग्यतायें निर्धारित कर देनी चाहियें ।

चुनाव कानूनों में मूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है । पिछले चुनावों में सिद्ध हो गया है कि मत खरीदने में पैसे की कितनी शक्ति है । चुनाव व्यय पर जो सीमा लगी हुई है, वह केवल तमाशा ही है । अनुमान लगाया गया है कि उड़ीसा में संसद् के चुनाव के लिये प्रति स्थान ६३,००० रुपये केवल दल की ओर से खर्च किया गया । उम्मीदवारों का अपना निजी खर्च अलग है । निर्धारित सीमा २५,००० रुपये हैं । इस के अतिरिक्त सतारूढ़ दल ने चुनावों में बहुत ही अनियमिततायें की हैं और रुपये आदि का दान भी किया है । धमकियों से भी काम लिया गया ।

मतों की पर्चियों को सुरक्षित रखने की उचित व्यवस्था होनी चाहिये । सत्तारूढ़ दल की ओर से ही गन्दे आपत्तिजनक पोस्टर और पुस्तिकायें वितरित की गयीं । ऐसी कार्यवाहियों को बन्द करना आवश्यक है ।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नाम-निर्देशित-आंग्ल-भारतीय): देश में विधि के शासन को जो हानि पहुंच रही है, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं । डाइसी ने कहा है कि विधि के शासन का एक पहलू कानूनी भावना का प्रचलन है । हमारे देश में यह भावना धीरे धीरे कम होती जा रही है । सरकार और कार्यपालिका का संवैधानिक और न्यायिक नियन्त्रकों के प्रति असन्तोष बढ़ता जा रहा है ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन बड़ी धूमधाम से किया गया था । और उस समय गृहकार्य मन्त्री ने दावा किया था कि इससे न्याय सस्ता और शीघ्रता से प्राप्त हो सकेगा । किन्तु मैं आपको बतला सकता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ । बल्कि हुआ यह है कि अभियुक्त व्यक्ति के बहुत से अधिकार ले लिये गये हैं और अभियोजक की ओर से गड़बड़ी और शरारत करने की सम्भावना बढ़ा दी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री फ्रेंक एन्थनी]

इसी तरह हमारे मूलभूत अधिकारों का क्या हुआ है ? अनुच्छेद ३१ की क्या गति हुई है ? प्रतिकर का प्रश्न देश के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में से ले लिया गया है। भगवान् की कृपा है कि अनुच्छेद १९ का थोड़ा सा प्रभाव अभी रह गया है। इसमें 'सार्वजनिक व्यवस्था' शब्द जोड़ कर, इसकी शक्ति बहुत कम कर दी गई है। इसी तरह उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से अनुच्छेद १४ का सार या प्रभाव भी समाप्त हो गया है। यह न्यायालयों द्वारा अधिकार छीने जाने का एक उदाहरण है।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारी न्यायपालिका अधिकाधिक हतोत्साह हो रही है। जिस तरह से न्यायपालिका में नियुक्तियां की जाती हैं, वह बहुत ही चिन्ताजनक हैं। मुख्य मन्त्री राज्यपालों की आड़ में उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियां करते हैं। ऐसे भी मामले हैं, जिनमें उन व्यक्तियों को जिनकी वकालत नहीं चलती थी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। एक मामले में एक ऐसे व्यक्ति को सरकारी वकील नियुक्त किया गया है, जिसने कभी वकालत नहीं की। और इरादा यह है कि उसे चोर दरवाजे से न्यायाधीश बनाया जाये।

सरकार ने न्यायाधीशों को कार्यपालिका और प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के प्रस्ताव देकर के उनका नैतिक स्तर नीचा कर दिया है। इसका परिणाम यह होता है कि वे सेवा निवृत्त होने से पहले ही नौकरियों की खोज शुरू कर देते हैं। न्यायाधीश भी अब दरबारी किस्म के लोगों की पंक्ति में शामिल हो गये हैं। हमें उन की पेंशन वेतन के बराबर कर देना चाहिये किन्तु इस तरह उनका नैतिक पतन नहीं होने देना चाहिये। ऐसा करने से न्यायपालिका लोगों की नज़रों से गिर जाती है। और विधि का शासन भी नजरों से गिर जाता है। यह भी बहुत खेद का विषय है कि प्रधान मन्त्री या अन्य उच्च व्यक्ति न्यायाधीशों की आलोचना करें। इस समय उन पर कार्यपालिका का बहुत दबाव है।

ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि उच्चतम न्यायालय में फौजदारी मुकदमों और मूल अधिकार सम्बन्धी मुकदमों का निपटारा अनुचित शीघ्रता से न किया जाये। ऐसा होने से न्यायपालिका का सारा वातावरण खराब हो जाता है। बहुत जल्दी में किया गया न्याय कोई न्याय नहीं है। उच्चतम न्यायालय में देखा गया है कि मूल अधिकार सम्बन्धीयाचिकाओं का निपटारा ५ या १० मिनटों में कर दिया जाता है। एक याचिका प्रस्तुत करने के लिये २५०० रुपये के अत्यधिक राशि पहले जमा करवानी पड़ती है। मैंने विधि मन्त्री से कहा था कि वे उच्चतम न्यायालय का ध्यान इस ओर दिलायें।

†**श्री अ० कु० सेन** : मैंने बहुत गम्भीरता से ऐसा किया था।

†**श्री क० च० शर्मा** (सरधना) : सभ्यता और कानून साथ-साथ चलते हैं। इसलिये यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मन्त्रालय है।

मानवीय सम्बन्धों और नागरिकों तथा राज्य के परस्पर सम्बन्धों को कानून पर आधारित रहना चाहिये। मैं इससे सहमत हूं।

इसका दूसरा पक्ष यह है कि कानून केवल किताबी नहीं होता, उसकी व्याख्या न्यायाधीश लोग करते हैं। न्यायाधीशों को स्वतन्त्र और सुयोग्य होना चाहिये। उन पर नागरिकों को भरोसा होना चाहिये। नये राज्य में तो यह और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसे नयी परम्परायें बनानी पड़ती हैं।

हमारे देश के इतिहास में नागरिकों की समानता का अधिकार सर्वथा नवीन है। इसलिये कानून को ही सर्वोच्च होना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

समाज के साथसाथ कानून भी परिवर्तनशील रहता है। इसलिये न्यायाधीशों का सुयोग्य होना जरूरी है। उनको समाज और सामाजिक मनोविज्ञान का गहरा अध्ययन और समझ होनी चाहिये। उनको समाज की गतिशीलता की गहरी जानकारी होनी चाहिये।

मैंने अपने देश के न्यायाधीशों से बात की है। मुझे उनकी जानकारी है। और, मैं कह सकता हूं कि उनमें से कई इस कसौटी पर खरे नहीं उतरते। उनमें से कई तो नागरिकों के प्रति अपने दायित्व को समझते ही नहीं। न्यायाधीशों को कानून के इतिहास और कानून की विभिन्न विचार धाराओं से वाकिफ होना चाहिये। न्ययायाधीशों को इसीलिये बड़े अच्छे अध्येता होना चाहिये।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों को सिफारिश करनी चाहिये और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को उन सिफारिशों पर विचार करना चाहिये। और सरकार को उन सिफारिशों को स्वीकार कर लेना चाहिये।

न्याय का प्रशासन और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति विधि मन्त्रालय के अधीन रहनी चाहिये। तभी न्याय और विधि की प्रतिष्ठा कायम रह सकेगी। उसे गृह कार्य मन्त्रालय के अधीन रखना अनुचित है।

श्री बड़े (खारगौन) : उपाध्यक्ष महोय, विधि मन्त्रालय के काम के बारे में समय समय पर इस सदन में और सदन के बाहर भी कई तरह के विचार प्रकट किये जाते रहे हैं। देश में प्रजातन्त्र की एक स्वस्थ और लोकप्रिय परम्परा कायम करने के लिये और साधारण जनता को न्याय दिलाने के लिये ला मिनिस्ट्री पर विशेष जिम्मेदारियां आती हैं। मैं इस मन्त्रालय के काम काज के बारे में तीन चार बातों की तरफ विधि मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा।

सबसे पहले जिस बात को मैं रखना चाहता हूं वह चुनाव आयोग और चुनावों के सम्बन्ध में है। अपने देश में आजादी मिलने के बाद हमने प्रजातन्त्र को अपनाया है। अब तक देश में तीन चुनाव हो चुके हैं। चुनावों को ठीक तरह से सम्पन्न कराने की व्यवस्था भी प्रत्यक्ष रूप से इसी मन्त्रालय को करनी होती है। यह कार्य एक स्वतन्त्र चुनाव आयोग के जिम्मे सौंप दिया गया है। यह बात ठीक भी है, लेकिन मैं अनुभव करता हूं कि देश में तीन बार आम चुनाव होने के बाद भी प्रजातन्त्र में आम जनता की आस्था जितनी गहरी हो जानी चाहिये, थी, उतनी नहीं हुई है।

मैं चुनाव आयोग के बारे में अपने कुछ विचार रख रहा हूं। तीन दफे आम चुनाव हो जाने के बाद भी जनता की जितनी आस्था प्रजातन्त्र में होनी चाहिये थी वह अब तक नहीं हुई है। इसका कारण भी यह है कि चुनावों में अनियमितता और धांधलियों की शिकायतें बढ़ती ही गई हैं, और ऐसा स्पष्ट होता जा रहा है कि हमारा जो चुनाव आयोग है वह पूरी स्वतन्त्रता और निष्पक्षता के साथ अपना काम नहीं करता। वह हमेशा शासन के हाथों में एक हथियार है, शासन के हाथ में खेलता है, ऐसा मालूम पड़ता है। सन् १९५७ में जब डिलिमेटेशन कमेटी बैठी थी तब मैं ने देखा था कि विधान सभा का जो मेरा क्षेत्र था सेंधवा का जो कि पहले जनरल था, उस को तोड़ मरोड़ कर आदिवासी क्षेत्र कर दिया गया, उसके बाद राजपुर का क्षेत्र भी तोड़-मरोड़ कर आदिवासी क्षेत्र कर दिया गया। वह इस दृष्टि से कि उस वक्त कांग्रेस का प्रचार चल रहा था कि यदि उसको आदिवासी क्षेत्र न बनाया गया तो वहां पर जनसंघ का ही उम्मीदवार चुन कर आ जायेगा। इसलिये २१ दिसम्बर, १९५७ को वह क्षेत्र आदिवासी डिक्लेअर किया गया। इसलिये साधारण जनता में यह इम्प्रेशन हो गया कि वह एक स्वतन्त्र चुनाव आयोग नहीं है बल्कि शासक दल के हाथ में रहने वाला खिलौना है और शासन का उस पर काफी प्रभाव है। जो रूलिंग पार्टी है, यानी कांग्रेस पार्टी, जब

[श्री बड़े]

चुनाव आयोग उसके लाभ के लिये काम करता है तो जनता में यह विश्वास हो जाना साधारण सी बात है कि जो कांग्रेस पार्टी है वह जैसा कहती है चुनाव आयोग वैसा ही करता है।

जम्मू और काश्मीर में ,अभी हाल में चुनाव हुए हैं। वहां पर वैलट बाक्सेज रक्खे गये थे। हमारे यहां जो पद्धति थी उसमें यह था कि चुनाव के लिये छाप लगाना होता था, छाप लगाना होता है। वह पद्धति जम्मू और काश्मीर में लागू नहीं की गई। इसके लिये चुनाव आयोग ने कोई सबल कारण नहीं दिया है।

†**श्री शाम लाल शर्राफ :** मैं इस पर आपत्ति करता हूं।

†**श्री बड़े :** ठीक है। क्या आप सहमत नहीं ?

†**श्री शाम लाल शर्राफ :** जी नहीं। वैलट बाक्सेज थे लेकिन टिकट लगाये गये थे।

†**श्री बड़े :** यहां पर जो प्रजा परिषद् के लोग आये थे उन्होंने दिल्ली में यह बतलाया था कि वाक्सेज कैसे खोले जाते हैं। इसके साथ साथ जो बैलट पेपर्स थे वह वहां की रूलिंग पार्टी को कैसे मिले इसके बारे में "आर्गेनाइजर" में और "हिन्दुस्तान टाइम्स" में फोटो भी आये थे। लेकिन वह बैलट पेपर्स वहां किस तरह से मिले इस के बारे में न तो चुनाव आयोग ने ही कोई स्पष्टीकरण दिया है और न चुनाव अधिकारी ने ही कुछ बतलाया है। जनता चाहती है कि चुनाव आयोग इस के बारे में जानकारी दे। उसको इस का स्पष्टीकरण देना चाहिये था कि यह जो बैलट पेपर्स के फोटो "आर्गेनाइजर" और "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छापे गये हैं वे बैलट पेपर्स वहां की रूलिंग पार्टी को कैसे मिले। प्रजा परिषद् का आरोप है कि वे बैलट पेपर्स वहां की रूलिंग पार्टी के पास देखे गये थे। इसका कोई स्पष्टी- करण नहीं हुआ है। इस वास्ते स्पष्ट है कि चुनाव आयोग हमेशा शासन के साथ जाता है। ऐसी धारणा साधारण जनता में फैली हुई है।

मुझे मालूम है कि जो मैं कह रहा हूं उसके बारे में मेरे मित्र की दूसरी राय है। लेकिन आर्गेाइजर में और दूसरे बहुत से पपेर्स में इसके बारे में क्रिटिसिज्म था।

सन् १९५२ और सन् १९५७ में चुनाव आयोग ने आल इंडिया पार्टीज की प्रथा रखी थी जिसमें कांग्रेस, जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट आते थे। लेकिन इस चुनाव में चुनाव आयोग ने इस प्रथा को बदल दिया और इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। मध्य प्रदेश की जनता में यही खयाल है कि क्योंकि पुरानी प्रथा कांग्रेस के लिए लाभकर नहीं थी इसलिए उसको बदल दिया गया। इसलिए पुरानी प्रथा को तोड़ कर प्राविंशियल पाटज़ की प्रथा इस बार रखी गयी। इस से जनता में अच्छा इम्प्रेशन नहीं बना है।

इसके अतिरिक्त मेरा निवेदन है कि चुनाव आयोग में आई० ए० एस० के लोग न रख कर हाई कोर्ट के जज के केडर के वकील रखे जाने चाहिए ताकि वे निष्पक्षता से काम कर सकें।

बैलट पेपरो पर स्टाम्प लगाने में भी गड़बड़ी हुई है। आदिवासी क्षेत्र में जब वोटर स्टाम्प लगाने गये तो उनसे कहा गया कि टेबिल पर जाकर स्टाम्प लगा आओ। आदिवासी बेचारे टेबिल पर स्टाम्प लगा कर कोरे बैलट पेपर अन्दर डाल रहे थे। और इस प्रकार १५ हजार बैलट पेपर इनवैलिड ठहराये गये। मैं ने लिखा था कि इस बारे में इस क्षेत्र में गड़ बड़ी हुई है लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

इलेक्शन ला के अनुसार जो हिसाब देने की प्रथा है उसको समाप्त करना चाहिए। एक तो बड़े गलत तरीके से हिसाब दिया जाता है। सब जगह मालूम होता है कि कांग्रेस ने इतना खर्चा किया है दूसरों ने इतना खर्चा किया है लेकिन हिसाब जब दिया जाता है तो १२ हजार १३ हजार या २५ हजार के अंदर होता है। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को हिसाब देना नहीं आता। वह हिसाब बनवाने के लिए इस उस के पास जाते हैं। उनको बड़ी कठिनाई होती है। अभी कुछ समय पहले महामहिम राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा था कि चुनाव का खर्चा बढ़ता जा रहा है। तो मेरा कहना है कि हिसाब दाखिल करने के कानून से इस खर्चे पर तो कोई कंट्रोल होता नहीं, सिर्फ बोगस हिसाब दे दिया जाता है तो इस कानून से कोई अच्छा परिणाम नहीं आता। मैं समझता हूं कि इस कानून को निकाल देना चाहिए।

इसके बाद मैं कोर्ट फीस के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

†**श्री अ० कु० सेन** : वह तो स्टेट सबजेक्ट है।

श्री तुलाराम (घाटनपुर) : आप शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की जगह अगर —बे पढ़े लिखे लोग —कहें तो ठीक होगा क्योंकि जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग पढ़े लिखे हैं उनको हिसाब दाखिल करने में कठिनाई नहीं होती।

श्री बड़े : आप के यहां के शिड्यूल्ड कास्ट वाले ज्यादा होशियार होंगे।

तो मैं कोर्ट फीस के बारे में बोल रहा था। यह सही है कि कोर्ट फीस स्टेट सबजेक्ट है लेकिन इस मंत्रालय को राज्यों को इस विषय में गाइडेंस तो देना चाहिए। पहले होलकर के समय में ७ रुपया सैकड़ा कोर्ट फीस थी, फिर मध्य भारत में उसको ९ रुपया प्रति मास कर दिया और अब उसको दस रुपया कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि इस बारे में राज्यों में आपस में होड़ सी लग गयी है और कोर्ट फीस बराबर बढ़ायी जा रही है। इधर कर वृद्धि होती है उधर कोर्ट फीस बढ़ायी जाती है। आज अवस्था यह है कि जो गरीब आदमी कोर्ट में जाता है वह अपने घर क गहने गिरवी रख कर जाता है और इस प्रकार उसको महंगा न्याय मिलता है। मेरा सुझाव है किकोर्ट फीस बन्द होनी चाहिए। इस के बारे में ला कमीशन ने कहा है कि अन्य राज्य निःशुल्क चिकित्सा के अस्पतालों की व्यवस्था करते हैं। मैं समझता हूं कि विधि आयोग की इस राय पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और कोर्ट फीस को हटा कर न्याय प्रदान में लोगो को सुविधा देनी चाहिए।

अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ढाई हजार रुपया डिपाजिट करवाना पड़ता है। मुझे मालूम है कि एक व्यक्ति के पास ढाई हजार रुपया नहीं था इसलिए उसे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलना कठिन हो गया। सारे संसार में कोर्ट फीस का कानून कहीं भी नहीं है। इस के बारे में आपल्ला कमीशन की रिपोर्ट देखें। उन्होंने कहा है कि जो हमारे गौरांग प्रभु थे उन्होंने १८७० में यह कोर्ट फीस के रूप में टैक्स लगाया था न्याय देने के वास्ते। और यह अब बराबर बढ़ता जा रहा है और राज्यों में इस बारे में होड़ सी लगी है। इसके द्वारा सिविल कोर्ट्स का खर्चा निकालने का प्रयत्न किया जाता है। क्या इसको न्याय दान कहा जाये या न्याय की बिक्री कहा जाये। इस प्रकार न्याय की बिक्री होती है न्याय दान नहीं होता है। एक वैलफेयर स्टेट के लिए तो यह शर्म की बात है कि पहले न्याय के लिए पैसे लिये जायें और फिर उसको न्याय दिया जाये। यह ठीक नहीं है।

तीसरी बात मैं हिन्दी के बारे में कहना चाहता हूं। आप ने हिन्दी को राष्ट्र भाषा स्वीकार किया है लेकिन अदालतों के जजमेंट अभी भी अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। मध्य प्रदेश में पहले लोअर

---

†मूल अंग्रेजी मे

[श्री बड़े]

कोर्ट्स के और हाईकोर्ट के जजमेंट हिन्दी में होते थे लेकिन अब अंग्रेजी में होते हैं। अदालतों के जजमेंट हिन्दी में होने चाहिएं। मैं तो कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी हिन्दी में होने चाहिएं। चीन की हाई कोर्ट के जजमेंट चीनी भाषा में होते हैं। अमरीका में जजमेंट वहां की भाषा में होते हैं। जापान में जजमेंट जापानी भाषा में होते हैं। फिर क्या कारण है कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हिन्दी में न हों। अब इस प्रथा को बदलना चाहिए और इस तरफ तेजी से कदम उठाना चाहिए और हिन्दी में यह काम करना चाहिए।

अभी तक न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग नहीं किया गया है। अभी भी रेवेन्यू के केसेज और दफा १०७ के केसेज कार्यपालिका के द्वारा किये जाते हैं। हमारे बहुत से जनसंघ के लोगों पर १०७ के केस चलाए गये और उनकी २२-२३ पेशियां डाली गयीं और उनको पचास पचास और साठ साठ मील से जाना पड़ता था और एस० डी० ओ० दौरे पर चले जाते थे। इसलिए मैं चाहता हूं कि जूडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग किया जाये। जो न्याय-दान की सत्ता एग्जीक्यूटिव के हाथ में है वह नहीं रहनी चाहिए। अभी तक वही चीज चल रही है।

मेरा एक निवेदन यह है कि जो पबलिक प्रासीक्यूटर हैं उनको हाई कोर्ट का जज बनाया जाये। मध्य प्रदेश में चार पबलिक प्रासीक्यूटर हाई कोर्ट के जज नियुक्त किये गये हैं, राजस्थान में दो और आन्ध्र प्रदेश में एक पबलिक प्रासीक्यूटर को हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। इन पबलिक प्रासीक्यूटर्स को केवल क्रिमिनल ला का ज्ञान रहता है और सिविल ला का नालिज अच्छा नहीं होता।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : राजस्थान में वे सरकारी वकील होते हैं, सरकारी अभियोक्ता नहीं।

श्री बड़े : बार एसोसिएशन में जो अच्छे वकील हैं उनको लें। लेकिन उसके बजाये पबलिक प्रासीक्यूटर्स को लेते हैं। आप चाहे उनको गवर्नमेंट एडवोकेट कहिये। जो हाईकोर्ट में काम करते हैं उनको गवर्नमेंट एडवोकेट कहते हैं, लेकिन उनका काडर तो एक ही है। वे भी पबलिक प्रासीक्यूटर के काडर के ही होते हैं। इसलिए उन में कोई अन्तर नहीं है। मैं कहता हूं कि ला कमीशन ने इतनी टीका की है लेकिन शासन वैसे ही चल रहा है। मैं ने गत लोक सभा के प्रोसीडिंग पढ़े। उन में भी यह टीका हुई थी और आज भी वही टीका हो रही है लेकिन गवर्नमेंट इतनी थिक स्किन्ड हो गयी है कि उस पर प्रभाव नहीं पड़ता और काम वैसे ही चल रहा है और पबलिक प्रासीक्यूटर्स को हाईकोर्ट जज नियुक्त किया जाता है। उनको खाली क्रिमिनल ला मालूम रहता है सिविल ला के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है और नतीजा यह होता है कि जब ऐसे जजेज के सामने वकील लोग बहस करने जाते हैं तो उनको कानून पढ़ाना और सिखाना पड़ता है। उनको बतलाना पड़ता है कि योर लौर्डशिप द ला इज लाइक दिस और नौट लाइक दिस।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है।

श्री बड़े : बस आपकी इजाज़त से केवल लास्ट प्वाएंट मैंशन भर कर देना चाहता हूं। मेरा कहना यह है कि आदिवासी ऐरियाज में जो पंचायत कोर्टस होते हैं तो अब भील भिलालों को तो पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं है इस वास्ते उनका जो सेक्रेटरी रहता है पेड कारकुन रहता है, ५० रुपये माहवार उसको मिलते हैं वह सब जजमैंट देता है। मैं ने पहले भी शासन को सुझाव दिया था और आज फिर देता हूं कि हमें पंचायत कोर्टस के वास्ते ट्रेनिंग मजिस्ट्रेट्स रखने चाहिएं जोकि उनको डायरैक्शन

†मूल अंग्रेजी में

दें और उनको मुकदमों के बारे में ऐडवाइस दें । बस इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

विधि मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
७३	१	श्री शिवमूर्ति स्वामी	गरीबों की सहायता के लिये वकीलों की नियुक्ति	१०० रुपये
७३	११	श्री रा० बरुआ	गरीबों को वैधानिक सहायता की आवश्यकता	१०० रुपये
७३	१२	श्री वारियर	गरीबों को वैधानिक सहायता की आवश्यकता	१०० रुपये
७३	१४	श्री वारियर	समाचारपत्रों द्वारा न्यायालयों के अवमान सम्बन्धी अधिनियमों के प्रशासन की जांच के लिये संसदीय समिति की आवश्यकता	१०० रुपये
७३	१५	श्री वारियर	पंचायत-न्यायालयों सम्बन्धी अध्ययन दल के कार्य में शीघ्रता की आवश्यकता	१०० रुपये
७३	१६	श्री वारियर	न्यायालय अवमान समिति के कार्य में शीघ्रता की आवश्यकता	१०० रुपये
७३	१७	श्री वारियर	हिन्दू धर्मस्व जांच समिति के कार्य में शीघ्रता की आवश्यकता	१०० रुपये
७३	१८	श्री वारियर	राजभाषा (वैधानिक) आयोग के कार्य में शीघ्रता की आवश्यकता	१०० रुपये
७३	१९	श्री सरजू पाण्डेय	गरीबों को वैधानिक सहायता देने के लिए वकीलों की नियुक्ति की आवश्यकता	१०० रुपये
७३	२०	श्री सरजू पाण्डेय	तृतीय सामान्य निर्वाचन में प्रयुक्त त्रुटिपूर्ण मतदान-पत्र	१०० रुपये
७४	५	श्री शिवमूर्ति स्वामी	निर्वाचन याचिकाओं के निबटारे में विलम्ब	१०० रुपये
७४	६	श्री शिवमूर्ति स्वामी	मैसूर राज्य में राजनीतिक दलों को मान्यता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
७४	७	श्री शिवमूर्ति स्वामी	निर्वाचन में सभी भावुकता भरे प्रतीकों को हटाने की आवश्यकता	१०० रुपये
७४	८	श्री शिवमूर्ति स्वामी	सामान्य निर्वाचन के दौरान दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही न करना	१०० रुपये
७४	९	श्री शिवमूर्ति स्वामी	मैसूर राज्य में लोक सेवा संघ की राजनीतिक दल के रूप में मान्यता छीनना	१०० रुपये
७४	२१	श्री सरजू पाण्डेय	निर्वाचन याचिकाओं के निबटारे में विलम्ब	१०० रुपये
७४	२२	श्री सरजू पाण्डेय	सामान्य निर्वाचन के दौरान दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही न करना	१०० रुपये
७४	२३	श्री सरजू पाण्डेय	मतदाताओं के नाम लिखने में त्रुटि	१०० रुपये
७५	१०	श्री शिवमूर्ति स्वामी	हिन्दू धर्मस्व आयोग द्वारा मठों और मन्दिरों के प्रशासन में हस्तक्षेप	१०० रुपये

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के सामने हैं।

†**श्री रा० बरुआ** (जोरहाट) : विधि विभाग की हालत बिगड़ने के सम्बन्ध में जो कुछ भी यहां कहा गया है, मैं उससे सहमत हूं। इसीलिये हमारे संविधानकारों ने कार्यपालिका को न्याय-पालिका से अलग रखने की व्यवस्था की है।

मैं श्री फ्रैन्क एन्थनी को इस बात से बिलकुल सहमत हूं कि न्यायाधीशों की भर्ती का तरीका बड़ा गलत और संदिग्ध है। कार्यपालिका के अधिकारी बहुधा न्यायाधीशों की आलोचना करने लगते हैं। कभी-कभी प्रधान मंत्री भी न्यायाधीशों की शासन के खिलाफ़ कुछ कह जाते हैं। शोलापुर मिल के मामले में प्रधान मंत्री ने उच्चतम न्यायालय के बारे मे ऐसी कुछ बात कही थी। कल श्री खाडिलकर ने भी उच्चतम न्यायालय को निकम्मा जैसा बताया था। यह एक बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति है।

कार्यपालिका अधिक शक्तिशाली बन गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र के हित में है।

मंत्रियों और अधिकारियों को कानून बनाने की शक्तियां कभी-कभी प्रत्यायोजित करनी ही पड़ती हैं। लेकिन वे अवसर न्यायालयों के नियंत्रण को कम करने की कोशिश करते हैं। लोकतंत्र के हित में यही है कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो और न्यायालयों तथा न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा ऊंची रहे।

†मूल अंग्रेजी में

निवृत्ति प्राप्त न्यायाधीशों को संरक्षण देने की प्रवृत्ति खतरनाक है । संविधान के अनुच्छेद १२४ का मंशा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उच्च न्यायालय में वकालत न करें । इस प्रवृत्ति का फल यह होता है कि न्यायाधीश लोग मंत्रियों को प्रसन्न करने की कोशिश में लगे रहते हैं ।

मैं श्री फ्रैन्क एन्थनी की यह बात मानता हूं कि विधि के प्रशासन में होने वाले विलम्ब की बात काफी बढ़ा चढ़ा कर कही जाती है । विलम्ब का कारण दण्ड प्रक्रिया संहिता की कोई त्रुटि नहीं है, न न्यायाधीशों का उस में कोई दोष है, और न यह कि न्यायालय काम नहीं करते हैं । कारण यह है कि कार्यपालिका की ओर से न्यायपालिका के कार्य की उपेक्षा की जाती है । उससे नुकसान साधारण जनता का होता है ।

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में विचाराधीन मामलों की संख्या बढ़ने का मुख्य कारण कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सह-कार्य का अभाव है । न्यायाधीश कार्यपालिका की सनकों पर चल कर उसे प्रसन्न रखने की कोशिश करते हैं । ऐसी परिस्थिति आगे चल कर संकटपूर्ण बन जायेगी ।

गरीबों को निःशुल्क वैधानिक सहायता देने का विचार बिलकुल नया नहीं है । लेकिन अभी तक उस सिद्धान्त की कार्यान्विति के लिये अधिक कुछ नहीं किया गया है । यह सिद्धान्त व्यवहार प्रक्रिया संहिता में मौजूद है । ग़रीब लोग बड़े-बड़े धनिकों और सामन्तों से मुकदमे नहीं लड़ पाते । उनकी सहायता के लिये वास्तव में कुछ ठोस कार्य करना चाहिये ।

उत्तराधिकार-प्रमाणपत्रों को लेने में काफी खर्च पड़ जाता है । विधि मंत्रालय को उसकी प्रक्रिया अपेक्षाकृत कम-खर्चीली और सरल बनानी चाहिये । उससे गरीबों को सहायता मिलेगी ।

श्री भू० ना० मंडल (सहरसा): उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि जिस तरह इस देश में टेकिनकल रेवोल्यूशन हो रहा है और विकास का काम चल रहा है, उस सिलसिले में सरकार का अधिकार दिनोंदिन सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ रहा है । ऐसी हालत में, जब कि सरकार का अधिकार लोगों के जीवन पर दिनोंदिन बढ़ता जा रहा हो गड़ बड़ी होने पर उस के खिलाफ़ लोगों को प्रतिकार का कोई उपाय न रहना मेरे विचार में जनतंत्र के लिए अच्छा नहीं है । इन दिनों मैं ने देखा है कि बिहार विधान सभा में जितने भी कानून पास हो रहे हैं, उन सब में इस तरह की व्यवस्था रहा करती है कि सरकार की कार्यवाही से लोगों को जो नुक्सान होगा, उस के सम्बन्ध में कोई सरकार के खिलाफ़ दावा नहीं किया जा सकता है और कोर्ट के जूरिसडिक्शन को बार कर दिया जाता है । उसी तरह से उन कानूनों में यह भी व्यवस्था कर दी जाती है कि सरकार के कर्मचारियों के कारण अगर किसी को नुक्सान होगा, तो उस के कारण उन के खिलाफ़ कोई दावा नहीं चलेगा । इस ढंग का प्राविज़न आज बिहार के हर एक कानून में मुझे देखने को मिला है और मैं समझता हूं कि इसी तरह की बात आज समूचे हिन्दुस्तान में हो रही है ।

मेरे कहने का मतलब यह है कि जब लोगों के जीवन पर सरकार का अधिकार उत्तरोत्तर बढ़ता जाता हो, तो कोर्ट के जूरिसडिक्शन को एक्सीक्यूटिव के एक्शन से हटा देना एक तरह की डिक्टेटरशिप कायम करना है । इस लिए मैं ला मिनिस्ट्री का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि उस की ओर से इस बात की जांच की जाये — चाहे किसी कमीशन या कमेटी के ज़रिये या जो ला कमीशन आलरेडी कायम है, उस के ज़रिये — कि अंग्रेज़ के ज़माने की तुलना में स्वतंत्रता के चौदह पंद्राह बरसों में लोगों के व्यक्तिगत जीवन में कहां तक स्वतंत्रता की वृद्धि हुई है, या कहां तक स्वतंत्रता संकुचित हुई है ।

[श्री भू० ना० मंडल]

आज जो हमारा समाज है, उस में अधिकांश आदमी पिछड़े समाज के और ग़रीब हैं। आज स्थिति यह है कि अगर किसी ने किसी आदमी को मारा और अगर वह आदमी शिकायत ले कर कोर्ट में जाना चाहे, तो उस को कम से कम छः सात रुपये चाहिए, तभी वह कोर्ट में जाकर फरियाद कर सकता है। अगर जनतंत्र के ज़माने में, जहां सब लोगों को बराबरी का अधिकार है और बराबरी के आधार पर उन की मान्यता होनी ही चाहिए, किसी आदमी को नाजायज़ तरीके से मारा जाता है, या गाली दी जाती है और उसके प्रतिकार के लिए वह न्यायालय में जाना चाहता है, लेकिन वह इस लिए नहीं जा सकता है कि उस के पास पैसा नहीं है, यह, मैं समझता हूं, जनतंत्र का मखौल करना होगा। इस लिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

इस सम्बन्ध में मैं सुझाव देता हूं कि जिन लोगों की आमदनी २५० रुपये से कम हो, उन को यह अधिकार होना चाहिए कि जब वे लॉ कोर्ट में जायें, तो उनको पैसा न देना पड़े। जिस लायर को वे एनगेज करना चाहें उसको एनगेज कर सकें और सरकार को चाहिये कि वह उस लायर की फीस वगैरह अपने पास से अदा करे। टिकट वगैरह भी सरकार की तरफ़ से उसको मुफ्त दी जानी चाहिये और इसकी भी व्यवस्था की जानी चाहिये।

अब मैं गत आम चुनावों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जो अभी खतम हो चुका हैं। मैंने देखा है कि सिर्फ़ मेरी कंस्टिट्युएंसी में ही करीब एक लाख आदमियों के नाम वोटर लिस्ट मेंदर्ज नहीं थे। इतने अधिक लोगों के नाम वोटर लिस्ट में न होना जनतंत्र के लिए बहुत ही बुरी बात है। संविधान में कहा गया है कि हर बालिग़ को वोट देने का अधिकार है। लेकिन लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं छापा जाता है; महज़ इस बात से किस रकार का कानून और इंतज़ाम है वह नाकाफ़ी है। जो फ़ंडामेंटल राइट पर बालिग़ वोटर का है कि वह अपना मत दे करके अपनी मर्ज़ी की सरकार चुने, वह संविधान का उद्देश्य कैसे पूरा हो सकता है और किस तरह से भारतीय जनतंत्र चल सकता है। मैं समझता हूं कि जो वोटर लिस्टस बनाता हैं अगर उनमें कोई कमियां रह जाती हैं तो इस का मतलब होता है कि सरकार इन सारे कामों के करने के योग्य नहीं है और उसकी अयोग्यता की वजह से वे लिस्ट्स ठीक से तैयार नहीं हो पाते हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह की चीज़ होना हिन्दुस्तान के संविधान के साथ एक खिलवाड़ है।

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : उसमें एमेंडमेंट भी हो सकती है।

श्री भू० ना० मंडल : माननीय सदस्य ने सुझाया है कि उसके लिए दरखास्त दी जा सकती हैं और लिस्ट को अमेंड करवाया जा सकता है। लेकिन आज जो देश की स्थिति है जिसमें लोग सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत नीचे पड़े हुए हैं, बहुत ही ग़रीब हैं, जिनको न इन सब कानूनों की जानकारी है और न ही हो सकती है, उस में सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। पहली बात तो यह है कि सरकार को वोटर्ज़ लिस्ट को हर पहलू से कम्पलीट बनाना चाहिये और देखना चाहिये कि कोई नाम छूट न पायें। दूसरी बाद यह है कि जिस व्यक्ति का नाम ग्राम पंचायत की पारिवारिक पुस्तिका में दर्ज हैं, उसका नाम तो ज़रूर ही वोटर्ज़ लिस्ट में दर्ज होना चाहिये। लेकिन देखा जाता है कि वह भी नहीं होता है। कितने ही ऐसे उदाहरण मेरे नोटिस में आये हैं कि वोटर का नाम तो दर्ज होता है लेकिन उसके बाप का नाम कोई दूसरा ही दर्ज कर दिया जाता है। इससे जब वह वोट देने के लिए जाता है तो बड़ी गड़बड़ी होती है और उसको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रेस में जा कर भी बहुत गड़बड़ी होती है। कहीं यह चीज़ जान बूझ कर तो नहीं की जाती है, इसको भी देखा जाना चाहिये। मैं चाहता हूं कि अगर इस चीज़ को ला मंत्रालय देख सकता है तो उसको देखना चाहिये। जिस पार्टी के हाथ में सरकार की बागडोर होती है,

उसको कई प्रकार के एडवांटेजिज़ प्राप्त होते हैं। इस कारण से वह वोटर्ज़ लिस्ट में तरह तरह की गड़बड़ियां करवा दे सकती हैं। देखा गया है कि अगर वोटर का नाम हिन्दू है तो उसके बाप का नाम मुस्लिम कर दिया जाता है। इस तरह की चीज़ को आप प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं कह सकते हैं। जानबूझ कर इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। इस तरह की गड़बड़ियां न हों इस तरफ़ आप का ध्यान जाना चाहिये ? अगर जानबूझ कर इस तरह की गड़बड़ियां नहीं की जाएंगी तो इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकेंगी। मैं चाहता हूं कि ला डिपार्टमेंट और इलैक्शन कमिशन का ध्यान इस ओर जाए। सरकार का यह देखना कर्तव्य है कि हिन्दुस्तान का हर बालिग़ जोकि वोट देने का अधिकार रखता है,उसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो। अगर सरकार की ला परवाही से कोई गड़बड़ी की जाती हो तो भी उसको वोट देने में कोई बाधा उत्पन्न न हो, इस ढंग की कानून में कोई व्यवस्था की जानी चाहिये। मैं चाहता हूं कि ला कमिशन रिप्रिज़ेंटेशन आफ़ पीपल्ज़ एक्ट पर विचार करे अगर अपने आप उसने विचार नहीं करना है, तो विशेष तौर पर मेरे सुझावों पर विचार करे और उसको एमेंड करते वक्त इन सब बातों का खयाल रखे।

अब मैं कंटैम्प्ट आफ कोर्ट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। एक माननीय सदस्य आपका इस ओर ध्यान खींच चुके हैं। मुझे भी कुछ कंटैम्प आफ कोर्ट के केसिस का अनुभव है और मैंने देखा है कि और बातों के साथ साथ एक बात की बड़ी गड़बड़ी होती है। वहां का जो प्रिज़ाइडिंग आफिसर होता है उसकी डामिनेटिंग पोज़ीशन होती है और कभी कभी उसका जो कंडक्ट होता है बहुत ही फ्लैग्रेंट होता है और लोगों के प्रति उसका व्यवहार अच्छा नहीं होता है। ऐसी हालत में अगर लोगों की ओर से कुछ गड़बड़ी हो तो उनको कंटैम्प्ट आफ़ कोर्ट की ज़द में वह ला सकता है। अगर उसका कंडक्ट फ्लैग्रेंट हो दूसरे की बेइज्ज़ती करने वाला हो तो वह चीज कंटैम्प्ट आफ कोर्ट में आती है या नहीं आती है, मैं समझता हूं कि इस बारे में कानूनी पोज़ीशन साफ नहीं है। ला कमिशन की ओर से जो इस बारे में रिपोर्ट होने वाली है उसमें इस बात का खयाल किया जाना चाहिये कि कोर्ट की जो डिगनिटी है, उस डिगनिटी को मेनटेन करने के लिए अगर प्रिज़ाइडिंग आफिसर का कंडक्ट फ्लैग्रेंट हो, उसका एट्रोशस कंडक्ट हो और उसकी वजह से अगर ब्रीच आफ़ पीस की स्थिति पैदा हो तो वह भी उतना ही दण्डनीय हो जितना कि कोई दूसरा आदमी हो सकता है।

हाल के आम चुनावों के सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं। सरकार ने कहा है कि एक कैंडीडेट इलैक्शन पर पच्चीस हज़ार से ज्यादा रुपया खर्च नहीं कर सकता है। लेकिन कितने ही क्षेत्रों में पचास पचास हज़ार और एक एक लाख रुपया या इससे भी अधिक खर्च किया गया है और इस चीज का सिर्फ आंख से देखने मात्र से ही पता चल सकता था। आज शायद कानून में कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि आन दी स्पाट किसी को पकड़ा जा सके और उससे पूछा जा सके कि क्यों इस तरह से खर्चदारी हो रही है, क्यों इस लिमिट से बाहर जाकर कोई खर्च कर रहा है और उसको वहीं पर दंडित किया जा सके। मैं चाहता हूं कि इस तरह से उसको दंडित करने की व्यवस्था कानून में होनी चाहिये। मुझे रिपोर्ट मिली है कि हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री की कंस्टिट्युएंसी में तथा कानून मंत्री की कंस्टिट्युएंसी में कई अनियमिततायें बरती गई हैं। मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी की ही बात आप को बतलाता हूं कि मेरे खिलाफ़ एक उपमंत्री खड़ा हुआ था और लाख रुपये से बेशी उसने खर्च किया और उसकी कितनी ही मोटरें चल रही थीं, चार चार चल रही थीं। प्राइम मिनिस्टर की कंस्टिट्युएंसी में मैंने सुना है कि हिन्दुस्तान के बड़े बड़े कांट्रेक्टर थैलियां लेकर खड़े हुए थे। यह भी मेरे सुनने में आया है कि ला मिनिस्टर की कंस्टिट्युएंसी में कांट्रेक्टर्ज़ थैलियां ले कर खड़े थे और वहां जो मोटरें चलती थीं उनका कोई ठिकाना नहीं था। सिर्फ़ आंखों से देखने से मालूम हो सकता था कि कितने बड़े पैमाने पर कैम्पेन को चलाया जा रहा है। अगर इस तरह की बातें लोगों की नजर में आयें जो कि कानून के खिलाफ़ हों और खास तौर पर उनके

[श्री भू० ला० मंडल]

क्षेत्रों में हो जो कि सरकार को चलाने वाले आदमी हैं तो कैसे यह जनतंत्र आगे चल सकता है, यह आपके सोचने और समझने की बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई इस तरह का कानून बने, चाहे गवर्नमेंट के ज़रिये, ला इलैक्शन कमिशन के जरिये जिससे कि आन दी वेरी स्पाट ऐसे कैंडीडेट्स को दंडित किया जा सके और उनको चुनाव लड़ने से डिबार किया जा सके।

एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि आज कल जितने भी एक्ट्स या बिल्ज़ बनते हैं वे पहले अंग्रेजी में तैयार होते हैं। मेरा सुझाव यह है कि पहले उनको अंग्रेजी में तैयार न करके, राष्ट्र भाषा में तैयार किया जाए और फिर उनके ट्रांस्लेशन दूसरी भाषाओं में करवाये जायें। मैं चाहता हूं कि इसका कोई इंतज़ाम आपकी तरफ़ से किया जाना चाहिये।

मैं समझता हूं कि जनतंत्र को सफल करने के लिए आज जो कानून का ढ़र्रा है, शासन का ढ़र्रा है, इसको बदलने की जरूरत है। इसको बदलने के लिए तीन नीति को कारगर करने को जरूरत है। मैं जानता हूं कि कानून बनाने के लिए सजेशन देने का अधिकार ला डिपार्टमैंट को भी है। ला डिपार्टमैंट की तरफ़ से ऐसा सजैशन किया जाए जो मेरे सुझाव के अनुरूप हो। समुचे शासन का जो काम चलता है, चाहे वह विकास का काम हो और चाहे वह शासन सम्बन्धी काम हो वे सभी इस तीन नीति कार्यक्रम के आधार पर होना चाहिये। इन तीन नीतियों में एक नीति तो दाम के बारे में है, दूसरी भाषा के बारे में है और तीसरी जात के बारे में है। शासन यंत्र का सोशल कम्पोजीशन कैसा होना चाहिए इसके बारे में है। इस सम्बन्ध में संक्षेप में मुझे कहना है कि अगर हिन्दुस्तान की जनता को अपने पैरों पर आप को खड़ा करना है, अगर देश का विकास इसके ज़रिये करवाना है, तो इन तीन नीतियों का शासन का आधार बनाना बहुत ज़रूरी है, ? सब से पहले, मैं जाति नीति पर कुछ कहना चाहता हूं। आज जो शासन चल रहा है, वह यह है कि शासन ऐसे लोगों के ज़रिये चल रहा है जो लोग कि शासन के काम को बहुत पुराने ज़माने से चलाते आ रहे हैं। हिन्दू शासन के ज़माने से ले कर अब तक यही लोग शासन को चलाते आ रहे हैं। हिन्दू जमाने में समाज टुकड़ों में बंट गया था। एक बड़े लोग थे और दूसरे छोटे लोग। शासन और शोषण का उनका पुराना अनुभव है और वही अनुभव आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है? इसलिए यह ज़रूरी है कि शासन में ऐसे लोगों को आना चाहिये जो पिछड़ी समाज के आदमी हैं। इस पिछड़ी समाज में मैं, स्त्रियों को रखता हूं, हरिजनों को रखता हूं, आदिवासियों को रखता हूं, पिछड़े हुए क्रिश्चियनों को रखता हूं,जुलाहों बनियों को रखता हूं और मुसलमानों में अनसार, धुनिया इत्यादी को रखता हूं? इन लोगों को शासन में ६० प्रतिशत से कम नहीं लेना चाहिये।

ऐसा होने से आज जो शासन का तरीका है और योजना का भी जो तरीका है वह तरीका एकदम बदल जायेगा। आज मुझे ऐसा देखने में आता है कि जो कुछ भी सरकारी कार्यवाही हो रही है, उस कार्रवाई में जो हिन्दुस्तान का गरीब है,जो वास्तविक हिन्दुस्तान है, हिन्दुस्तान का जो गांव है, उस की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, उस के स्वार्थ को प्रायोरटी नहीं दी जाती है। उस के स्वार्थ को प्रायोरिटी देने के लिए यह करना ज़रूरी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस तरह की जाता नीति यह सरकार अपनाये।

इसके बाद मैं भाषा के बारे में भी कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने अपने जमाने में ऐडमिनिस्ट्रेशन को सम्भालने के लिए और अपनी सहूलियत के लिए अंग्रेज़ी को चलाया था। आज जब

हिन्दुस्तान के लोगों का हिन्दुस्तानी राज्य है तो उस में जो देश की भाषा है उस में ही सब राज-काज चलाना चाहिये ताकि यहां के लोग उसको समझ सकें।

इसी तरह से जो दाम की पालिसी है उसमें भी मैं समझता हूं कि बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइस के लिए बहुत सी बातें कहीं जाती हैं, लेकिन उस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि तीन बातों को करने की आवश्यकता है। एक यह कि किसान की जो फसल है उस फसल का दाम इस ढ़ंग से तय करना चाहिए कि उस में जो लागत खर्च पड़ता है उस पर कुछ मुनाफा जोड़ कर दाम उस को मिले। इसी तरह से जो आर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज हैं उसका दाम भी तय करने में यह ध्यान रक्खा जाय कि उस का जो लागत खर्च हो उस के डेढ़ गुने से ज्यादा दाम किसी चीज का नहीं होने पाये, और तीसरे यह कि दोनों तरह की चीज़ों के दाम में सन्तुलन कायम किया जाय। मैं चाहता हूं कि उस तरह का कोई कानून ला कमिशन की तरफ से आये।

श्री श्यामलाल सर्राफ : जनाब, मैं अर्ज़ करूं कि एक आनरेबल मेम्बर ने कुछ बातें कहीं काश्मीर राज्य के बारे में। इत्तफ़ाक से वहां उस पार्टी की गवर्नमेंट है जिस ने मुझे यहां भेजा है : एलेक्शन के बारे में हकीकत यह है कि जैसे हिन्दुस्तान की और जगहों पर एलेक्शन कमीशन का जूरिस्डिक्शन है उसी तरह से वहां पर भी है और उन्हीं के हाथ में एलेक्शन का सारा काम था। उन्होंने फ़रमाया कि वहां पर सरकार की तरफ़ से बाक्सेस दिये गये, उन में यह नुक्स था, वह नुक्स था ऐसा अखबारों में छपा। इस में हकीकत यह है कि उसमें न किसी सरकार का हाथ था और न किसी पार्टी का हाथ था। असलियत यह है कि वह बाक्सेस एलेक्शन कमिशन के जरिये से आन्ध्र से भेजे गये थे और उनकी अपनी अथारिटी से थे। किसी और के हाथ में नहीं थे। तब तक न कोई एलेक्शन हो चुका था और न एलेक्शन की पर्चियां बांटी गई थीं। । अगर किसी के हाथ में वोट था, तो वह कैसे आ गया, इस के बारे में यह तो नहीं कहा जा सकता कि वहां की गवर्नमेंट ने उनको दे दिया।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल) : उपाध्यक्ष महोदय, कानूनी शासन के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। एक हिन्दुस्तानी को या यहां के सिटिजेन को न्याय हासिल करने के लिए जो जो तकलीफ़ें पेश आती हैं, उनके बारे में इस भवन में बहुत से हमारे भाइयों ने बतलाया है। मैं इस के बारे में ८ या १० मिनटों में अपने सुझाव रखना चाहता हूं।

पंचायती कोर्ट स्थापित करने के बारे में जो सोचा जाता है उसके लिए मैं समझता हूं कि शासन को जो न्याय देने के हकूक हैं, जो उसके कानून हैं उन को सिर्फ़ पंचायतों के हाथ में नहीं देना चाहिये। इस के बजाय एक एक ताल्लुका में जो दो या तीन रेवेन्यू विलेजेज़ होते हैं वहां पर जो एक एक वकील या कानून को चलाने वाले होते हैं, उनके हाथ में देना चाहिये। इसी तरह से जो टूरिंग कोर्टस होते हैं वह सफ़र किया करें और हर मवाजियात में जा कर न्यायालय की तरह से जांच कर सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि आज भारतवर्ष में हम सोशलिज्म की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आज जो गरीब और पिछड़ा हुआ वर्ग है औरतों का उसको कानून से अपने हुकूक हासिल करने में जो तकलीफ़ हुआ करती हैं, उस को अनुभव से ही जाना जा सकता है। मैं जानता हूं कि एक बहुत बड़े घराने की औरत, १०० एकड़ जमीन की मालिक होते हुए भी, उसको न्याय हासिल करने मे इतनी तकलीफ़ होती है जिस का ठिकाना नहीं है। मुझे मालूम है कि उस औरत को न्याय हासिल करने के लिए परसों गवर्नमेंट को एक मर्सी पिटीशन दाखिल करनी पड़ी क्योंकि मैसूर स्टेट में कोर्ट फीस इतनी बढ़ी हुई है कि ७ या ७।। परसेन्ट तक हो जाती है। एक औरत को न्याय हासिल करने के लिए अपनी हजारों की अमदनी इस कोर्ट फ़ीस में लगानी होती है। उस औरत को अपना शेअर हासिल करने के लिए, जो कि ५० परसेन्ट हो सकता है, ४० परसेन्ट हो सकता है, ३० परसेन्ट

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

हो सकता है अदालत तक जाने में तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहां से न्याय हासिल कर पाने से कासिर रहते हुए इस कानून के मातहत पंचों के पीछे पड़ कर अपने हिस्से की मांग करने के लिए उसे बेइज्जती का तरीका अपनाना पड़ता है। इस से बचने के लिए अगर वह मर्सी पिटीशन देने जाती है तो भी बड़े अफ़सोस से कहना पड़ता है कि उसका काम नहीं हो पाता है। इस तरह से मैं किसी एक इन्डिविजुअल केस की ताइद नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ़ यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के कानून में यह दोष है कि उन को न्याय हासिल नहीं हो पाता है। आज १०००, २०००, ५००० या १०००० रुपये फ़ीस दाखिल करके जजमेंट की कापी हासिल करना एक मामूली आदमी या एक असहाय औरत की ताकत के बाहर की बात है।

मैं ला कमिशन के बारे में इतना बतलाना चाहता हूं कि देश का वही भाग सब से अच्छा प्रशासित है जहां प्रशासन सब से कम है।

जिस मुल्क में जितने कम कानून होंगे वह उतना ही बहतर समझा जाता है। लेकिन हम अपने भारत वर्ष में इतनी तेजी से कानून बना रहे हैं कि शायद ही कोई वकील उन सब को याद रख सकता होगा। इसलिए जो जो बेकार के कानून हैं, या जो हमारी बुनियादी आजादी को एनक्रोच करने वाले कानून हैं उन्हें खत्म करके जो जो बहुत आवश्यक कानून हों उन को ही कायम रक्खा जाय।

इस के बाद मैं एलेक्शन के बारे में और एलेक्शन कमिशन के बारे में चन्द सुझाव रखना चाहता हूं। आप जानते हैं कि इस मुल्क में पोलिटिकल पार्टीज़ हैं। मैं पोलिटिकल पार्टीज़ के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन सरकार या लोक सभा में पक्ष की दृष्टि से देखा जाना या पक्ष की दृष्टि से वोट्स की मांग करना यह हुकूमत करने के उसूलों के खिलाफ जरूर है। इसीलिए महात्मा जी ने पार्टीलैस डिमाक्रेसी के उसूल को रखा था। हमें इस की जांच करनी चाहिये और ला कमीशन के पास कोई कारण नहीं होना चाहिये जिससे कि वह पोलिटिकल पार्टीज को रिकग्नाइज़ करे और उनके लिए एक एक सिम्बल फिक्स करे। ऐसा करन से जो दूसरे इन्डेपेन्डेन्ट लोग हैं या जो दूसरे कारकुन हैं उन को एलेक्शन लड़ने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना होता है। सिम्बल को फिक्स कर देने से मुल्क के अन्दर पार्टियों की गुटबन्दी चलती है और वह नैशनल इंटेग्रेशन के खिलाफ भी पड़ता है। मैं समझता हुं कि मुल्क में इस तरह की चीज कभी नहीं हो सकेगी। एक पार्टी दसरी पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाकर और बहसों में पड़ कर पार्टियों की विभिन्नता पैदा करती है और मुल्क उससे सफर करता है। अगर इस तरह से चलता रहा तो एक दिन आयेगा कि पार्टिया आपस में लड़ कर इस मुल्क ने जो आजादी हासिल की है उस को सम्भाल नहीं पायेंगी। इस लिए हम को यहां पर एक नैशनल गवर्नमेंट का वातावरण ही कायम रखना चाहिये। पार्टियां इस हाउस के बाहर रह सकती हैं। पार्टियां के हुकूक को जिस तरह से हमारे संविधान में नहीं माना गया है उसी तरह से हमको भी न मानना चाहिये। इस पार्टी सिस्टम के वजूद में होने के बावजूद में एलेक्शन कमिशन को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने किस खूबी से एलेक्शन को कंडक्ट किया है। इस के बारे में तो शायद ही कोई यहां पर शिकायत कर सके। फिर भी मैं चन्द सुझाव उस के कंसिडरेशन के लिये रखना चाहता हूं। जब भी एलेक्शन कमिशन को कोई पालिसी चाक आउट करनी हो तो वह कम से कम एलेक्शन के एक या दो साल पहले करना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि जब एलेक्शन के एक या दो महिने रह जायें उस वक्त एलेक्शन कमिशन उस को शुरू करे। ऐसा नही होना चाहिये कि कुछ दिन पहले किसी पार्टी को रिकग्नाइज न कर के वह फ्री सिम्बल रक्खे लेकिन एलेक्शन के दिन

मालूम हो कि वह फ्री सिम्बल नहीं है और उस को फलां पार्टी को अलाट कर दिया गया है। इस तरह के प्रेस नोट देखने में आते है। मैंने उन के खिलाफ हूं। मैं एलेक्शन कमिशन को मंत्री महोदय के द्वारा इत्तला देना चाहता हूं कि वह इस बात का ख्याल रक्खें कि जो भी पालिसी उसको बनानी हो वह उस को वह एलेक्शन से कम से कम दो साल पहले बना ले। एलेक्शन के नजदीक कोई नई पालिसी न बनाई जाय ?।

मैं एक दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। आप जानते हैं कि इस मुल्क में सेंटीमेंट रखने वाले लोग हैं। कांग्रेस के लिए जो बैल की जोड़ी का सिम्बल फिक्स कर दिया गया है उसके कारण बहुत से लोग बहकावे में आकर बैलों की जोड़ी के कारण कांग्रेस को वोट दे देते हैं। तकरीबन २० परसेंट वोट तो इस सिम्बल के कारण ही दिए गए हैं। मेरा सुझाव है कि या तो इस बैल की जोड़ी के सिम्बल को रोटेशन में फिक्स किया जाए या इसको सिम्बल्स की लिस्ट से निकाल दिया जाए। मेरा निवेदन है कि लोग समझते हैं कि बैल हमारी खेती करता है इसलिए उसको वोट देना चाहिए। आपने करप्ट प्रेक्टिसेज में यह रखा है कि किसी के रिलीजस सेंटीमेंट को न उभारा जाए और अगर ऐसा किया जाएगा तो वह करप्ट प्रैक्टिस होगी। करनाटक मे बैलों की पूजा होती है और मैं समझता हूं कि बिहार में और दूसरे राज्यों में भी होती होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो बैलो का सिम्बल कांग्रेस के लिए रिजर्व कर दिया गया है उसको खत्म कर दिया जाए ।

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपाल गंज) : पूजा तो पेड़ की भी करते हैं लेकिन उसके लिए कोई वोट तो नहीं मांगता ?

श्री शिवमूर्ति स्वामी : लेकिन बैल की शक्ल दिखा कर तो वोट लिए जाते हैं। पोलीटिकल पार्टीज का इलेक्शन के करीब रिकागनीशन करने के कारण जो गलतियां होती हैं उनका उदाहरण देने के लिए मैं एक ट्राइबुनल के जजमेंट से चन्द लाइनें पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। वह इस प्रकार है कि बैलगाड़ी का प्रतीक न मानने से एक प्रार्थी के चुनाव पर बुरा प्रभाव पड़ा था।

अन्त में म कहना चाहता हूं कि सिम्बल प्रदान करने की नीति ऐसी होनी चाहिए कि उससे किसी पार्टी को हानि न पहुंचे। मैं अपनी पार्टी का उदाहरण देना चाहता हूं कि जब हमने दरखास्त दी तो पक्षातीत दृष्टि से कल्टीवेटर विनोइंग ग्रेन का सिम्बल दिया गया। इस सिम्बल का विकास महात्मा गांधी के सेक्रेटरी निर्मल घोष ने किया था। इसी सिम्बल को लेकर चुनाव लड़ कर पांच आदमी एम० एल० ए० हुए और एक एम० पी० हुआ। उसके बाद इलेक्शन के २५–३० दिन पहले प्रेस स्टेटमेंट निकाल दिया गया कि लोक सेवक संघ का रिकागनीशन विदड्रा किया जाता है। इसका कारण मुझे मालूम नहीं। मैं भी लोक सेवक संघ से चुन कर आया था। इसी पार्टी से पांच आदमी एम० एल० ए० चुने गए और एक एम० पी० चुना गया और करनाटक मे इसी पार्टी के नाम पर सत्याग्रह करके ४०–५० आदमी जेल गए। इतनी एक्टिव या पार्टी करनाटक में थी जिसका रिकागनीशन विद्ड्रा कर दिया। यही एक पार्टी करनाटक में कांग्रेस के खिलाफ थी। इसके लिए मैं एलेक्शन कमीशन को दोष नहीं देता लेकिन इसमें उनको मैशिनरी का दोष है जिसने गलत रिपोर्ट दी। उनको दूसरे चुनाव तक ठहरना चाहिए था और अगर तीन या चार परसेंट वोट न आते तो रिकागनीशन विदड्रा कर लेते।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने जो इलेक्शन ला में पिछले सदन में धारा १२५ का निर्माण किया था उसका उद्देश्य देश में एकता कायम रखने का था ताकि जाति वाद और धर्म वाद के जो उस समय नारे लग रहे थे चुनाव में न आ जाएं। शायद सरकार का यह विचार हो रहा था कि कम्यूनल आरगेनाइजेशन्स को रोका जाए। इस उद्देश्य से भी दफा

[श्री सिंहासन सिंह]

१२५ का निर्माण किया गया था। उसमें कहा गया है कि धर्म, जाति या भाषा इत्यादि के आधार पर वैमनस्य पैदा करना अपराध होगा। इन बातों के लिए आई० पी० सी० की दफा ३५३ में दो वर्ष की सजा की व्यवस्था है। लेकिन इस में आपने इन बातों के लिए तीन साल की सजा रखी है, इसी अभिप्राय से कि इन चीजों को रोका जाए।

इस सदन में भी यह प्रश्न उठाया गया था कि कुछ पार्टियों ने धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर प्रचार किया और पोस्टर निकाले और नोटिस निकाले। गवर्नमेंट उनका संकलन कर रही थी इस विचार से कि क्या कदम उठाया जाए। यह दफा बनायी ही इस विचार से गयी थी कि ऐसी बातों की रोकथाम हो। लेकिन रोकथाम न करके इसका दुरुपयोग हुआ और शायद सारे देश में एक जगह भी ऐसी पार्टियों या व्यक्ति विशेष पर मुकदमे नहीं चलाए गए जिन्होंने इस प्रकार का प्रचार करके वोट मांगे। आपने इसलिए कानून बनाया कि देश में जातिवाद और धर्मवाद की भावना न फैलने पाए और देश में राष्ट्रीय भावना रहे। लेकिन आपने इस कानून में पुलिस को मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि कहीं भी मुकदमा नहीं चला। अगर प्रतिद्वन्दी मुकदमा दायर करता है तो उसके खिलाफ कहा जाता है कि यह प्रचार नहीं करने देता।

वास्तव में इस कानून को बनाने से गवर्नमेंट का विचार था कि देश में इस प्रकार का विष न फैले। लेकिन इस कानून की अवहेलना की गयी। हमारा कानून का राज्य कहलाता है और कहा जाता है कि यह राज्य कानून पर स्थापित है और कानून के द्वारा सारा कार्य संचालित होता है। लेकिन जब इस प्रकार के कानून की अवहेलना होती है जनता की कानून पर से श्रद्धा हट जाती है, किसी को कानून का कोई डर नहीं रहता। इसीलिए इस प्रकार का प्रचार किया गया कि गाय की शक्ल बनायी गयी और उस पर छुरी चलती दिखायी गयी और प्रधान मंत्री को उसके पास खड़ा दिखाया गया। कहीं नारा लगाया गया कि हिन्दू धर्म खतरे में है, कहीं नारा लगाया गया कि मुसलमान धर्म खतरे में है, कहीं कहा गया कि जाति खतरे में है। जब गवर्नमेंट ने इन चीजों को रोकने के लिए कानून बनाया था और दफा १२५ का निर्माण किया था तो गवर्नमेंट का कर्त्तव्य था कि वह देखती कि इस कानून की अवहेलना न हो और उसका सही तरीके से पालन किया जाय। गवर्नमेंट खुद उस कानून का पालन नहीं करा पाती है तो हमें तो यही कहना है कि आप इसको कानून की किताब के बाहर कर दें। आप अगर उसे चला नहीं सकेंगे तो उसको इस चुनाव के कानून में रख कर, न्याय की किताब में रख कर उस की अवहेलना न करें और उसको निकाल देवें। बस मुझे इतना ही कहना था अब होम मिनिस्टरी राय के लिए आप के पास आयेगी कि यह चल सकता है या नहीं चल सकता है। अन्ततोगत्वा कोई भी मिनिस्ट्री जो भी लेजिस्लेशन करती है वह ला मिनिस्टरी की राय लेने के बाद करती है वह राय लेने को आवें और अगर आप समझें कि वह कमजोर है और उसके अंदर मुकद्दमा नहीं चल सकता तो उचित यह है कि आप उसको कानून में से निकाल दें। इस के बारे मे मुझे आपसे इतना ही कहना है।

एलेक्शन एक्सपेंसेज के बाबत मेरे एक भाई ने जिक्र किया। इसके बारे में मेरा विचार पहले से यही है कि इसमें चुनाव खर्च के दाखिल करने के लिये कोई व्यवस्था वाली चीज नहीं रहनी चाहिए, और जहां सन् १९५२ के एलेक्शन कानून के मुताबिक जो एलेक्शन एक्सपेंसेज के रिटर्नस देने पड़ते थे उसमें २ रुपये के स्टाम्प पर हमको एक हलफनामा दाखिल करना पड़ता था कि जो एलेक्शन एक्सपेंसेज हमने दाखिल किये हैं वह सही हैं। खुशी की बात है कि सन् ५६ में तरमीमी कानून पास करके हमने इस को निकाल दिया कम से कम झूठ बोलना तो दूर हो गया। अब तो केवल इतना रह गया है कि जो खर्चा आप करते हैं वह दे देंवे और उसकी सीमा रख दी गई है कि २५,००० रुपये से अधिक

न हो, पार्लियामेंट के लिये २५००० से अधिक न हो और असेम्बली के लिये ६००० रुपये से अधिक न हो। हो सकता है कि कहीं पर इससे कुछ कम हो लेकिन उत्तर प्रदेश की मैं जानता हूं कि वहां यह परिधि ६००० रुपये की है। अभी हमारे एक भाई ने कहा कि पार्लियामेंटरी सीट्स के लिये लाखों रुपये लोग खर्च करते हैं तो इस एफेडैविट के हट जाने से कम से कम झूठ बोलने से तो बचें क्योंकि यह चीज किसी से पोशीदा नहीं है कि २५००० और ६००० से बहुत से लोग कहीं ज्यादा खर्च करते हैं। अब यह कहना कि गवर्नमेंट झूठ बुलवाती है सही नहीं होगा। यहां आकर हम कानून बनाते हैं और भारत की जनता के प्रतिनिधि जो हम लोग यहां पर चुन कर आते हैं वह भी अपना सही हिसाब न दे सकें तो हम देश के आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा उठाने की कैसे कल्पना कर सकते हैं ? देश का आध्यात्मिक स्तर तो तभी ऊंचा उठेगा जब नेताओं के प्रति लोगों की यह धारणा हो कि यह सही नेता हैं और सही हिसाब देते हैं और गलत काम नहीं करते हैं।

अब गलत हिसाब देने और चुनाव सम्बन्धी अनियमितताएं बर्तने का जहां तक सवाल है इसमें कांग्रेसी और गैर-कांग्रेसी का कोई सवाल नहीं है। दोनों ही के आदमी इस चीज के लिए दोषी हैं। मैं आपको बतलाऊं कि मेरे विरुद्ध जो उम्मीदवार खड़े थे वह धर्म के आधार पर खड़े हुए थे और उन्होंने सीमा से कहीं ज्यादा रुपया खर्च किया लेकिन मैंने बहुत ही कम खर्च किया और मैं समझता हूं कि शायद सारे देश में वह कम रहा होगा। करीब ३०० रुपया मैंने खर्च किया। मैंने तो सोच लिया था कि जनता को अगर मुझे वोट देना होगा तो वह देगी और अगर न देना होगा तो न देगी। लेकिन मैं इससे इंकार नहीं करता कि आप के और हमारे बीच में काफी लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कि २५,००० से कहीं अधिक खर्च किया होगा, लाख लाख रुपये खर्च किये होंगे। इन राजा महाराजाओं को ही ले लीजिये। यह चाहे कांग्रेस पार्टी से खड़े हों अथवा किसी अन्य पार्टी से, यह तो काफी रुपया खर्च करते हैं। राजा, महाराजाओं की कल्पना से ही यह बाहर की चीज है कि वह लाख रुपये से कम खर्च करें। लोग भी सोचते हैं कि राजा अगर खड़ा हुआ है तो वोट पाने के लिये वह रुपया खर्च करे। एक मर्सिनरी स्प्रिट पैदा हो जाती है।

अब अगर आप इस को रोक नहीं सकते हैं तो इसको कानून की दफा से निकाल दीजिये। कम से कम लोगों को जानबूझ कर झूठ तो हलफ नहीं उठानी पड़ेगी ईमानदारी तो उनकी रहेगी। चुनाव का हिसाब रखने के लिये कहा जाता है कि लोग गलत हिसाब रखते हैं और देते हैं तो यह चीज तो तभी जायेगी जबकि हमारे देश का स्तर ऊंचा होगा।

चूंकि मेरा समय खत्म हो रहा है इसलिये मैं केवल अन्तिम बात कह कर समाप्त करूंगा और वह सेप्रेशन आफ जुडिशियरी एण्ड एक्जीक्यूटिव है। जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव के सेप्रेशन का मामला सन् १९४८ या सन् ५० से चला आता है, हमारे संविधान में भी इसकी चर्चा है। यह अफसोस का विषय है कि इसको १२ या १४ वर्ष हो गये लेकिन उसका सही तरीका आज तक नहीं हुआ और आज तक दोनों अलहदा नहीं किये गये हैं। संविधान की वह धारा कि जुडिशियरी को हम एक्जीक्यूटिव से अलग करेंगे तब तक बगैर अमल के पड़ी रहेगी? कुछ राज्यों ने इस बारे में कुछ कदम उठाये हैं। उत्तर प्रदेश ने भी इस दिशा में पग उठाया है। ला कमीशन ने भी कहा है कि यह अलग न करना कांस्टीट्यूशन पर एक फ्रौड है। आप हर एक स्टेट को फोर्स करते कि वह अपने यहां इस जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव को अलग अलग कर दें क्योंकि संविधान में साफ ऐसा करने का डायरैक्शन है। लेकिन अगर आप स्वयं संविधान को मान्यता नहीं देते हैं और जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव को अलग करने की ओर अमली कदम नहीं बढ़ाते हैं तो कैसे काम चलेगा ? आखिर गवर्नमेंट को उसको करने में क्या बाधा है ? ब्रिटिश राज के जमाने में तो हम लगातार यही आवाज उठाते थे कि जुडिशियरी को एक्जीक्यूटिव से अलग किया जाय और अंग्रेज इसको नहीं करते थे लेकिन आज तो हम खुद अपनी सरकार चला रहे हैं और जबकि हमने काफी वर्ष हुए अपने संविधान में साफ तौर पर यह कहा हुआ है कि इन दोनों को अलग किया जाये तब यह बड़े आश्चर्य और दुःख का विषय है कि सन् ६२ के वर्ष

[श्री सिंहासन सिंह]

तक में यह काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है और यह दोनों विषय अलग नहीं हुए हैं। अगर कहीं कुछ इस दिशा में हुआ भी है तो वह एक धोखे की टट्टी है और उससे कुछ काम बनने वाला नहीं है। बस मैं इन्हीं चीजों की ओर अपने मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता था।

†श्री प्र० कु० सेन : मैंने विभिन्न दलों से सम्बन्धित माननीय सदस्यों के भाषण बड़े ध्यान से सुने हैं और मुझे इस बात का सन्तोष है कि विभिन्न प्रकार की बातों में काफी साम्य है। जिन भावनाओं से प्रभावित होकर माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं वे बहुत ही सराहनीय हैं। मैं केवल उन ही बातों का उत्तर दूंगा जो कि महत्वपूर्ण है और जिनका सम्बन्ध व्यापक क्षेत्रों से है। श्री पी० के० देव की ही बात ले लीजिये इस पर किसी विवाद का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। गत पांच वर्षों में हम इस दिशा में योजना बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वैसे जहां तक अनुसूचित जातियां का सम्बन्ध है आगे ही केन्द्रीय सरकार ५० प्रतिशत खर्च वहन करती है। अब जो गरीब व्यक्तियों के लिये विविध सहायता के उपबन्ध करने की वांछनीयता के बारे में प्रतिवाद है। यह तो केवल निधि के उपलब्ध होने का प्रश्न है। मुझे इस बात की पूर्ण आशा है कि शीघ्र ही केन्द्र में तथा राज्यों में आम गरीब व्यक्तियों को कानूनी सहायता देना सम्भव हो जायेगा। जो लोग काफी देर से समाज द्वारा दबाये जाते रहे हैं उनकी सहायता हो सकेगी। और इस मामले में जिस प्रकार की योजना इंग्लैण्ड में चल रही है वैसी ही भारत में भी लागू हो सकेगी।

इसके पश्चात् जो प्रश्न श्री प्र० के० देव ने प्रस्तुत किया है वह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। श्री फ्रैंक एंथनी ने भी उनकी बात का समर्थन किया है। वह यह कि न्यायाधीशों को प्रशासकीय नौकरियों पर न लगाया जाय। सिद्धान्त रूप में यह बात बिल्कुल ठीक है। मैं इस बात में सहमत हूं कि हम जब देश में लोकतन्त्र का विकास कर रहे हैं तो अदालतों की स्वतन्त्रता होना बहुत ही आवश्यक है। हमें अपने न्यायाधीशों को विवादास्पद बातों से दूर ही रखना चाहिये। परन्तु इन सब बातों के बावजूद मेरा निवेदन है कि चुनाव न्यायाधिकरण, विधि आयोग इत्यादि निकायों में ऐसे लोगों का अनुभव बहुत लाभदायक सिद्ध होता है अतः यदि उन्हें ऐसे स्थानों पर नियुक्त कर दिया जाये तो उस पर कोई आपत्ति नहीं की जानी चाहिए। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हमारी न्यायपालिका का स्तर गिर गया है। हमारी न्यायपालिका के लोगों ने बड़े शानदार काम किये हैं जो कि अन्य देशों वाले अनुकरण करके अपने आप को धन्य समझेंगे। कोई एक आधे मामले में कोई खराबी हो गयी तो इससे किसी माननीय सदस्य को सामान्य परिणाम नहीं निकाल लेना चाहिए। किसी अदालत से कोई भूल हो भी जाये तो भी हमें अदालत के गौरव को खराब करने का यत्न नहीं करना चाहिये। और यह बात भी गलत है कि अच्छा न्यायाधीश वही हो सकता है जिस को वकील के तौर पर वकालत काफी चली हुई हो। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो कि वकील के रूप में तो बहुत अधिक सफल न हो सके परन्तु न्यायाधीश बनते ही बहुत चमके और उनकी योग्यता का सामान्य जनता ने काफी लाभ उठाया। अतः यह बात हमें कभी भी नहीं कहनी चाहिये कि लोगों का विश्वास न्यायपालिका से उठ गया है।

श्री फ्रांक एंथनी यहां जो कुछ कहते रहे हैं, मैं उनके साथ हमेशा से सहमत होता रहा हूं। क्योंकि यह मेरा व्यक्तिगत मत भी है कि यदि हमारे मूलभूत अधिकारों की रक्षा न हुई तो हमारा संविधान और विधि दोनों मजाक बन कर रह जायेंगे। और इन अधिकारों की रक्षा के लिये अदालतें चाहियें। न्यायाधीशों को संविधान के संरक्षकों के रूप में काम करना होता है। मुझे इस बात का अपार दुःख होगा यदि किसी व्यक्ति को इसलिये अदालत न सुने क्योंकि अदालत के पास बहुत काम है। यद्यपि मैं यह जानता हूं कि न्यायाधीशों अथवा अदालतों की यह इच्छा कभी भी नहीं हो सकती कि कोई न्याय से

†मूल अंग्रेजी में

वंचित रह जाये। कोटि के साथ आज गति की भी जरूरत महसूस की जा रही है। उच्चतम न्यायालय में तो गति को भी काफी महत्व दिया जाता है। न्याय शीघ्र और अच्छी कोटि का व्यक्ति को होना ही चाहिये और व्यक्तिगत आवश्यकताओं की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये। अनुच्छेद ३२ के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में आवेदन पत्र दे तो २००० रुपये की जमानत जमा करायें। इस प्रश्न पर भी मैंने मुख्य न्यायाधीश से बातचीत की थी। परन्तु मैंने उन्हें बता दिया था कि हम उन्हें इस बारे में कोई निर्देश देने वाला कोई विधान नहीं बनायेंगे। वैसे जहां तक उच्चतम न्यायालय में अधिकारियों का प्रश्न है, उस न्यायालय को संविधान के अन्तर्गत अपने नियमों को बनाने का अधिकार प्राप्त है। मेरा मत यह है कि उस न्यायालय पर अपनी प्रक्रिया के बदलने के लिये किसी प्रकार की रोक लगाना ठीक नहीं होगा। हम यह भी आशा कर सकते हैं कि ऐसा करना आवश्यक भी नहीं होगा क्योंकि वह न्यायालय अपीलों को सुनने के लिये स्वयं ही याचनाओं के सम्बन्ध में नियमों में परिवर्तन कर सकता है।

[श्री मूल चन्द दुबे पीठासीन हुए]

इस बात को स्वीकार करना ही होगा कि सब के ऊपर संसद् की प्रभुसत्ता तो है ही परन्तु फिर भी मुझे यह आशा करनी चाहिये कि ऐसा अवसर नहीं आयेगा कि संसद् को हस्तक्षेप करना पड़े। यदि कोई रुकावट कठिनाई दिखाई दे तो इसे उच्चतम न्यायालय को ही देखना चाहिये और उसके औचित्य को देख कर उसके बारे में स्वयं ही निर्णय करना चाहिए।

इसके बाद मैं जो महत्वपूर्ण बात की गयी वह चुनाव विधि के सम्बन्ध में थी। मुझे आश्चर्य है कि श्री प्र० क० देव ने यह कहने में संकोच नहीं किया कि हमारी चुनाव विधि में परिवर्तन होना चाहिये और इससे सभी सहमत हैं। हमें एक बात समझ लेनी चाहिये कि हमारी चुनाव विधि ने सारे संसार भर में अपना स्तर कायम किया है। हमारी चुनाव मशीनरी ने बहुत ही योग्यता और निष्पक्षता से कार्य करके अपना रिकार्ड कायम किया है। सरकार ने इस बारे में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। तीन आम चुनाव हुये हैं, समय समय पर विधि में संशोधन भी हुए हैं परन्तु सरकार ने इस दिशा में कानून बनाने अथवा संशोधित करने के प्रयोजन से भी सरकार ने इस सदन के सभी दलों की सामूहिक बुद्धि के प्रकाश में काम किया है। सरकार ने इस उद्देश्य के लिये कभी भी अपने बहुमत को प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं किया।

चुनाव व्यय के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। इस बारे में दूसरे आम चुनाव पर चुनाव आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन में कहा था कि इस मद को समाप्त ही कर दिया जाये क्योंकि इस बारे में कोई भी ठीक ब्योरा नहीं दे पाता। हम ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हो सकता है कि इस पर सरकार की अनावश्यक आलोचना की जाती। कुछ भी हो जहां तक चुनाव व्यय का सम्बन्ध है, दूसरे देश भी इसका अभी तक कोई हल नहीं निकाल सके। अतः हम भी सरलता से इसका कोई हल नहीं निकाल सकेंगे। मैं यह भी कहूंगा कि अधिक चुनाव व्यय का दोष किसी एक राजनीतिक दल को नहीं दिया जा सकता यह तो एक समान सब पर ही लागू होते हैं। कई लोग तो जोर शोर से अपने चुनाव व्यय का प्रचार करते हैं और कई चुप हो रहना ठीक समझते हैं। यह तो ठीक ही है कि कोई प्रजातंत्र कानून की ठोस चट्टान पर आश्रित हुए बिना नहीं बच सकता। इसके पीछे जो स्वीकृति है वह तो लोगों के विश्वास की ही है। लोगों को कानून के सामने झुकना ही पड़ता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब तक कानून में वैध परिवतन नहीं कर लिया जाता, किसी व्यक्ति को इसका उल्लंघन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए।

कार्यपालिका को इसकी आज्ञा माननी होगी और यदि यह आज्ञा नहीं मानती है तो न्यायालय इसे सही रास्ते पर लायेंगे। साथ ही वे लोग भी जो कार्यपालिका का कार्य करते हैं वे भी इसकी आज्ञा

[श्री अ० कु० सेन]

का पालन करेंगे। विधि की दो बातें हैं एक तो यह है कि यह सर्वोपरि है अतः सब को इसका पालन करना चाहिये और दूसरी बात यह है कि कानून की निगाह में सब बराबर हैं। इस लोकतंत्रात्मक ढांचे में ये दोनों ही बातें हमारा पथ-प्रदर्शन करती हैं।

यह ठीक है कि सामाजिक अर्थ व्यवस्था की स्थापना करने के लिये विधि को सहायता करनी चाहिये। और विधि को अपनी पुरानी परिपाटी छोड़ कर वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर काम करना चाहिये।

यदि न्यायालय ने अनुच्छेद १४ को अन्यत्र स्थानों की तुलना में कमजोर बना दिया है तो हमें इस पर क्षुब्ध नहीं होना चाहिये। बल्कि हमें न्यायालयों को बधाई देनी चाहिये कि उन्होंने समानता के कठोर बर्तावों की चुनौती के सामने हमारे प्रगतिशील विधानों को सफल रहने दिया है।

पंचायत न्यायालयों के बारे में जो समिति बनाई गई थी उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। जैसे ही सरकार उस पर विचार कर लेगी उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा यदि संभव हुआ तो पहले भी रख दिया जायेगा।

कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है कि हमारे पास काफ़ी काम नहीं है। मैं उन से निवेदन करूंगा कि वे एक ज्ञापन दें। यदि वे काम बढ़ाना चाहते हैं तो मैं भी उनकी सहायता करूंगा। क्योंकि हम काम से नहीं घबराते।

खराब मतपेटियों के बारे में आलोचना की गई है। ऐसी स्थिति का सामना करने के लिये हमारे पास नियम हैं और हम उस भूल को ठीक कर सकते हैं जैसा कि हम ने जम्मू तथा काश्मीर में किया था। जैसे ही यह बात चुनाव आयोग के ध्यान में लाई गई तुरन्त ही उनको बदल दिया गया था। इन बक्सों की बनावट कुछ जटिल सी है तथा इनके 'फेल' हो जाने के बारे में कोई व्यक्ति गारंटी नहीं दे सकता।

†**सभापति महोदय:** यदि सभी कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिए एक साथ रख दिया जाये तो मैं समझता हूं कि इस में किसी को कोई भी आपत्ति नहीं है।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय द्वारा विधि मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
७३	विधि मंत्रालय . . .	३३,९८,०००
७४	निर्वाचन . .	१,२६,२३,०००
७५	विधि मंत्रालय का अन्य राजस्व	२,४३,०००

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा मंत्रालय

वर्ष १९६२–६३ के लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
८	प्रतिरक्षा मंत्रालय . .	३५,०६,०००
९	प्रतिरक्षा सेवायें, क्रियाकारी सेना	१,८४,७४,७५,०००
१०	प्रतिरक्षा सेवायें, क्रियाकारी नौसेना	१५,१२,४४,०००
११	प्रतिरक्षा सेवायें, क्रियाकारी वायुसेना	६०,०५,८०,०००
१२	प्रतिरक्षा सेवायें, अक्रियाकारी	१५,७५,००,०००
११४	प्रतिरक्षा का पूंजी व्यय	२४,९९,७५,०००

†**डा० रानेन सेन** (कलकत्ता–पूर्व) : यद्यपि हमारी सरकार ने कुछ विलम्ब से गोआ में कार्यवाही की किन्तु हमारी सेना के जवानों ने गोआ की मुक्ति में बहुत शानदार काम किया है । हमारी इस कार्यवाही का सभी समाजवादी देशों ने स्वागत किया है । कुछ सैनिक गुट वाले देशों ने इस कार्यवाही का विरोध किया था और उन्हीं से हमें खतरा भी है ।

मेरा ऐसा विचार है कि हमारे सशस्त्र बलों का राष्ट्रमंडल के विभिन्न सेना व्यायामों में भाग लेना हमारी राष्ट्रीय मानहानि करता है । इन्हें समाप्त किया जाना चाहिये । राष्ट्रमंडल से हमारा सम्बन्ध प्रतिरक्षा की खातिर हमें पश्चिमी देशों पर निर्भर करता है । जो सामान वे देते हैं वह पुराना तथा महंगा होता है । उचित यही है कि उस बारे में हम अन्य स्थानों की खोज करें ।

अमरीका ने पाकिस्तानी वायु सेना को नवीनतम प्रकार के 'जेट' लड़ाके विमान दिये हैं । चूंकि उन से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है तथा हम उन्हें अमरीका से प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं अतः यह स्वाभाविक है कि हम उसी के समान क्षमता वाले विमानों को रूस से प्राप्त करें । मिश्र और इंडोनेशिया जैसे तटस्थ देशों ने वैसा किया है । इस मामले में ब्रिटेन तथा अमरीका का हस्तक्षेप सहन नहीं किया जाना चाहिये । उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हम क्या खरीदें और कहां से खरीदें ।

हमारे अमरीका स्थित राजदूत ने हमारी प्रतिरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया है वह खेदजनक है । तथ्य यह है कि हमारी सुरक्षा को वास्तविक खतरा पाकिस्तान की ओर से उत्पन्न हुआ ; चीन की ओर से नहीं । हमें 'सीटो' तथा 'सेन्टो' शक्तियों के सम्बन्ध में सावधान रहना चाहिये ।

सेना का नैतिक स्तर भी ऊपर उठाना चाहिये ।

ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्रालय हमारे प्रतिरक्षा उत्पादन के सम्बन्ध में उदासीन मालूम होता है । इस सम्बन्ध में हमें अधिक तेज़ी से काम करना चाहिये और पश्चिमी देशों पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिये ।

जवानों को अधिक वेतन देना चाहिये । अनुशासन के नाम पर उनको कुचल नहीं देना चाहिये ।

†मूल अंग्रेजी में

[डा० रानेन सेन]

सेना के जवानों को वाक् स्वतंत्रता भी नहीं है। फौजी दरबार में जवान लोग अफसरों के सामने बोल भी नहीं पाते हैं। इस प्रकार सेना में प्रजातंत्र नहीं है।

सशस्त्र सेनाओं और उनसे सम्बद्ध सेना, लोक सहायक सेना आदि को मजदूरों की हड़तालें तुड़वाने के काम में नहीं लाया जाना चाहिये।

तरक्की देने के मामले में वरिष्ठ अधिकारियों का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिये।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय में मजदूरों के साथ सम्बन्ध अच्छे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि प्रतिरक्षा उद्योगों के मजदूरों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त नहीं है। विवादों के निपटारे के लिये कोई स्थायी वार्ता यंत्र नहीं है। प्रतिनिधि कार्मिक संघों को मान्यता नहीं दी जा रही है। उन उद्योगों में श्रम सम्बन्धों के सुधार के लिये कुछ किया जाना चाहिये। क्योंकि वहां सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** (बुलन्दशहर): प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों का मैं समर्थन करता हूं। यद्यपि हमारी प्रतिरक्षा सेनाओं ने अपनी योग्यता का अच्छा परिचय दिया है परन्तु हमें उनकी अच्छे आधुनिक हथियारों की आवश्यकता को भी पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिये। स्वचालित राइफल के निर्माण के सम्बन्ध में जो एक मूलभूत हथियार है उसे अपने यहाँ बनाने का प्रयत्न करना चाहिये यह जानकर संतोष होता है कि हमारा प्रतिरक्षा मंत्रालय का उत्पादन बढ़ गया है परन्तु इस स्वचालित राइफल के बारे में क्या निर्णय किया गया है यह बात सभा को बतानी चाहिये।

यह तो ठीक है कि नौ सेना में सभी आधुनिकतम साधनों का प्रबन्ध कर लिया गया है किन्तु फिर भी उसके पास पनडुब्बी भी होनी चाहिये।

जहां तक वायु सेना की बात है। हमें उस श्रेणी तक कार्य कुशलता वाले कई स्थानों पर बने विमानों को नहीं खरीदना चाहिये। भविष्य में हमें एक ही प्रकार के जहाज़ विभिन्न देशों से नहीं लेने चाहिये। भविष्य में हमें एक ही प्रकार के जहाज एक ही देश से लेने चाहिये। ऐसा करने से हमारा संधारण का काम सरल हो जायेगा।

सशस्त्र बल महिला कल्याण संगठन ने भूतकाल में प्रशंसनीय कार्य किया है उसे पुनः चालू किया जाना चाहिये।

सैनिकों के लिये पारिवारिक क्वार्टरों की कमी है। इस दिशा में कार्य की गति बढ़ाई जानी चाहिये।

भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिये अधिक कार्य नहीं किया जा रहा है। सरकार को उन्हें असैनिक व्यवसायों में लगाने के लिये समस्त सहायता देनी चाहिये और इस सम्बन्ध में इस बात का आश्वासन दिया जाना चाहिये कि उनके लिये भविष्य में शीघ्र ही कुछ न कुछ किया जायेगा।

हमें यह समझ में नहीं आया कि प्रतिरक्षा मंत्रालय ने देश भर में सैनिक स्कूल स्थापित करते समय उत्तर प्रदेश को कैसे भुला दिया। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक भी सैनिक स्कूल नहीं है। में राज्य के लोगों से प्रार्थना करता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक सैनिक स्कूल तुरन्त स्थापित कर दिया जाये।

राष्ट्रीय छात्र सेना का क्षेत्र भी इस प्रकार बढ़ा देना चाहिये कि हमारे सभी विद्यार्थी इस में भरती हो सकें। इस को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार को खर्चे का ख्याल नहीं करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंडसौर) : इस मंत्रालय की मांगों की रकमें बहुत बड़ी बड़ी हैं, और इन से सभी भारतीयों का सम्बन्ध है यह जरूरी है कि यह खर्च बुद्धिमत्ता से किया जाय। किन्तु मंत्रालय की रिपोर्ट पढ़ने से पता चलता है कि खर्च अन्दाधुंध और अनियमित तरीके से हो रहा है। समझ में नहीं आता कि एक निर्माण कार्य पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का जितना जितना खर्च आता है, सनिक इंजीनियरिंग सेवा का उससे अधिक क्यों आये ? रिपोर्ट में बताया गया है कि एक मील सड़क बनाने में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का ५०हजार से ६० हजार तक खर्च आता है किन्तु जब सेना उसे बनाती है, तो खर्च ४ लाख रुपये प्रति मील आता है। काम करने वाले वही भारतीय इंजीनियर हैं, श्रमिक वही हैं, और भूमि भी वही है किन्तु व्यय में अन्तर है। इस से केवल यह मालूम होता है कि धन खर्च करने वाले कितने लापरवाह हैं। धन के अपव्यय के एक और बड़ा उदाहरण नौ सेना मुख्यालय द्वारा स्टोर कैरियर का क्रय था। इसे खरीदने बदलने और इस में सामान लगाने के लिये लाखों रुपया खर्च किया गया है और इसको बनाते बनाते कई साल हो गये हैं, यद्यपि इस की खरीद बहुत जल्दी में की गई थी। १९५९ में हमने अनुभव किया कि यह सारा खर्च इतना उपयोगी नहीं है। क्या इतने बड़े मंत्रालय का खर्च इस तरह चलाया जाना चाहिये। इस कैरियर पर काम करने के लिये १९५२ में पदाधिकारी नियुक्त किय गये थे और वे १९५९ तक बिना काम के पूरा वेतन पाते रहे ।

हम ने एक प्रतिरक्षा उत्पादन संगठन शुरू किया है। इस ने जो भी वस्तुयें बनाई हैं उनमें से ३०, ४० या ५० प्रतिशत तक प्रतिरक्षा सेवाओं के लेने से इन्कार कर दिया है। फिर भी उसका काम जारी रखा जा रहा है। और व्यय किया जा रहा है।

देश की प्रतिरक्षा पर होने वाले व्यय पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। किन्तु संसद् का व्यय पर जो संवैधानिक नियंत्रण है मंत्रियों को और पदाधिकारियों को उस का स्वागत करना चाहिये।

अब मैं प्रतिरक्षा की कुछ समस्याओं का उल्लेख करूंगा। हमारा सीमान्त बहुत बड़ा है। हम ने इस की रक्षा के लिये क्या किया है। उन लोगों को अन्दर आने से रोकने के लिये जिन की राज-भक्ति संदिग्ध है हम ने क्या उपाय किये हैं और ऐसे लोगों को हटाने के लिये कौन सा कानून बनाया है। आसाम और त्रिपुरा में चोरी छुपे लोग आ रहे हैं। भारत की पश्चिमी हद बिल्कुल खुली है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

उन्हों ने हमारे राज क्षेत्र पर कितने अतिक्रमण किये हैं। और हम ने क्या किया है ? क्या हम प्रतिरक्षा के लिये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस या सशस्त्र बल पर निर्भर करेंगे ? यदि हमें रिजर्व पुलिस पर ही निर्भर रहना है, तो उस की संख्या पर्याप्त रूप से बढ़ा देनी चाहिये। हमारे सीमान्तों की उचित रूप से रक्षा होनी चाहिये और हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं को ऐसे हथियार देने चाहिये, जिनसे वे प्रभावोत्पादक रूप से मुकाबला कर सकें। हमें बार बार बताया जाता है कि हमारी सेना किसी भी आक्रमण का मुकाबला करने के लिये तैयार है, किन्तु हमारे राजदूत ने जो वक्तव्य दिया है, उससे संतोष उत्पन्न नहीं होता। यदि तथ्य वही हैं, जो उन्होंने बतलाये हैं तो हमें अपनी सेनाओं को ऊंचे स्तर का सामान देना चाहिये। हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। एक मित्र ने हमारे ३०,००० वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। दूसरे ने १८,००० मील पर। दूसरे को हम ऋण भी दे रहे हैं और पानी भी दे रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

हमारे सशस्त्र सेनाओं के लिये विशेष प्रकार का सीमान्त प्रशिक्षण आवश्यक है । कहा नहीं जा सकता कि कब गड़बड़ शुरू हो जाये ।

हमारा देश पाकिस्तान से पांच गुना बड़ा है, किन्तु वही बार बार अतिक्रमण करता रहता है । हम केवल विरोध पत्र भेज देते हैं । ये काफी नहीं है । वास्तव में हमें विधि पारित कर के बेरूबाड़ी का क्षेत्र उन्हें देना पड़ा था, किन्तु संकट अब भी बना हुआ है । हमें हर प्रकार की स्थिति का मुकाबला करने के लिये तैयार रहना चहिये । चाहे युद्ध हो या न हो, हमें प्रतिरक्षा के बारे में आम-संतुष्टि से काम नहीं ले सकते ।

प्रतिरक्षा पदाधिकारियों की पदोन्नति के मामले में भाई भतीजावाद बिल्कुल नहीं होना चाहिये और यह भावना बिल्कुल नहीं उत्पन्न होनी चाहिये ताकि किस पदाधिकारी या जवान के साथ अन्याय हो रहा है । एक प्रशासनीय न्यायाधिकरण द्वारा या किस अन्य उपाय द्वारा पदोन्नति के मामले में अन्याय को रोकना चाहिये ।

हमारे विश्वविद्यालयों से प्रतिवर्ष हजारों विज्ञान के स्नातक निकलते हैं । उन के होते हुए प्रतिरक्षा मंत्रालय का यह कहना कि उन के पास वैज्ञानिक कर्मचारियों की कमी है, आश्चर्यजनक है । क्या आप के भरती के तरीके में कोई त्रुटि है या आप समुचित वेतन नहीं देते ।

हमारी सेना की संख्या से प्रकट होता है कि भरती सारे देश में नहीं होती । उज्जैन में मुझे मालूम हुआ कि हिन्दुओं को मोटर ड्राइवरों की नौकरियों के लिये नहीं लिया जाता । माननीय मंत्री को इस मामले की जांच करनी चाहिय । इसी तरह जाति या धर्म के आधार पर भरती बिल्कुल बन्द होनी चाहिये ।

भारत पर चीन के अतिक्रमण बढ़ते ही जा रहे हैं और नेपाल में भी चीनी घुसे जा रहे हैं। नेपाल के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत अच्छे नहीं हैं । हमें ये सम्बन्ध ठीक करने चाहियें, क्योंकि वहां से हम सदा सैनिक लेते रहे हैं ।

विधि मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्न लिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये ये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
८	७	श्री शिवमूर्ति स्वामी	. भारतीय सीमान्त पर चीन का अतिक्रमण	१०० रुपये
८	८	श्री शिवमूर्ति स्वामी	. काश्मीर में पाकिस्तान द्वारा कब्जे में लिये गये क्षेत्र को पुनः लेने में असफलता	१०० रुपये
८	९	श्री शिवमूर्ति स्वामी	. सेना, नौसैना और वायु सेना का भोजन के विकास कार्यक्रम में भाग लेना	१०० रुपये

१	२	३	४	५
८	१०	श्री रामचन्द्रन .	उच्च पदों पर पदोन्नति के लिये बुनियादी हिन्दी परीक्षा में पास होने की शर्त दूर करना	१०० रुपये
८	११	श्री रामचन्द्रन . .	हर पांच वर्ष के बाद की बजाय प्रति वर्ष वेतन में वृद्धि देना	१०० रुपये
८	१२	श्री रामचन्द्रन . .	सेना से निवृत्त होने के बाद असैनिक नौकरी देना	१०० रुपये
८	१३	श्री रामचन्द्रन .	आयुध कारखानों में असैनिक सामान बनाना	१०० रुपये
८	१४	श्री अ०व०राघवन	सेवा से मुक्ति के बाद सैनिकों को नौकरी की पर्याप्त सुविधायें देना .	१०० रुपय
८	१५	श्री अ०व०राघवन .	सैनिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सुविधायें देना	१०० रुपये
८	१६	श्री अ०व०राघवन	सैनिकों को सेवा से मुक्त होने के बाद प्रतिरक्षा उत्पादन संगठन में लगाना	१०० रुपये
८	१७	श्री अ०व०राघवन .	पुलिस की बजाय जिला सैनिक, नाविक और हवाई सेना सैनिकों बाडी के द्वारा पड़ताल का तरीका जारी करना	१०० रुपये
८	१८	श्री अ०व०राघवन	सशस्त्र सेनाओं को अधिक सुविधायें देना	१०० रुपये
८	१९	श्री अ०व०राघवन	जवानों का वेतन बढ़ाना	१०० रुपये
८	२०	श्री अ०व०राघवन .	सेना की भरती में प्रादेशिक असंतुलन का हटाना	१०० रुपये
८	२१	श्री अ०व०राघवन	सेना को राष्ट्रीय एकीकरण के काम में लगाना	१०० रुपये
८	२२	श्री अ०व०राघवन	भारतीय नौसेना के विनियमों में संशोधन	१०० रुपये
८	२३	श्री अ०व०राघवन	विमान इंजनों की जांच के लिये आयात सामान को प्रयोग करने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
८	२४	श्री अ० व० राघवन	लंडौर छावनी में अतिरिक्त भूमि और मकान के निपटारे में विलम्ब	१०० रुपये
८	२५	श्री अ० व० राघवन	पदोन्नति के लिये हिन्दी की परीक्षा पास करने की शर्त हटाना	१०० रुपये
८	२६	श्री अ० व० राघवन	वेतन में प्रति वर्ष वृद्धि	१०० रुपये
८	२७	श्री अ० व० राघवन	राजनैतिक कारणों से बरखास्त किये गये जवानों के मामलों का पुनर्विलोकन	१०० रुपये
८	५६	श्री वारियर	आयुध कारखानों में अतिरिक्त क्षमता को असैनिक माल बनाने के लिये प्रयोग करना	१०० रुपये
८	५७	श्री वारियर	आयुध कारखाने प्रविधिक विकास संस्थान और ई० एम० ई० कारखानों में समन्वय	१०० रुपये
८	५८	श्री वारियर	आयुध कारखानों में जनता कार का निर्माण	१०० रुपये
८	५९	श्री वारियर	प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन विशेष इस्पात संयंत्र की आवश्यकता	१०० रुपये
८	६०	श्री वारियर	आयुध कारखानों में भारी गाड़ियां बनाना	१०० रुपये
८	६१	श्री वारियर	बंगलौर में एच० ए० एल० का विस्तार	१०० रुपये
८	६२	श्री वारियर	प्रतिरक्षा संस्थानों में गैर-औद्योगिक और औद्योगिक कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में विभेद को हटाना	१०० रुपये
८	६३	श्री वारियर	प्रतिरक्षा संस्थानों में असैनिक कर्मचारियों के लिये अधिक क्वार्टर बनाना	१०० रुपये

१	२	३	४	५
८	६४	श्री वारियर	औद्योगिक कर्मचारियों की छुट्टी के मामले में वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना	१०० रुपये
८	६५	श्री वारियर	एम० ई० एस० में ठेके की प्रणाली को हटाना	१०० रुपये
८	६६	श्री वारियर	औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक कर्मचारियों में से ८० प्रतिशत को स्थायी बनाना	१०० रुपये
८	६७	श्री वारियर	डी० एस० सी० कर्मचारियों के वेतन क्रमों में संशोधन	१०० रुपये
८	७५	श्री वारियर	असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों की शिकायतों की तीन स्तरों पर चर्चा के लिये समझौते करने की व्यवस्था करना	१०० रुपये
८	७६	श्री वारियर	रघुरामैय्या समिति की सिफारिशों का प्रभाव	१०० रुपये
८	७७	श्री वारियर	सैनिक कर्मचारियों के अधिक क्वार्टरों की आवश्यकता	१०० रुपये
८	७८	श्री वारियर	सैनिकों के बच्चों के लिये अधिक शिक्षा सुविधायें देना	१०० रुपये
८	७९	श्री वारियर	भारतीय हवाई सेना द्वारा चकेरी कानपुर पर एवरो-७४८ का निर्माण	१०० रुपये
८	८०	श्री वारियर .	रूस से सुपर सैनिक जैट का क्रय	१०० रुपये
९	३२	श्री रामचन्द्रन	भरती के समय पुलिस द्वारा पड़ताल की प्रणाली को हटाना	१०० रुपये
९	३३	श्री रामचन्द्रन . .	जवानों का वेतन बढ़ाना	१०० रुपये
९	३४	श्री रिशांग किशिंग	भारत के सीमान्तों की रक्षा करने में असफलता	१०० रुपये
९	३५	श्री रिशांग किशिंग	भारतीय क्षेत्रों से विदेशी आक्रमणकारियों को निकालना	१०० रुपये

१	२	३	४	५
९	३६	श्री रिशांग किशिंग	सीमान्त क्षेत्रों में प्रतिरक्षा सेनाओं और शहरी जनसंख्या में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना	१०० रुपये
९	३७	श्री रिशांग किशिंग	सीमान्त क्षेत्रों में प्रतिरक्षा उपायों को दृढ़ करना	१०० रुपये
९	३८	श्री रिशांग किशिंग	देश के पूर्व और उत्तर के सीमान्तों पर सड़कें बनाना	१०० रुपये
९	३९	श्री रिशांग किशिंग	सशस्त्र सेनाओं में पदोन्नति की कटौती	१०० रुपये
९	४०	श्री रिशांग किशिंग	देश के पूर्वी और उत्तरी सीमान्तों पर हवाई जहाजों के उतरने की पट्टियां बनाना	१०० रुपये
१२	४१	श्री रामचन्द्रन .	भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिये सैनिक स्कूलों में स्थानों का संरक्षण	१०० रुपये
१२	४२	श्री रामचन्द्रन . .	पारिवारिक पेन्शन की अधिकतम दर को बढ़ाना	१०० रुपये
१२	४३	श्री रामचन्द्रन .	जवानों के लिये अधिक क्वार्टर बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१२	४७	श्री अ० व० राघवन	जिला जवान, नाविक और वायु-सेना के जवानों के बोर्डों को स्थायी बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१२	४८	श्री अ० व० राघवन	कोंजीकोड, वाडागरा, कन्नौर तथा तेलीचेरी में सैनिक स्कूल खोलने की आवश्यकता	१०० रुपये
१२	४९	श्री अ० व० राघवन .	भूतपूर्व सैनिकों को सैनिक समाचारों की प्रतियां देना	१०० रुपये
१२	५०	श्री अ० व० राघवन .	जिला बोर्डों आदि के द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को 'A' गाड़ियां, किराये तथा क्रय करने की सुविधा देना	१०० रुपये
१२	५१	श्री अ० व० राघवन	भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी संस्थाओं को सहायता की व्यवस्था करने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
११४	५३	श्री शिवमूर्ति स्वामी	सेना तथा नागरिकों के लिये प्रतिरक्षा उद्योगों द्वारा उत्पादन करने में असफलता	१०० रुपये
११४	५४	श्री अ० व० राघवन	आर्डिनेंस कारखानों में नागरिकों के लिये उत्पादन की आवश्यकता	१०० रुपये
११४	५५	श्री अ० व० राघवन	केरल के मलाबार डिवीजन में आर्डिनेन्स कारखाना खोलने की आवश्यकता	१०० रुपये

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ये सभी कटौती प्रस्ताव अब सभा के सामने प्रस्तुत हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरुदासपुर) : हमारे प्रतिरक्षा बल निश्चय ही प्रशंसा के पात्र हैं । गोआ में हमारी सेनाओं ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है । अब वह समय आ गया है जब हमें अपनी प्रतिरक्षा नीति को नया रूप देना चाहिये । हमें अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिये ताकि हम अपने सीमान्तों के किसी ओर से अतिक्रमण का सामना कर सकें । हम शांति के वातावरण में नहीं रह रहे हैं । चीन हमें अधिकाधिक हानि पहुंचाने पर तुला हुआ है । जहां तक वह हमारे राज्य क्षेत्र से पीछे नहीं हटता है तब तक हम उसे अपना मित्र नहीं समझ सकते हैं । इसी प्रकार हमें भारत और पाकिस्तान के बीच काश्मीर में युद्ध विराम रेखा के सम्बन्ध में सावधान रहना चाहिये ।

भारत का समुद्रतट काफी बड़ा है, इसलिये नौसेना की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिये । बजट में नौसेना के लिये उपबन्ध बहुत कम है । हमें नौसेना, स्थल सेना और विमान बल के संसाधनों को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये ।

प्रतिरक्षा उत्पादन के क्षेत्र में प्रशंसनीय प्रगति हुई है । प्रतिरक्षा मंत्री को यह देखना चाहिये कि हम कम से कम पुराने हथियारों के उत्पादन के सम्बन्ध में ही आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लें जब कि अन्य देश आणविक हथियारों की बात सोच रहे हैं ।

सहायक छात्र सेना दल किसी काम का नहीं है । उसे खत्म कर के हमें राष्ट्रीय छात्र सेना दल का और विस्तार करना चाहिये ।

प्रादेशिक सेना के प्रश्न के सम्बन्ध में विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये और उसे नया रूप देना चाहिये ।

हमें अपने सैनिकों के लिये अधिक छात्रवृत्तियां और परिवार केन्द्र बनाने चाहियें ।

भूतपूर्व सैनिकों की बड़ी उपेक्षा की जाती है । उनकी देखभाल की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

हमें अपने यहां एक स्वेच्छिक बल की भी स्थापना करनी चाहिये । पुरुष तथा महिलाओं का एक सामाजिक संगठन भी करना चाहिये ।

†**श्री भागवत झा आजाद** (भागलपुर) : हमारी सेना अपने देश में तथा बाहर भी बहुत अच्छा काम कर रही है । उसने संसार के कांगों तथा गाजा जैसे भागों में शांति स्थापना के सम्बन्ध में बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है ।

हाल में दिये गये इस आशय के वक्तव्य बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं कि हमारी सेना हमारे सीमान्तों की रक्षा करने के लिये भली प्रकार सुसज्जित नहीं है । सरकार को यह देखना चाहिये कि भविष्य में सशस्त्र बलों के सम्बन्ध मे इस प्रकार के वक्तव्य न दिये जायें ।

हम सोवियत रूस से जो लड़ाकू विमान खरीद रहे हैं उस के सम्बन्ध में अमरीका का विरोध बहुत आश्चर्यजनक है । यह बहुत गम्भीर मामला है क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी देश हमारे प्रतिरक्षा सम्बन्धी मामलों में हस्तक्षेप करे क्योंकि हम भी अन्य देशों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं । आशा है कि सरकार इस सम्बन्ध में देश तथा संसद् में प्रकट किये गये विरोध को ध्यान में रखेगी । हम अपनी आवश्यकता की चीजें कहीं से भी खरीद सकते हैं । इस सम्बन्ध में हमें किसी भी देश को हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिये ।

आर्थिक क्षेत्र में भी हम अपने आप को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, ३० मई, १९६२/९ ज्येष्ठ, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार २९ मई, १९६२
८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		३४६३—९०
तारांकित प्रश्न संख्या		
१११४	पाकिस्तान में फिजो .	३४६३—६६
१११६	हिन्दी टाइपराइटिंग ट्रेनिंग योजना	३४६६–६७
१११७	कच्ची फिल्म परियोजना	३४६७–६८
१११८	ग्रामीण क्षेत्रों मे बेरोजगारी	३४६८—७०
१११९	रामपुर में ट्रांसमीटर .	३४७०–७१
११२२	नेफा . .	३४७१–७२
११२३	केरल में नारियल रेशा तैयार करने का कारखाना .	३४७२–७३
११२४	वलापत्तनम सिंचाई योजना	३४७३–७४
११२५	गोआ की औद्योगिक क्षमता .	३४७४—७६
११२६	ब्रिटेन आने वाले भारतीय आप्रवासी	३४७६—७८
११२८	नेपाल को भारतीय सहायता	३४७९–८०
११२९	लद्दाख में चीनी फोजों के घुस आने के बारे में समाचार .	३४८०–८१
११३०	रानीगंज कोयला क्षेत्रों में श्रमिक स्थिति.	३४८१—८३
११३१	जूट मिलें	३४८३–८४
११३२	प्रशासन	३४८५–८६
११३४	उड़ीसा में तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास	३३८६–८७
११३५	तथाकथित "आजाद काश्मीर" के प्रैसीडेन्ट की धमकी .	३४८७—९०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
१२.	कोठागुडियम में कोयला खानों के गोरखपुरी कर्मचारी. .	३४९०

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—	३४९०–३५२९
	तारांकित प्रश्न संख्या	
१११५	राज्यों द्वारा करारोपण	३४९०
११२०	खान श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजूरी	३४९०–९१
११२१	आन्ध्र प्रदेश में माइके नाइट कारखाना . .	३४९१
११२७	नेशनल बिल्डिंग कांस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड . .	३४९१–९२
११३३	दक्षिण रोडेशिया	३४९२
११३६	लाओस की स्थिति . .	३४९२–९३
११३७	संसद् के लिये मुद्रणालय .	३४९३
११३८	पंजीबद्ध बेरोजगार लोगों को सहायता	३४९३
११३९	विद्रोही नागा	३४९३
११४०	सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में मजूरी का ढांचा	३४९४
११४१	बम्बई में पेनिसिलीन की कमी . .	३४९४–९५
११४२	वियना मे एक भारतीय राजनयविज्ञ की मृत्यु	३४९५
११४३	महालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल्स, त्रिचूर . .	३४९६
११४४	चीन की ओर से भारतीय अतिक्रमण सम्बन्धी आरोप लगाने वाला विरोध-पत्र .	३४९६
११४५	भूस्वामी किसान सम्बन्ध अधिनियम	३४९७
११४६	दिल्ली में नये सिनेमा घर	३४९७
११४७	भारतीय सीमा प्रशासन सेवा के लिये मनीपुर, आसाम नागालेंड और नेफा से अर्जियां . .	३४९८
११४८	अमझोर (बिहार) में गन्धक बनाने का संयंत्र	३४९८-९९
११४९	विद्युत् चालित कपड़ा फैक्टरियों का बन्द हो जाना	३४९९
११५०	अफ्रीका के पुर्तगाली उपनिवेशों में भारतीय	३४९९
११५१	संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र का पुनरीक्षण .	३४९९–३५००
११५२	रूसी व्यापार शिष्टमंडल द्वारा चाय बागानों का दौरा	३५००
११५३	जूट बफर स्टाक एसोसिएशन	३५००–०१
११५४	अन्तर्राज्यीय वाणिज्य . .	३५०१
११५५	संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष अधिवेशन	३५०२
११५६	खादी का उत्पादन तथा बिक्री .	३५०२–०३
११५७	नागालैंड में डी० आई० जी० पुलिस की मृत्यु	३५०३
११५८	कालिम्पोंग में तिब्बती शरणार्थी	३५०३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित
प्रश्न संख्या

११५९	प्रशासन	३५०३—०४
११६०	प्रोटोटाइप (प्रथम रूप) उत्पादन तथा प्रशिक्षण केंद्र हावड़ा	३५०४
११६१	व्यवसायिक मंत्रणा कार्यक्रम .	३५०४
११६२	श्रमजीवी पत्रकारों के लिये उपदान .	३५०४
११६३	गोआ में वन विस्फोट .	३५०५

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२११६	राजस्थान में शिक्षित बेरोजगार .	३५०५—०६
२११७	ऊन उद्योग . . .	३५०६
२११८	मैसूर राज्य में कर्मचारी शिक्षा केन्द्र .	३५०६
२११९	नये उद्योगों के लिये लाइसेंस . .	३५०७
२१२०	खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, पंजाब .	३५०७
२१२१	ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां .	३५०७
२१२२	प्रलेख-चित्रों का संग्रहालय	३५०७—०८
२१२३	अन्तर्राष्ट्रीय चल-चित्र समारोह . . .	३५०८—०९
२१२४	मंत्रालय में पत्रकार	३५०९—१०
२१२५	दंडकारण्य में बसने वाले आदिम जातियों के लोग .	३५१०
२१२६	मध्य प्रदेश में यूरेनियम . . .	३५१०
२१२७	पाकिस्तान से हिन्दुओं का प्रव्रजन . . .	३५११
२१२८	रामकृष्ण सोमेंट्स, आन्ध्र प्रदेश . . .	३५११
२१२९	उत्तर पूर्व सीमान्त अधिकरण और नागालैंड में भू-संरक्षण .	३५१२
२१३०	मद्रास राज्य में गन्दी बस्तियों को हटाना . .	३५१२
२१३१	नेपाल में भारतीय	३५१३
२१३२	मालिकों से बकाया भविष्य निधि अंशदान . .	३५१३
२१३३	चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशें लागू करने के लिये समिति .	३५१३
२१३४	योजना के अधीन मशीनों की सप्लाई . .	३५१४
२१३५	रहन सहन का बढ़ता हुआ खर्च . .	३५१४
२१३६	छपाई उद्योग . . .	३५१५
२१३७	रायचूर में कताई मिल . .	३५१५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२१३८	वायदे के सौदे	३५१६
२१३९	दिल्ली में पानी की कमी	३५१६
२१४०	विद्रोही नागाओं का आक्रमण	३५१६–१७
२१४१	केरल में हज यात्री	३५१७
२१४२	चाय विपणन के लिये भारत-ब्रिटेन सहयोग	३५१७–१८
२१४३	विद्रोही नागा	३५१८
२१४४	आमला (मध्य प्रदेश) में कागज का कारखाना	३५१८–१९
२१४५	खंड बोर्ड में वेतन-क्रम	३५१९
२१४६	कोट्टयम में काफी बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय	३५१९–२०
२१४७	काफी बोर्ड के अधिकारियों की विदेश यात्रा	३५२०
२१४८	पंजाब मे ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो सेट	३५२१
२१४९	पंजाब के लिये वार्षिक आवंटन	३५२१
२१५०	भारतीय बाइसिकिलों आदि के लिये ईरान की मांग	३५२१–२२
२१५१	विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में मद्य-निषेध	३५२३
२१५२	नेफा में व्यापारिक फसलों की खेती	३५२३
२१५३	जम्मू तथा काश्मीर में चीनी-मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का कारखाना	३५२३
२१५४	पुनर्वास की प्रगति	३५२४
२१५५	मजदूर और मालिकों के बीच सम्बन्ध	३५२४
२१५६	रेडियो केन्द्र	३५२४–२५
२१५७	नये बड़े उद्योग	३५२५–२६
२१५८	टेलीविजन सेट	३५२६
२१५९	पूर्वी पाकिस्तान में दंगे	३५२६–२७
२१६०	पूर्व जर्मन फर्म में सहायता	३५२७
२१६१	केन्या के साथ व्यापार	३५२७
२१६२	गुजरात में कताई मिलें	३५२७
२१६३	भूतपूर्व पुनर्वास मंत्रालय में छंटनी	३५२८
२१६४	"कामनवेल्थ इन ब्रीफ़"	३५२८
२१६५	केन्द्रीय सूचना सेवा	३५२८–२९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित

प्रश्न संख्या

२१६६ नारियल जटा बोर्ड के सभापति का दौरा . . ३५२९

२१६७ मध्य प्रदेश और दूसरी पंचवर्षीय योजना . . ३५२९

स्थगन प्रस्ताव ३५३०–३१

अध्यक्ष महोदय ने भारतीय प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे में अमरीका में भारत के राजदूत श्री बी० के० नेहरू द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव को, जिसकी सूचना सर्वश्री ही० ना० मुकर्जी, प्रभातकार, रानेन सेन और वारियर ने दी थी, पेश करने की अनुमति दे दी ।

इसके बाद श्री ही० ना० मुकर्जी ने प्रस्ताव पेश करने के लिए सभा की अनुमति मांगी और उस पर आपत्ति किये जाने पर अध्यक्ष महोदय ने उन सदस्यों से, जो अनुमति देने के पक्ष में थे, अपने-अपने स्थानों पर खड़े होने के लिए कहा। चूंकि पचास से कम सदस्य खड़े हुए, अतः अध्यक्ष ने सूचित किया कि सदस्य को सभा की अनुमति नहीं मिली ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . . ३५३२–३३

(१) श्री हरि विष्णु कामत ने भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे में अमरीका में भारतीय राजदूत श्री बी० के० नेहरू द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

(२) श्री भागवत झा आजाद ने प्रतिरक्षा मंत्री के बारे में अमरीका में भारतीय राजदूत श्री बी० के० नेहरू द्वारा कही गई कुछ बातों की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल-नेहरू) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

(३) डा० ल० म० सिंघवी ने २८ मई, १९६२ को दिल्ली के सदर बाजार क्षेत्र में हुए अग्निकांड की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३५३४

समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४२ की उप-धारा (३) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी गई :—

(एक) दिनांक १२ मई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० ६५१ में प्रकाशित कम्पनीज़ (केन्द्रीय सरकार को अपील) (संशोधन) नियम, १९६२ ।

(दो) दिनांक १२ मई, १९६२ को अधिसूचना संख्या जो० एस० आर० ६५४ में प्रकाशित कम्पनीज़ (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम और प्रपत्र (संशोधन) नयम, १९६२ ।

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, २९ मई, १९६२

अनुदानों की मांगें ३५३४–८०

(१) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई । सभी मांगे पूरी पूरी स्वीकृत हुईं ।

(२) विधि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई और समाप्त हुई । सभी मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं ।

(३) प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

बुधवार, ३० मई, १९६२/९ ज्येष्ठ, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा ।

GMGIPND—LS III—1170 (Ai) LSD—7-9-62—150